लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[९ से १९ मार्च १९५९/१८ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १९ मार्च, १९५९
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

	पृष्ठ
अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९६४ से ९७०, ९७३ से ९७५ और ९७७ से ९८१	२४३७—६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९७१, ९७२, ९७६ और ९८२ से १०१२	२४६२—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५	२४७५—२५०१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि	२५०१—०३
आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में	२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०४
विशेषाधिकार समिति	
नवां प्रतिवेदन	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव	२५०५-०६
महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य	२५०६-०७
सभा का कार्य	२५०७
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित	२५०८
कार्य मंत्रणा समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	२५०८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९	२५०८—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	२५२२
विधेयक पुरःस्थापित	२५२२, २५२४-२५
(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक	२५२२
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	२५२४
(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक	२५२५
सहकारी समितियां विधेयक—	
पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी	२५२२—२४
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया	२५२५—३६
भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक	२५३७—३९
दैनिक संक्षेपिका	२५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . . . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड . . . २७४७—४९
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पारित . . . २७४९
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २७४९—८५
दैनिक संक्षेपिका . . . २७८६—९१

अंक २४—बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा ११११२ से १११५ . २७९३—२८१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, ११११, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ . . . २८१७—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ . . . २८३१—६१
डा० एम० आर० जयकर का निधन . . . २८६२
सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में . . . २८६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८६३
सदस्य की गिरफ्तारी . . . २८६३
सदस्य को सजा . . . २८६३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सैंतीसवां प्रतिवेदन . . . २८६४
सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . . . २८६४
आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य . . . २८६४—६५
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २८६५—९४
दैनिक संक्षेपिका . . . २८९५—२९००

अंक २५—गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ . . . २९०१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० . . . २९२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ . . . २९३९—७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९८०—८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४६

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६६, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . .	३३२८–३३
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३	३३३४–५९
स्थगन प्रस्ताव—	
मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन .	३३५९–६०
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	३३६१
चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	३३६१
अनुदानों की मांगें .	३३६२–३४२७
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	३३६२–७४
शिक्षा मंत्रालय	३३७५–३४२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३३२८–३२
अंक २९—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ .	३४३३–५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . .	३४५६–६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५	३४६५–९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४९५
राज्य सभा से सन्देश	३४९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन .	३४९६
लोक लेखा समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन .	३४९६
प्राक्कलन समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	३४९६–९७
अनुदानों की मांगें	३४९७–३५३६
विधि मंत्रालय	३४९७–३५३६
मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४३७–४२
दैनिक संक्षेपिका .	३५४३–४८

पृष्ठ

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९५९

२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

+

†*१२९१. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन के विद्युतीकरण की दिशा में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) १९५८-५९ में दक्षिण-पूर्व रेलवे के जिस एक स्टेशन पर बिजली लगाने का प्रस्ताव था, क्या वहां बिजली लगा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस स्टेशन का क्या नाम है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कुछ अन्य सेक्शनों पर जो काम चल रहा है, उस के पूरा होते ही इस सेक्शन का सर्वेक्षण किया जायेगा ।

(ख) और (ग). १९५८-५९ में जो भोगपुर स्टेशन पर बिजली लगाने का कार्यक्रम था वह अभी तक पूरा नहीं हो सका है क्योंकि पश्चिमी बंगाल बिजली बोर्ड 'लो टेन्शन पावर' का संभरण नहीं कर सका ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या कोई ऐसी सीमा निश्चित की गई है कि अगर किसी स्टेशन से अमुक दूरी के अन्दर अन्दर बिजली उपलब्ध होगी तो वहां से उस स्टेशन के लिये बिजली ले ली जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

419 (Ai) LSD—1.

†श्री सें० वें० रामस्वामी : दूरी बिजली के मितव्ययता पूर्वक उपभोग पर निर्भर है। यदि वह बहुत दूर है तो हम उसे नहीं लेंगे। मुझे आशा है कि यह निकट होगी और यदि यह निकट है तो हम उसे ले लेंगे।

†श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूरी के बारे में कोई सीमा निर्धारित की गई है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री सुबोध हंसदा : 'जेनरेटर' स्थापित करके एक स्टेशन पर बिजली लगाने पर क्या लागत आयेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह अपेक्षित बिजली की मात्रा स्टेशन के आकार पर निर्भर करेगी।

†श्री सुबोध हंसदा : क्यों कि 'जेनरेटर' स्थापित करके बिजली पैदा करने पर काफी लागत आती है, क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रिड्स से बिजली प्राप्त करके खड़गपुर और हावड़ा के बीच कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अब तक, बगनान और कोलाघाट, केवल दो स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है और १३ पर बिजली लगाना बाकी है।

भूकम्प

†*१२९२. + श्री केशव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० च० बोस :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ दिसम्बर, १९५८ को दिल्ली और देश के अन्य भागों में भूकम्प के धक्के महसूस किये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूकम्प के उद्भव, उससे हुई हानि और इसके कारणों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली स्थित भूकम्प प्रयोगशाला में इन धक्कों को रिकार्ड नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है :

विवरण

(ख) भूकम्प का उपरि केन्द्र[1] अल्मोड़ा से लगभग ४० मील उत्तर-पूर्व की ओर लगभग २६¹/₄° अक्षांश उत्तर और ८०¹/₄° देशान्तर पूर्व था । यह ११ बज कर ४ मिनट और ४२ सेकण्ड पर आरम्भ हुआ । प्रत्यक्षतः भूकम्प अन्तःकृत उद्धव[2] का था जो सामान्यतः बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने और तहों के सरक जाने के कारण चट्टानों के हट जाने से होता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा जिले में बहुत से मकानों को क्षति पहुंची । नरसाल-पतियासर गांव में एक पनचक्की में, भूकम्प के कारण एक पास की पहाड़ी से पत्थर गिरने के फलस्वरूप, तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ।

(ग) से (ङ). दिल्ली में इस लिये भूकम्प के धक्के रिकार्ड नहीं किये जा सके क्यों कि दिल्ली में भूमि-गत जल में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप प्रयोगशाला भवन में भूमिगत भूकम्प-सूचक यन्त्रकक्ष में कार्य नहीं किया जा सका और भूकम्प-सूचक यन्त्र १ जून, १९५७ से बन्द पड़े हैं । कक्ष को वाटर-टाइट बनाने के प्रयत्न असफल रहे हैं और वेधशाला के लिये वैकल्पिक स्थान ढूंढना आवश्यक हो गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप 'रिज' पर भूकम्प सम्बन्धी वेधशाला के लिये एक उपयुक्त स्थान ले लिया गया है जहां पर भवन निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है । आशा है कि भूकम्प-सूचक यन्त्रों की स्थापना के लिये अपेक्षित मुख्य 'वाल्ट' इस वर्ष के मध्य तक बन कर तैयार हो जायेगा और उस में भूकम्प-सूचक यन्त्र भी तब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ।

†**श्री केशव** : विवरण से यह स्पष्ट है कि भूकम्प-सूचक यन्त्र १ जून, १९५७ से बन्द हो गया । यह घटना उसके १८ महीने बाद, २८ दिसम्बर, १९५८ को हुई । इसके पुनः चालू करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रयोगशाला में पानी का स्तर ऊपर उठ गया और जिस कमरे में ये यन्त्र लगे हुए हैं उस में कार्य नहीं किया जा सका । एक नया भवन बनाना था । उपयुक्त स्थान पर स्थान चुन लिया गया है और आशा है कि इस वर्ष के मध्य तक यन्त्र स्थापित कर दिये जायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि अल्मोड़ा में यह ट्रेमर्स कम से कम हर साल या तीन साल में ३, ४ बार आया करते हैं, इसके संबंध में क्या कोई विश्लेषण अथवा निर्णय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Epicentre.
[2]Tectonic origin.

†**श्री मुहीउद्दीन** : उसी क्षेत्र में ये प्रायः आते हैं मेरे लिये यह कहना कठिन है कि क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है। संभवतः कारण भूतत्वीय हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा जिले में बहुत से मकानों को क्षति पहुंची और तीन व्यक्ति भी मारे गये। क्या मैं जान सकता हूं कि उन ग्रामीणों को और मृतकों के परिवारों को कोई क्षति पूर्ति दी गयी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे पता नहीं है कि कोई क्षति पूर्ति दी गयी है या नहीं परन्तु मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय पदाधिकारियों को मकानों की मरम्मत कराने और पुन-निर्माण कराने के लिये कुछ सहायता अथवा ऋण देने के अधिकार दिये हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : वहां तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह इस सरकार का दोष है कि वहां भूकम्प आये ? सहायता देना राज्य सरकार का काम है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुसार अल्मोड़ा जिले के कुछ गांवों में मुख्यतः कपकोट के नजदीक इस से नुक़सान पहुंचा है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात भी आई है कि उत्तर प्रदेश के और इलाक़ों में भी जैसे कि गढ़वाल के कुछ गांवों में भी नुक़सान हुआ है क्या इस सम्बन्ध में भी कोई सूचना मिली है ?

श्री मुहीउद्दीन : यहां जो इत्तिलाएं हैं वे सिर्फ़ अल्मोड़ा जिले की हद तक हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने दूसरे अजला के मुताल्लिक इत्तिला नहीं दी। मुमकिन है कि वहां कुछ इस क़िस्म का असर पैदा हुआ हो।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो यंत्र इस में लगाया गया था, अनुसंधान शाला में वह ठीक तरीक़े से काम नहीं कर रहा था और वह इसलिये नहीं कि भूमि का जल स्तर ऊंचा हो गया था बल्कि इसलिये कि वह यंत्र ही काम नहीं कर रहा था और इस लिये दिल्ली में ठीक से रेकार्ड नहीं किया जा सका ?

श्री मुहीउद्दीन : जी, नहीं ; इंस्ट्रूमेंट तो बिलकुल ठीक है। सिर्फ़ पानी की वजह से इंस्ट्रूमेंट को हटा देना पड़ा था। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि यद्यपि पहला धक्का २८ दिसम्बर को आया था लेकिन अभी हाल तक छोटे छोटे धक्के महसूस किये जाते रहे हैं क्या इस संबंध में भी कोई जानकारी वे दे सकेंगे या बतला सकेंगे कि क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : दिसम्बर का भूकम्प मामूली सा था। और सामान्यतः ऐसा होता है कि भूकम्प के हलके धक्के के बाद साधारण कम्पन सा होता है। यह एक सामान्य लक्षण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यमुना पर दूसरा पुल

+

†*१२९३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद के समीप यमुना पर दूसरा पुल बनाने के बारे में सरकार को प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या व्यौरा है; और

(ग) यह पुल किस स्थान पर बनाया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). अन्तिम स्थिति सर्वेक्षण प्रतिवेदन और प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं और वे बोर्ड के परीक्षणाधीन हैं परन्तु दूसरे यमुना पुल के लिये आदर्श प्रयोगों का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पूना स्थित जल-शक्ति गवेषणा केन्द्र में हो रहे हैं । अतः पुल की ठीक स्थिति और अन्य विवरण के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस पुल पर निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसकी जांच हो रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर क्या किया जायेगा ? अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने से पूर्व इसकी कितनी बार जांच की जायेगी और इस परीक्षण के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रारम्भिक प्रतिवेदन से पूर्व कई प्रक्रम हैं । तब हम यह देखेंगे कि जो स्थान पुल बनाने के लिये रखा गया है, वह ठीक है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । क्या हम प्रशासन के व्यौरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिवेदन को किन ओवरसियरों ने तैयार किया, किन वास्तुकारों ने इसका डिजाइन तैयार किया और किन किन इंजीनियरों ने इसका प्राक्कलन तैयार किया ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि यह पुल हमारी राजधानी के लिए इतना आवश्यक है और यहां पर माल की और सवारी गाड़ियों की इतनी भीड़ भाड़ रहती है, तो उसके बनाने में इतनी देरी किस कारण हो रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह तो साफ़ उन्होंने आपको बताया है कि पूना के रिसर्च स्टेशन में इस बात की जांच कर रहे हैं कि यहां पर जो पानी आता है यमुना में, उसकी गहराई कितनी है और पुल की लम्बाई कितनी होनी चाहिये जिस में फ्लड की सम्भावना भी न हो और जिस में पानी का डिस्चार्ज ठीक से हो जाये। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही काम आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस पुल पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस समय ३.५१ करोड़ रुपये का अनुमान है।

चीन में छोटी सिंचाई योजनाओं का अध्ययन

+

†*१२९४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक भारतीय दल ने छोटी सिंचाई पद्धति और भूमि संरक्षण के बारे में अध्ययन करने के लिये चीन का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्ट-मण्डल ४ मार्च, १९५९ को भारत लौटा है और उसका प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस डेलीगेशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट देने से पहले मंत्रालय को कुछ मोटी मोटी बातें बतायी हैं जिन से कि लाभ उठाया जा सकता है ?

डा० पं० शा० देशमुख : अभी वह लोग मेरे पास नहीं आये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन महानुभाव सम्मिलित थे ?

†डा० पं० शा० देशमुख : भारत सरकार के सिंचाई मंत्रणादाता, श्री महाबीर प्रशाद, कलकत्ता स्थित दामोदर घाटी निगम के भूमि संरक्षण विभाग के डाइरेक्टर, डा० पी० सेन और बम्बई सरकार के अतिरिक्त विकास आयुक्त और संयुक्त सचिव, डा० पी० सेन ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इस तथ्य से प्रभावित हुई है कि छोटी सिंचाई और भूमि संरक्षण के बारे में चीन ने अधिक कार्यकारी तरीके बनाये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनके किसानों द्वारा योजनाओं के संचालन और उन पर कार्य करने की जांच करने के लिये दल को चीन भेजा गया था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मुख्यतः इसी कारण शिष्ट-मण्डल भेजा गया था। यह भी उन के प्रतिवेदन पर निर्भर करता है कि उस में कुछ ऐसी बातों का पता लगता है, जो ध्यान देने योग्य हों।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या शिष्ट-मण्डल भेजने से पहले सरकार को यह विश्वास था कि चीन से कुछ सीखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : निश्चय ही, वरना शिष्टमण्डल भेजा ही न जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते थे कि शिष्टमण्डल किन बातों का अध्ययन करेगा। हर देश को शिष्टमण्डल भेजे जा रहे हैं। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक ही है कि सदन यह जानने के लिये आतुर हो कि इतना धन क्यों खर्च किया जा रहा है और शिष्टमण्डल भेजने के निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार ने किन बातों पर ध्यान दिया।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वही मैंने कहा है। यदि सरकार ने यह नहीं समझा होता कि किसी चीज का अध्ययन करने के लिये शिष्टमण्डल भेजना आवश्यक है, वह शिष्टमण्डल न भेजती।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ठीक स्थिति का अनुमान लगाये बिना ही अंधेरे में तीर फेंक रही है। ठीक स्थिति क्या है? विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद भी वहां शिष्टमण्डल भेजना क्यों आवश्यक हुआ? हमें कारणों के बारे में विश्वास दिलाया जाना ही चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्षतः शिष्टमण्डल भेजने के क्या लाभ हैं। मंत्री महोदय को प्रथम दृष्टि से रिकार्डों से, या अन्य किसी प्रकार तथ्यों से इस परिणाम पर पहुंच जाना चाहिये था कि उसके कुछ फायदे हैं। और इसीलिये माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वे फायदे क्या हैं।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वे क्या हैं?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह सामान्य निर्णय है; कोई विशिष्ट बात नहीं जिसकी व्याख्या की जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अन्य देशों को एक के बाद एक शिष्टमण्डल क्यों भेजे जा रहे हैं। हाल ही में इस बारे में एक अन्य प्रश्न भी पूछा गया था।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : 'एक के बाद एक शिष्टमण्डल' कहना बिल्कुल गलत है। केवल कुछ ही अवसरों पर हम उन्हें भेज रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारी अपनी सिंचाई परियोजनायें और भूमि संरक्षण परियोजनायें हैं परन्तु इसके अतिरिक्त हम चीन को भी शिष्टमण्डल भेज रहे हैं जिस से उनके अनुभव से लाभ उठाया जा सके। परन्तु मुझे यह विश्वास हो जाना चाहिये कि ऐसे शिष्टमण्डल भेजने से पूर्व हमारे पास कुछ आधार और आंकड़े उपलब्ध थे जिन पर यह शिष्टमण्डल भेजा गया।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जिस बात ने हमें सब से अधिक प्रभावित किया और जिसके लिये हमने शिष्टमण्डल वहां भेजा वह था जनता के सहयोग से तथा शारीरिक परिश्रम से जल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिष्टमण्डल के सभी सदस्यों को भारतीय दशाओं तथा भारतीय लघु सिंचाई कार्यों का पूरा पूरा ज्ञान है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, वे सभी विशेषज्ञ थे।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वे सभी भारतीय हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं और उन्हें भारतीय दशाओं का पूरा पूरा ज्ञान है।

†**श्री वारियर** : इस शिष्टमण्डल के लिये सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया, क्योंकि वे सदस्य प्रशासनीय पदाधिकारी हैं और उन में ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ी सिंचाई कार्यों का तो ज्ञान है, परन्तु लघु सिंचाई कार्यों का कोई ज्ञान नहीं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : उन्हें इस योग्य समझा गया है कि वे लघु सिंचाई कार्यों के विस्तार के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्नों के संबंध में अध्ययन करने के लिये वहां भेजे जा सकते हैं।

सामुदायिक विकास संबंधी केन्द्रीय अध्ययन तथा गवेषणा संस्था

†*१२६५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : **क्या सामुदायिक तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास संबंधी केन्द्रीय अध्ययन तथा गवेषणा संस्था के स्थापना के समय से ले कर आज तक उसके द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं ; और

(ख) क्या हाल ही में संस्था ने सामुदायिक विकास खण्डों के लिये कोई नये सुझाव दिये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) सामुदायिक विकास संबंधी केन्द्रीय अध्ययन तथा गवेषणा संस्था ने अभी तो यही किया है कि मुख्य मुख्य लोगों के मन में उस सम्बन्ध में विचार करने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी है ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसके कार्यों को वे अच्छी प्रकार से समझने लगें। इस के लिये सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गत तीन वर्षों में ८४ पदाधिकारियों और ८ गैर-सरकारी व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या उन्हें जिस जिस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है, वहां उन्होंने सामुदायिक विकास के लिये कोई नया काम किया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैंने बता दिया है कि उन्हें प्रशिक्षण देने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वे प्रशिक्षण संस्था में पारस्परिक विचार-विमर्श तथा समय-समय पर आमन्त्रित किये जाने वाले विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर दिये जाने वाले भाषणों से बहुत कुछ सीखते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इन पदाधिकारियों से सामुदयिक विकास खण्डों को वास्तव में कितना लाभ हुआ है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : कोर्स अभी पिछले जून मास से ही तो प्रारंभ किया गया है और इसलिये अभी से यह अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है।

†**श्री रघुवीर सहाय** : हमें यह बताया जा चुका है कि जब से यह संस्था प्रारंभ हुई है इसके तीन कोर्स हो चुके हैं। क्या इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड रखा गया है कि इन कोर्सों में क्या-क्या

† मूल अंग्रेजी में

भाषण दिये जाते हैं, भाषण देने वाले कौन-कौन हैं, उनकी अर्हतायें क्या-क्या हैं और क्या उन्हें ग्राम्य जीवन का कोई वास्तविक अनुभव भी है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी बातें यहां कैसे बतायी जा सकती हैं ?

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार पदाधिकारियों के अतिरिक्त गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जी हां। उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

†**श्री रघुबीर सहाय** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर वे यहां कैसे दे सकते हैं ? माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक है । इन सभी लम्बी चौड़ी बातों का यहां कैसे उत्तर दिया जा सकता है कि वे प्रोफेसर कौन-कौन हैं, विद्यार्थी कौन-कौन हैं, उन में केवल सरकारी पदाधिकारी ही हैं या कि गैर-सरकारी व्यक्ति भी, उनका पाठ्यक्रम क्या है आदि। माननीय सदस्यों को कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये। वर्ष के अंत में संस्था की सम्पूर्ण रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी।

†**श्री रघुबीर सहाय** : मैं यह कहना चाहता हूं कि कि माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि यह संस्था सामुदायिक विकास कार्यों के संबंध में विचार प्रेरणा देने के लये प्रारम्भ की गयी है । अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में किस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस संबंध में जो प्रोफेसर भाषण दे रहे हैं, क्या वे इस काम के योग्य हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि वही प्रश्न फिर से पूछा ज रहा है। माननीय मंत्री इसका उत्तर कैसे दें सकते हैं ?

जहाजों की खरीद

+

†*१२६६. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : **श्री पांगरकर** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने ५ दिसम्बर, १९५८ को निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृति पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए जैसा बताया था, सरकारी क्षेत्र में जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस संबंध में नौपरिवहन के महानिदेशक ने भारतीय राष्ट्रीय वाष्प पोत मालिक सन्या से बात-चीत की थी और बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया को जहाज सेवा चलाने की संभावनाओं की खोज करना स्वीकार कर लिया था, परन्तु यह अनुभव किया कि उस कार्य को प्रारम्भ करने से पहले उन देशों को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजना आवश्यक है ताकि इस बात का पता लगा लिया जाये कि वहां किस-किस प्रकार का सामान भेजना संभव है । इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मार्केट का रुख उस समय कैसा है और इस समय किन-किन शर्तों पर जहाज दिये जाते हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : इसी प्रयोजन के लिये ही तो हम भारतीय राष्ट्रीय वाष्प पोत मालिक सन्था के उस सुझाव को स्वीकार करने का विचार रखते हैं कि उसके लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाये। वह प्रतिनिधि मण्डल उन देशों में जाकर वहां के पत्तनों की कार्य अवस्थाओं, सामान की उपलब्धि और यातायात सम्बन्धी रुखों का अध्ययन करेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने जो कुछ कहा था उस से यह प्रतीत होता है कि जहाज़ सरकारी क्षेत्र में खरीदे जा रहे हैं। क्या सरकार इन्हें वास्तव में सरकारी क्षेत्र में खरीदने और उनकी लाभकारी शर्तों से लाभ प्राप्त करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का यह सुझाव है कि यह बेहतर होगा कि एक छोटा सा जहाज सम्बन्धी निगम स्थापित कर दिया जाये। इस बारे में हमारा यह ख्याल है कि यह काम पहले से ही चल रहा कोई सरकारी निगम चला सकता है। परन्तु उसके साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र भी इस कार्य को चलाने का विचार रखता है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में जहाज़ खरीदने का कुछ विरोध कर रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस में विरोध का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। यह तो पारस्परिक समझौते का प्रश्न है और हम विचार कर रहे हैं कि इस काम में गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना योग होगा ।

डाक-सुविधाओं का विस्तार

\+
*१२९७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री बी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में डाक-सुविधाओं के विस्तार के बारे में, जैसी कि इस काम के लिये नियुक्त समिति ने सिफारिश की थी, इस बीच क्या कोई निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा १८ फरवरी, १९५९ को जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न के उत्तर में चार पृष्ठों का एक लम्बा विवरण रखा गया है। मैंने प्रयत्न किया, लेकिन इस थोड़े समय में मैं यह नहीं समझ पाया कि पहले जो सुविधायें दी जाती थीं, उन में अब कौन सा विशेष अन्तर किया गया है। क्या माननीय मंत्री कृपा करके संक्षेप में बतायेंगे कि पहले से क्या अन्तर किया जा रहा है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में दो अन्तर तो बहुत मुख्य हैं। पहला तो यह है कि जो कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स और नैशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स के हैडक्वार्टर हैं, अथवा जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या लोकल बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल हैं, या ऐसे स्कूल हैं, जिन को सरकार द्वारा कोई मदद दी जाती है, उन स्थानों पर कुछ विशेष सुविधायें दी गई हैं फासले के बारे में---पहले तीन मील से कम डाकखाना नहीं खुल सकता था, अब ऐसे स्थानों में दो मील में भी खुल सकेगा। इस के अतिरिक्त ऐसे कदम उठाये जायेंगे, जिन के जरिये, जहां डाक देरी से पहुंचतो है या हफ्ते में नहीं पहुंच पाती है, वह जल्दी पहुंच सके। इस प्रकार की काफी विवरण की चीजें हैं, लेकिन मैं जवाब को लम्बा नहीं करना चाहता हूं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने प्रतिशत और नये डाकघर खोले जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : लक्ष्य यह निर्धारित किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २०,००० डाक घर खोले जायें। १९५६-५७ में ३,६८७ डाक घर, १९५७-५८ में २,७६५ डाक घर और १९५८-५९ में जनवरी, १९५९ तक १,६४७ डाक घर स्थापित किये जा चुके हैं।

†**श्री जाधव** : क्या इस योजना के अधीन ऐसे सभी ग्रामों में, जहां ग्राम पंचायतें हैं, डाक घर खोल दिये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ने पहले ही बता दिया है कि हमने जो सिफारिशें स्वीकार की हैं। वे क्या क्या हैं।

†**श्री वाजपेयी** : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि इस निर्णय को कार्यान्वित करने के बाद कितने डाक घर खोले जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही बता दिया है कि इस बारे में हमारा लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को बढ़ाने का हमारा कोई विचार नहीं है। हां यह अवश्य इच्छा है कि डाक खाने स्थापित करने की शर्तों को कुछ ढीला कर दिया जाये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मुख्य रूप से क्या-क्या सुविधा दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

दिल्ली में अल्पकालीन ऋण

*१२९८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में बीज खरीदने के लिये दिल्ली में अल्पकालीन ऋणों के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) यह धनराशि व्यक्तियों को दी गई अथवा सहकारी समितियों को ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) बीज खरीदने के लिये दिल्ली प्रशासन ने किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं दिये लेकिम नकद दामों के बदले बीजों का वितरण किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री नवल प्रभाकर : इस विवरण में यह लिखा है कि "बीज खरीदने के लिये दिल्ली प्रशासन ने किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं दिये लेकिन नकद दामों के बदले बीजों का वितरण किया है।" क्या मैं जान सकता हूं कि जिन इलाकों में बाढ़ आई और खेती को नुक्सान हुआ, क्या वहां भी इसी तरह किया गया है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस सम्बन्ध में पहला इन्स्टालमेंट १,५०,००० रुपये का सारे दिल्ली स्टेट के लिये दिया गया था और दूसरा इन्स्टालमेंट बाढ़ के एरियाज में खर्च करने के लिये दिया गया। यह देखा गया कि लोगों ने अल्पावधि कर्जों को ले कर उन का दुरुपयोग किया-- लोग पैसा ले कर उस से शादी करते हैं और खाना-पीना करते हैं। इसलिये बीज दिया गया। अल्पावधि कर्जे का मुख्य उद्देश्य अन्नोत्पादन बढ़ाना है। चूंकि पैसे का दुरुपयोग होता है, इसलिये बीज दिया गया, जिस का दुरुपयोग नहीं होता है।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि ऋण नहीं दिया गया और पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इन में से कौन सी बात सत्य है।

अध्यक्ष महोदय : रकम नहीं दी है।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि जहां बाढ़ आई थी, वहां खर्च करने के लिये अल्पावधि कर्जे दिये गये या नहीं और हम ने कहा कि वहां के लिये भी खर्च करने के लिये दिया। पैसा भी दिया गया और बीज के रूप में भी दिया गया।

†**श्री वाजपेयी :** क्या बीज खरीदने के लिये उन्हें कोई ऋण दिये गये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा:** उन्हें पैसा भी दिया गया और बीज भी दिये गये हैं।

†**श्री वाजपेयी :** माननीय मंत्री ने विवरण में बताया है कि नकद रुपयों की अदायगी पर उन्हें बीज दिये गये हैं। उन्हें वे बीज उधार के रूप में क्यों नहीं दिये गये थे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** तकावी भी दी गयी। अगर पैसा दिया जाता है तो कभी-कभी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिये हमने बीज दिया, जो कि सस्ते दाम से दिया गया।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री ने कहा कि हमने बीज दिया। मैं जानना चाहता हूं कि बीज किन शर्तों पर दिया गया ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वह मार्केट के दाम से डेढ़ रुपया सस्ता दिया गया।

---

† मूल अंग्रेजी में

सार्वजनिक टेलीफोन

+

†*१३००. { श्री सुबोध हंसदा :
　　　　　{ श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बड़े-बड़े नगरों में सार्वजनिक टेलीफोनों में दाशमिक सिक्के डालने की दृष्टि से उनकी पुनर्व्यवस्था कर दी गयी है; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) सारे देश में कुल १०९५ इस प्रकार की सार्वजनिक टेलीफोनों में से सिवाय ८ के शेष सभी की इस दृष्टि से पुनर्व्यवस्था कर दी गयी है।

(ख) क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी तक पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं हो सका है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि नये दाशमिक सिक्के डालने की प्रणाली ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई विशेष शिकायत नहीं आयी है। यदि माननीय सदस्य किसी शिकायत की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करें तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूंगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्योंकि यह प्रणाली नयी है और लोगों के पास अधिकतर पुराने सिक्के होते हैं, इस लिये क्या लोगों को कोई कठिनाई नहीं आ रही ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं ने अभी-अभी यह बताया है कि १०९५ में से सिवाय ८ के शेष सभी को बदल दिया गया है। जहां तक सिक्कों के कारण आने वाली कठिनाई का सम्बन्ध है, हम एक टोकन पद्धति प्रारम्भ करने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि टोकन डालने से टेलीफोन किया जा सके और इस से दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** अब उसमें कौन कौन सा सिक्का डालना पड़ता है ?

†**श्री राज बहादुर** १० नये पैसे और ५ नये पैसे के सिक्के।

मेडिकल कॉलिजों में प्रवेश

†***१३०१. श्री हेम राज :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कालेजों में संक्षेपित एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये सुविधायें विद्यमान हैं, उनमें अन्य राज्यों के छात्रों को दाखिल करने के सम्बन्ध में क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इन कालेजों ने आवास सम्बन्धी शर्त अनिवार्य बना दी है ; और

(ग) यदि हां, तो अब शर्त को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जहां तक जानकारी उपलब्ध हुई है, संक्षेपित एम० बी० बी० एस० कोर्स के प्रवेश के लिये कोई आवास सम्बन्धी शर्त तो नहीं है, परन्तु अन्य राज्यों से आने वाले छात्र उन कालेजों के प्रवेश पाने में इस लिये कठिनाई अनुभव करते हैं कि उन कालेजों में सीटों की संख्या सीमित होती है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में स्थित मेडिकल कालेज प्रवेश के लिये आवास सम्बन्धी शर्त के लिये अनुरोध कर रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैंने कहा है, अन्य राज्यों में रहने वाले छात्र दूसरे राज्यों में स्थित मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं । दूसरे शब्दों में कालेज प्रायः उसी राज्य के रहने वाले छात्रों को ही दाखिल कर रहे हैं ।

†**श्री हेम राज** : क्या इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : मैं नहीं समझता कि इस का मूल अधिकारों पर कुछ असर पड़ता है ।

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन** : उन कालेजों में दाखिला किस आधार पर किया जाता है ?

†**श्री करमरकर** : इस आधार पर कि वे दाखिला प्राप्त करने के लिये अर्ह हों । एम० बी० बी० एस० के सम्पूर्ण कोर्स के अतिरिक्त उसका एक संक्षिप्त कोर्स भी है । कुछ लोग पहले एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त कोर्स कर लेते हैं और फिर डिग्री कोर्स की परीक्षा में बैठ जाते हैं । अतः उन्हें कालेज में दाखिल होने के लिये विशेष प्रकार की अर्हता प्राप्त करनी पड़ती है ।

†**श्री हेम राज** : यदि कोई राज्य, जहां यह कोर्स नहीं चल रहा है, उसे चलाना चाहे तो क्या केन्द्रीय सरकार उसे सहायता देगी ?

†**श्री करमरकर** : इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता । इस प्रकार का कोई सुझाव आने पर हम उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

†**श्री नंजप्पा** : क्या इन कालेजों में दाखिल होने वाले छात्रों के लिये यह आवश्यक है कि वे किसी अस्पताल में विशेष भाषणों में उपस्थित रहें और रोगियों की सेवा शुश्रूषा करें ?

†**श्री करमरकर** : अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिये और पूरी डिग्री कोर्स की परीक्षा में बैठने के लिये ऐसा करना आवश्यक है ।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ सीटें सुरक्षित रखी जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** मुझे इस बारे में इस समय ज्ञान नहीं है। इन कालेजों में प्रवेश राज्य सरकारों के निर्देश में किया जाता है। इस विशेष प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री तिम्मय्या :** यह संक्षिप्त कोर्स किस-किस राज्य में चल रहा है और क्या उन राज्यों के छात्रों को, जहां इस-प्रकार के कोर्स नहीं हैं, इन कालेजों में प्रवेश पाने का कोई अवसर है?

†**श्री करमरकर :** जैसा कि मैंने बताया है इन कालेजों में प्रवेश सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। निम्नलिखित कालेजों में यह कोर्स चल रहा है :—

एस० एम० एस० कालेज, जयपुर; एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इंदोर; जी० आर० मेडिकल कालेज, ग्वालियर; आसाम मेडिकल कालेज डिब्रूगढ़; मेडिकल कालेज, नागपुर; मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम; मेडिकल कालेज, मनीपुर।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या अन्य राज्यों के रहने वाले छात्र भी इन में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे?

†**श्री करमरकर :** यह तो सम्बन्धित कालेजों पर निर्भर करता है। हमने उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं समझा है। इस सम्बन्ध में पंजाब के मेडिकल कालेज के बारे में कुछ कठिनाई थी। इसीलिये हमने पंजाब सरकार को लिख दिया था कि वह इस बात का ध्यान रखे कि लुधियाना कालेज से पास होने वाले छात्रों के लिये कुछ किया जाये। परन्तु साधारणतया हमने राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप न करने की ही नीति बनायी है।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया था कि केवल ७ कालेजों में ही संक्षिप्त कोर्स की सुविधायें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में मेडिकल शिक्षा की मांग बढ़ रही है। माननीय मंत्री ने मेडिकल शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है?

†**श्री करमरकर :** हमारे पास इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य से कोई विशेष शिकायत नहीं आयी है। केवल पंजाब से शिकायत आयी थी। उस मामले पर हमने अच्छी प्रकार से विचार किया था। वैसे तो हम किसी भी राज्य के मामलों में दखल नहीं देते। परन्तु यदि कोई राज्य मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये हमें लिखेगा, हम उनके सुझाव पर सहानुभूति-पूर्ण दृष्टि से विचार करेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह :** तो क्या इसका यह अर्थ है कि संक्षिप्त कोर्स पर राज्यों का एकाधिकार है और केन्द्रीय सरकार स्वयं शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के लिये कुछ भी नहीं करेगी यद्यपि देश में उसकी इतनी अधिक मांग है?

†**श्री करमरकर :** हम यह चाहते हैं कि मेडिकल शिक्षा का सम्पूर्ण देश में विस्तार तथा विकास हो। परन्तु इस दिशा में राज्य सरकारें ही कार्य प्रारम्भ करती हैं। इन कालेजों की स्थापना . . . .

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो मैंने पूछा ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब भी कोई राज्य इस दिशा में कार्य प्रारम्भ करता है, केन्द्रीय सरकार उसकी सहायता करती है। केन्द्रीय सरकार स्वयं कार्य प्रारम्भ नहीं करती।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं वास्तव में यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में भी केन्द्रीय सरकार इस संक्षिप्त कोर्स को प्रारम्भ कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन इस प्रकार के कोई कालेज हैं ?

†**श्री करमरकर :** हमने केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के दो छात्रों के संक्षिप्त दाखिले की व्यवस्था कर दी है। केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं आयी है कि छात्रों को दाखिला नहीं मिला है। यदि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का कोई छात्र दाखिला चाहता है, तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, हम उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहते। परन्तु यदि किसी राज्य के सामने कोई कठिनाई आ जाये या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें आयें तो उस स्थिति में हम उनकी सहायता कर सकते हैं, हम उनके मामले पर सहानुभूति-पूर्ण दृष्टि से विचार कर सकते हैं। परन्तु सामान्यतया उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहते।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश के अनुसार एम० बी० बी० एस० कोर्स की अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** मेरा ख्याल है कि छः मास का अन्तर पड़ा है। परन्तु इस प्रश्न का संक्षिप्त कोर्स से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी यातायात सर्वेक्षण

†१३०४. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है।

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं ने बताया है कि रिपोर्ट पूरी तो हो गयी है, परन्तु अभी हमारे पास नहीं आयी है।

†**श्री संगण्णा :** वह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, परन्य आशा है वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही : इस समिति द्वारा उड़ीसा की किस-किस अन्तर्देशीय परिवहन पद्धति की जांच की गयी थी ?

†श्री राज बहादुर : चार परियोजनाओं की—केन्द्र पाड़ा नहर, तलडाना नहर, कटक से दीनापुर तक की हाई लेवल नहर और सम्बलपुर से औलपुर और औलपुर से समुद्र तक जाने वाली महानदी नहर ।

†श्री पाणिग्रही : क्या समिति ने इन में किसी परियोजना को प्राथमिकता दी है ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक यातायात सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, मैं इसका उत्तर इस समय नहीं दे सकता । परन्तु इस का सामान्तया उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में तलडाना और केन्द्र पाड़ा नहरों को प्राय: अधिमान दिया जाता है ।

†श्री संगण्णा : भारत सरकार और उड़ीसा सरकार ने तटवर्ती सर्वेक्षण के बारे में क्या योजना बनायी है ?

†श्री राज बहादुर : मुझे नहीं ज्ञात कि कोई ऐसी योजना हो जिस से सम्पूर्ण देश के तटों का सर्वेक्षण किया जा सके ।

दिल्ली में रिंग रेलवे

+

†*१३०७. श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री सुबिमन घोष :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उपनगरीय सर्विस को दिल्ली मेन स्टेशन तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) क्या दिल्ली उपनगरीय सर्विस के अधीन अधिक जल्दी-जल्दी गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). फिलहाल नहीं ।

†श्री सुबिमन घोष : क्या ए० जी० सी० आर०, सी० बी० आर०, सी० ए० जी०, सुप्रीम कोर्ट और इन्कम टैक्स विभाग के बहुत से कर्मचारियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि गाड़ी के छूटने के समय को ८–२७ के स्थान पर ६ : १५ कर दिया जाये ?

†श्री शाहनवाज खां : मुझे ऐसे किसी विशेष अभ्यावेदन के बारे में पता नहीं है । यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

†श्री वाजपेयी : माननीय मंत्री ने बताया है कि इस प्रकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है । क्या निकट भविष्य में इसे लेने की कोई आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : हम दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर नये प्लेटफार्म बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि और अधिक गाड़ियां वहां आ सकें। इनके पूरा हो जाने पर संभवतः हम इस योजना को लागू कर सकेंगे।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री को ज्ञात है कि दिल्ली में परिवहन के सम्बन्ध में बड़ी भारी कठिनाई है और इसलिये इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समय विनय नगर, नई दिल्ली, दिल्ली मेन और दिल्ली किशन गंज स्टेशनों के बीच ५ गाड़ियां चल रही हैं और दिल्ली के आस पास एक रिंग रेलवे चलाने का भी हमारा विचार है। माननीय रेलवे मंत्री ने बजट चर्चा के समय रेलवे की स्थिति पर प्रकाश डाला था। स्थानीय परिवहन मुख्य रूप से स्थायी प्राधिकारियों द्वारा चलाया जायेगा। सड़क परिवहन के सम्बन्ध में भी हमारा ख्याल है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों की संख्या बढ़ायी जा रही है।

†**श्री असार हरवानी** : क्या दिल्ली की उपनगरीय रेलों को बिजली से चलाने के बारे में कोई योजना है?

†**श्री शाहनवाज खां** : फिलहाल नहीं।

श्री नवल प्रभाकर : पिछली दिल्ली विधान सभा ने भी सर्व सम्मति से इस तरह का प्रस्ताव कर के मांग की थी और इसके अतिरिक्त जो अब वर्तमान सलहकार समिति है दिल्ली की उस ने भी यह मांग की है कि यहां यह होना चाहिये। लेकिन आप ने कहा कि अभी यह नहीं होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आखिर कठिनाई क्या है जिस से कि यह अभी नहीं होगा?

श्री शाहनवाज खां : इस में सब से बड़ी कठिनाई तो यह है कि जो नई दिल्ली और दिल्ली मेन के स्टेशन हैं, उन में ज्यादा गाड़ियों के रखने की जगह नहीं है।

परिवार नियोजन

+
†*१३०९. { **श्री जाधव** :
श्री उस्मान अली खां :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता जीवाणु संस्था में एक खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई बनाई गयी है जो काफी सस्ती है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में परिवार नियोजन आन्दोलन के सम्बन्ध में इस का प्रयोग करेगी; और

(ग) इस गर्भ-निरोधक दवाई का क्या मूल्य है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं। तथापि, अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था में खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई के बारे में जांच हो रही है जो मूलरूप से कलकत्ता जीवाणु संस्था में बनायी गयी थी।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जी, हां । जांच के पूरा हो जाने पर ।

(ग) १०० मिलीग्राम वाली एक गोली का मूल्य १० नये पैसे है । एक बार में तीन गोलियां (३०० मिलिग्राम) खानी पड़ती हैं ।

†**श्री जाधव :** इन गर्भ-निरोधक दवाइयों के कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री करमरकर :** इस पर प्रयोग पूरा हो जाने पर उनका व्यापार के लिये निर्माण किया जायगा और उपलब्ध हो सकेंगी परन्तु यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों, तो मैं उनको कुछ दे सकता हूं । (हंसी)

†**एक माननीय सदस्य :** यह ठीक नहीं है ।

†**श्री करमरकर :** यह मैंने केवल मजाक में ही नहीं कहा था । हम इस बारे में विश्वसनीय प्रयोग करना चाहते हैं । कई बार हमारे प्रयोग अंशतः निरर्थक सिद्ध होते हैं । अतः यदि मेरे माननीय मित्र अति इच्छुक हों तो मैं उनको गोलियां दिला दूंगा जिससे विश्वसनीय बात का पता लग सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय तो यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य इसका प्रयोग करना चाहें तो वह उन्हें गोलियां देने को तैयार हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ये प्रयोग किसी कस्बे और शहर के बस्ती क्षेत्र में किये जा रहे हैं या किसी ग्रामीण क्षेत्र में और इससे कितनी सफलता का पता लगा है ?

†**श्री करमरकर :** अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था के तत्वावधान में इसका २०७ मामलों में प्रयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत तक गर्भ-धारण को रोका जा सका । केवल इतना ही प्रयोग पर्याप्त नहीं है । हाल ही में हम ने यह निश्चय किया है कि जनता के समक्ष विश्वसनीय परिणाम रखने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों समेत इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाये ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या सरकार ने परिवार नियोजन समस्या की अत्यधिक महत्ता को देखते हुए सब राजनीतिक दलों और विशेषतः भारत के साम्यवादी दल से सहयोग प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही कोई उपाय अपनाये हैं या अपनायेगी जिससे उनकी संख्या न बढ़ सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा ।

†**डा० मेलकोटे :** क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि गर्भ-निरोधक औषधि का शरीर पर कोई बुरा असर तो नहीं होता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या किसी हानिकारक प्रभाव का पता लगा है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक इस विशेष गोली का सम्बन्ध है, इसका छः, सात महीनों तक प्रयोग किया गया । किसी बुरे प्रभाव का पता नहीं लगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** कलकत्ता की जीवाणु संस्था के डाक्टर सान्याल इस खाई जाने वाली औषधि के बारे में परीक्षण कर रहे हैं और इस गर्भ-निरोधक औषधि के प्रभाव के बारे में उन्होंने कुछ प्रतिशत सफलता का पता लगाया है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा डा० सान्याल को इस विषय में और अनुसन्धान करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : संक्षेप में यह वही प्रयोग है जिसका उल्लेख किया गया है और हम ने डा० सान्याल को जितनी वित्तीय सहायता वे चाहते थे, वह दी। वस्तुतः वह ही इन गोलियों को सफलता-पूर्वक तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब विस्तार में जा रहे हैं। जहां तक डा० सान्याल का सम्बन्ध है, जो कुछ भी वह चाहते हैं, वह उनको सरकार द्वारा दिया जाता है।

†**श्री हेम बरूआ** : डा० सान्याल राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ठीक है। इसे कोई अस्वीकार नहीं करता। सरकार को इसका पता है, सरकार उनके परीक्षणों से लाभ उठा रही है और रुपया दे रही है।

†**श्री गोरे** : कल हम को बताया गया था कि अणु शक्ति आयोग कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को परिवार नियोजन के लिये उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों के बारे में है।

†**श्री गोरे** : आइसोटोप्स का प्रयोग।

†**श्री करमरकर** : गर्भ-निरोधक औषधियों के बारे में अणु शक्ति आयोग से हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

खाद्यान्न के परिवहन आदि के ठेके

+

†*१३१०. { **श्री वाजपेयी** :
श्री सरजू पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोहाटी, आसाम में खाद्यान्न के हस्तन (हैंडलिंग) और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के ठेके देने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विचार पर जांच हो रही है।

†**श्री वाजपेयी** : २३ दिसम्बर, १९५८ को यह प्रश्न उठाया गया था और तब मंत्री महोदय ने बताया था कि जांच की जा रही है। जांच में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

†**श्री अ० म० थामस** : यह अभी चल रही है। स्वयं जांच के हित में भी यह बताना उचित न होगा कि किस प्रकार की जांच की जा रही है और इस समय यह किस प्रक्रम पर है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि इस विशेष मामले में उस पक्ष को टेंडर नहीं दिये गये जिसने न्यूनतम टेंडर भेजे थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : यह ठीक नहीं है । वर्तमान ठेकेदार को कलकत्ता के रीजनल डाइरेक्टर और वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद ठेका दिया गया और उनका ही टेंडर न्यूनतम माना गया ।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि मंत्रालय के कलकत्ता कार्यालय ने किसी विशेष ठेकेदार को ठेका देने का सुझाव दिया था परन्तु दिल्ली कार्यालय ने यह अन्य ठेकेदार को दिया ?

†श्री अ० म० थामस : यह उचित नहीं है कि . . . .

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : समूचे विषय की जांच हो रही है और विभागीय जांच से भी अधिक जांच हो रही है । अतः यहां इस विषय के बारे में विस्तार से विचार करना उचित नहीं है ।

†श्री वाजपेयी : जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†श्री अ० प्र० जैन : क्योंकि अब यह मेरे मंत्रालय के हाथों में नहीं है, अतः यह कहना कठिन है ।

†श्री हेम बरुआ : इस ठेके के सम्बन्ध में भ्रष्ट उपायों के अन्तर्ग्रस्त होते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग से इस विषय की जांच करने को कहा है; और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैं बता चुका हूं कि यह विभागीय जांच से भी अधिक है । हमें इस पर विस्तार से बहस नहीं करनी चाहिए ।

मेकरोनी निर्माण संयंत्र ‡

+

†*१३१३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मेकरोनी निर्माण संयंत्र की स्थापना करने की ओर क्या प्रगति हुई है;

(ख) संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् नई दिल्ली, द्वारा बनाई गयी एक टेक्निकल समिति संयंत्र के ब्योरे, संभरण के संसाधन और परियोजना के अन्य पहलुओं की परिनिरीक्षा कर रही है । समिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

†श्री अ० क० गोपालन : संयंत्र विदेशों से मंगाना पड़ेगा या यह भारत में बनाया जा सकता है ?

†श्री अ० म० थामस : जहां तक सम्भव है, हम इसके हिस्सों में यहां बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु फिर भी काफ़ी मात्रा में हिस्से आयात करने पड़ेंगे और इसमें कुछ विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ।

†श्री अ० क० गोपालन : इस विनियोजन में केन्द्रीय सरकार का क्या अंश है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Macoroni Manufacturing Plant.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमने सिद्धान्त रूप से प्रस्थापनायें स्वीकार कर ली हैं और हम हर सम्भव सहायता करेंगे; परन्तु हमने टेक्निकल अथवा वित्तीय किसी प्रकार का ब्यौरा तैयार नहीं किया है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता का फैसला कर लिया गया है?

†**श्री अ० म० थामस** : यह लगभग २० टन प्रति दिन होगी।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रति दिन या प्रति पाली?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रति दिन।

†**श्री वें० प० नायर** : यह बहुत थोड़ी है।

धान का समाहार[1]

†*१३१४. **श्री मणियंगाडन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल से धान का समाहार करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केरल में धान का समाहार करने के लिये केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : चावल और धान का समाहार करने के लिये कितने राज्यों ने योजनायें भेजी हैं?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि सदन को ज्ञात है, हम केन्द्रीय सरकार के खाते पर पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाहार कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, आसाम मद्रास की राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं। हमने उनकी योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है और वे भी अपने खाते पर समाहार कर रहे हैं। मैसूर भी समाहार कर रहा है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केरल और बम्बई के अतिरिक्त सब चावल पैदा करने वाले राज्य अपने या केन्द्र के खाते पर समाहार कर रहे हैं अथवा केन्द्र उन राज्यों में समाहार कर रहा है।

मालगाड़ी की टक्कर

†*१३१६. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री वारियर : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ फरवरी, १९५९ को पूर्व रेलवे पर सोलनपुर के निकट समपार पर एक ट्रक मालगाड़ी से टकरा गया; और

†मूल अंग्रेजी में

[1] Procurement.

(ख) यदि हां, तो हताहतों की क्या संख्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (ग) जी हां।

(ख) मारे गये . . . . ४ } ये सब व्यक्ति ट्रक में
घायल . . . . १ } थे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या समपार पर कोई फाटक न था और यदि था तो क्या वह खुला हुआ था, यदि वह खुला न होता तो एक ट्रक माल गाड़ी से कैसे टकरा सकता था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस फाटक पर कोई आदमी नहीं रहता।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** जांच की गयी है।

†**श्री हेम बरूआ :** यदि इस फाटक पर कोई आदमी नहीं रहता, तो इस फाटक का क्या प्रयोजन है ? क्या यह बिजली से चलता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्यों कि यहां पर यातायात अधिक नहीं है, अत: इस सम पार पर आदमी नहीं रखा गया।

†**श्री वें० प० नायर** फाटक किस प्रकार खुलता और बन्द होता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस समपार पर कोई आदमी नहीं रहता।

†**श्री वें० प० नायर :** यदि कोई फाटक नहीं होता तो भी यह बात समझ में आ सकती थी। परन्तु जब वहां पर फाटक है और उस पर कोई आदमी नहीं रखा जाता है तो आप ट्रक ड्राइवर से यह आशा किस प्रकार रखते हैं कि वह जाये, इसे खोले और फिर वहां से गुजरे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह 'ग' श्रेणी का समपार है ; इस पर कोई आदमी नहीं रखा जाता।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय यह कहें कि वहां पर फाटक है या नहीं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वहां पर कोई फाटक नहीं है और न ही कोई आदमी रहता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि यह खुला समपार है जिस पर न कोई द्वार है और न फाटक।

†**श्री वें० प० नायर :** हमने केवल यह सुना कि वहां कोई आदमी नहीं रखा जाता।

रामपुर में रजा और बुलन्द शुगर फैक्टरियां

†१३१८. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर में रज़ा और बुलन्द शुगर फैक्टरियों को खोलने के बारे में **केन्द्रीय सरकार** द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, क्या ; और

(ग) तालाबन्दी के दौरान गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख) पता लगा है कि रजा और बुलन्द शुगर फैक्टरियों ने क्रमश : ४ और १० मार्च, १९५९ से गन्ना पेरना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) जी, कुछ नहीं । गन्ना नियंत्रित दरों पर आस पास की अन्य चीनी मिलों को भेज दिया गया ।

†**श्री सं० अ० मेहदी :** क्या इस हड़ताल के दौरान हुई हानि के लिये उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को कोई सहायता दी गयी है ।

†**श्री अ० म० थामस :** हमारी जानकारी के अनुसार गन्ना आस पास के कारखानों को दे दिया गया और गन्ना उत्पादकों को उसके लिये नियंत्रित मूल्य दिया गया । फिर भी इन कारखानों को कुछ हानि हुई थी और उस हानि का अनुमान लगभग १० लाख रुपये लगाया है ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार को विश्वास हो गया है कि उस क्षेत्र में जितना भी गन्ना पैदा होता है, वह वास्तव में अन्य चीनी मिलों को दे दिया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमें यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** वास्तव में इस वर्ष पश्चिमी जिलों में गन्ने की बहुत कमी है और गन्ने के बिना पेरे हुए बचे रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** दोनों मिलों में हड़ताल और तालाबन्दी के क्या कारण थे ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** श्रम विवाद ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** किन शर्तों पर तालाबन्दी समाप्त की गयी है और क्या निबटारा हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कोई शर्तें नहीं हैं । क्योंकि वहां अवैध हड़ताल हुई अतः तालाबन्दी की घोषणा कर दी गयी । तालाबन्दी वैध थी । बाद में ७ मार्च, १९५९ को श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गयी और फिर बाद में कारखाने खुल गये ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दूसरी मिल में यह शुगरकेन गया वह इस मिल से कितनी दूर थी और दूर होने के कारण क्या किसानों को उसके लिए कुछ अधिक किराया दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अलग है । यह मूल्य प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अ० म० थामस :** आस पास के कारखाने कितनी दूर थे इस के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** अन्य मिलों को गन्ना दिया जाना कैसे सम्भव हो सका ?

†**श्री अ० म० थामस :** सामान्य परिवहन द्वारा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने बताया है कि कारखाने खुल गये और श्रमिक काम पर वापस आ गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी कारखानों के अधिकारियों ने सब श्रमिकों को स्वीकार कर लिया है या उन्होंने कुछ को निकाल दिया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया गया है और उसने ६ दिसम्बर, १९५८ को प्रतिवेदन दे दिया है। उसने सिफारिश की है कि सब श्रमिकों को जिनकी आय १०० रुपये मासिक तक है ५ प्रतिशत के हिसाब से और कम से कम ३ रुपये की अन्तरिम सहायता दी जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या सब श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली–आगरा रोड

†*१३१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों से ताज देखने जाने वाले पर्यटकों के लिये दिल्ली—आगरा रोड को मोटर चलने योग्य ठीक हालत में रखने के लिये संयुक्त रूप से कार्य करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारें ऐसा करने को सहमत हो गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). दिल्ली-आगरा रोड एक राष्ट्रीय राजपथ है। यद्यपि इसकी देखभाल पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों की मार्फत करायी जाती है तथापि इसकी सीधी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। सड़क पिछली वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गयी थी और सम्बन्धित राज्य सरकारों से अपने अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर मरम्मत कार्य कराने को कहा गया था। उनको आवश्यक निधि दे दी गयी है। सड़क मोटर चलने योग्य हो गयी है और बाकी कार्य चल रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस सड़क का जो भाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, क्या उसकी पूरी तरह मरम्मत हो गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया है कि इस सड़क का लगभग २५ मील लम्बा भाग क्षतिग्रस्त हो गया था और सड़क को मोटर चलने योग्य अच्छी हालत में बना दिया गया है और बाकी कार्य चल रहा है।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार का दोहरी सड़क बनाने का कोई विचार है जिससे दिल्ली और आगरा के बीच यातायात में सुविधा हो और क्या यह जर्मन आटोबान[1] के अनुरूप होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] German Autobahn.

†**श्री राज बहादुर :** यह बहुत सुन्दर विचार है और तीसरी योजना के प्रस्ताव बनाते समय इस को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून-जुलाई में जो बरसात आने वाली है उससे पहले ही यह सड़क ठीक हालत में हो जायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैंने निवेदन किया कि सड़क अभी भी ठीक हालत में कर दी गई है मामूली रिपेयर्स करा दिये गये हैं । इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से यह कह दिया गया है कि वह सात मील का जो बहुत नीचा टुकड़ा है उसको ऊंचा कराने के वास्ते तखमीना तैयार करे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस सड़क के स्तर को ऊंचा उठाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं बता चुका हूं कि उस सड़क का लगभग ७ मील लम्बा हिस्सा ऊंचा किया जाना है ।

कुतुब मीनार जाने वाली सड़क पर बिजली की रोशनी

*१३२१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे से आगे कुतुब मीनार जाने वाली सड़क पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है :

विवरण

कुतुब रोड पर खुश्क नाला तक बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है । इस बीच खुश्क नाला से यूसुफ़ सराय बाजार तक सड़क पर बिजली की रोशनी के प्रबन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से फण्ड प्राप्त होने पर नई दिल्ली नगर पालिका इस कार्य को करेगी ।

जहां तक यूसुफ सराय बाजार से आगे वाली कुतुब रोड के हिस्से का सम्बन्ध है यह दिल्ली नगर निगम की सीमा में पड़ता है और निगम ने बताया है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाने वाला है और शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि यद्यपि इस सवाल को पूछे हुए करीब डेढ़ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में विचार ही हो रहा है । चूंकि इस सड़क पर बहुत यातायात है तो क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जायेगी ?

†**श्री करमरकर :** मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता की सराहना करता हूं । वास्तव में मैं ने स्वयं ही यह कहा कि यह कार्य यथासम्भव शीघ्र होना चाहिये । मेरे विचार में यह प्रश्न नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है और उन्हों ने बताया है कि इस कार्य के चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और यह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस का जो हिस्सा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अन्तर्गत है वह तो सीधे भारत सरकार के अधीन है फिर और उसे क्यों नहीं जल्दी बनाया जाता ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : लोक निर्माण विभाग से निधि प्राप्त होने पर नई दिल्ली नगरपालिका इस कार्य को करेगी । मैं दोनों संगठनों से इस को शीघ्र कराने का प्रयत्न करूंगा ।

राजस्थान नहर परियोजना

†*१३२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के लिये स्वीकृत ६६'४७ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत कौन वहन करेगा ;

(ख) परियोजना में केन्द्र का क्या अंशदान है और उस की क्या जिम्मेवारियां हैं ; और

(ग) क्या परियोजना और निर्माण-कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में संसद् सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों से परामर्श लिया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) परियोजना की समूची लागत राजस्थान सरकार को वहन करनी पड़ेगी क्योंकि इस परियोजना से वह ही लाभ उठायेगी ।

(ख) इस परियोजना पर खर्च करने के लिये केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को ऋण दे रही है । परियोजना को अच्छी प्रकार, मितव्ययतापूर्वक और शीघ्र तैयार करने के विचार से, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू० ३–२६(४)/५८, दिनांक १९-१२-५८, के द्वारा, जिस की प्रति २७-२-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४८ के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गई थी, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री की अध्यक्षता में एक निर्देशन समिति और राजस्थान नहर बोर्ड स्थापित किया गया है जिस में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं ।

(ग) परियोजना की एकीकृत योजना के बनाने में टेक्निकल मामले अन्तर्ग्रस्त हैं और इसलिये संसद् सदस्यों और राज्य विधान-मण्डलों से योजना के ब्यौरे पर बातचीत करने की प्रक्रिया नहीं है । तथापि उन से यदि कोई सुझाव प्राप्त होगा तो हम उस का स्वागत करेंगे और उन को सदैव, यथा आवश्यक, प्रगति और प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते रहेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ६० करोड़ रुपये की समूची लागत राजस्थान राज्य वहन करेगा, परियोजना के प्रशासन में पंजाब सरकार का हाथ क्यों रहेगा, राजस्थान सरकार का क्यों नहीं ?

†**श्री हाथी** : प्रथम १२५ मील पंजाब क्षेत्र में पड़ते हैं । अतः वे भी कार्यकारी अधिकारी हैं और उन्हें भी परियोजना पर कार्य करना पड़ेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने राजस्थान क्षेत्र में परियोजना की क्रियान्विति के बारे में पूछा था । राजस्थान राज्य में परियोजना क्रियान्वित करने के लिये कंट्रोल बोर्ड में एक्जेक्यूटिव अधिकारी कौन हैं ? क्या पंजाब राज्य को इस में पूर्ण रूप से कुछ कहने का अधिकार है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : पूरी स्थिति इस प्रकार है कि लाभ निस्सन्देह राजस्थान को होगा। परन्तु पहले १२५ मील पंजाब के प्रदेश में आते हैं और जब तक पंजाब सरकार कार्य नहीं करती है, राजस्थान के लिये लाभ प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि १२५ मील का हिस्सा पंजाब क्षेत्र में आता है, अतः उन का सहयोग अति आवश्यक है और इसीलिये जो निर्देश समिति नियुक्त की गई है, सिंचाई और विद्युत् मंत्री उस के अध्यक्ष हैं और पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्री उस के सदस्य हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या पूरी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ? मुझे ब्यौरे की चिन्ता नहीं है परन्तु योजना के सामान्य पहलुओं के बारे में है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संसद् और विधान-मण्डलों से परामर्श लिया जायेगा ?

†श्री हाथी : मैं विवरण के भाग (ग) में यह बता चुका हूं। जहां तक टेक्निकल पहलुओं का सम्बन्ध है, संसद् सदस्यों और विधान-मण्डलों के सदस्यों से परामर्श लेने की प्रक्रिया नहीं है। जहां तक उपयोग और अन्य बातों का सम्बन्ध है, उन के सुझावों का स्वागत किया जायेगा ; परन्तु टेक्निकल पहलुओं पर नहीं।

†श्री ब्रज राज सिंह : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या १३२३ का उत्तर दिया जाये। हमें इस विषय पर सारे भारत से २५० तार प्राप्त हुए हैं। इस का उत्तर दिया जाये। यह श्री संगण्णा के नाम में है।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। प्रति दिन ही ऐसा होता है। माननीय सदस्य छपी हुई कार्यवाही में उत्तर पढ़ लें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में विद्युत् परियोजनायें

†*१२९०. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन चम्बा के निकट साइन नदी पर ६०,००० किलोवाट का स्टेशन स्थापित करने का विचार कर रहा है जिस पर ७·२ करोड़ रुपया खर्च होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) स्योल नदी पर एक परियोजना के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) लगभग १·५ मील लम्बी चैनल से पानी का मार्ग बदल कर यह सम्भव है कि जल विद्युत् पैदा करने के लिये पानी को १३०० से १५०० फुट की ऊंचाई से गिराया जा सके जिससे ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जाये।

इस समय निम्नतम निकासी लगभग १५० क्यूसैक्स है परन्तु एक बांध का निर्माण कर देने से वह ४५० क्यूसैक्स हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्र उच्चस्तर नहर

†*१२६६. { श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिड-पेनार-योजना पर, जो तुंगभद्र उच्चस्तर नहर का अंग है, कितनी लागत का अनुमान है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकेगी ;

(ग) क्या निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) लगभग किस वर्ष में यह योजना चालू हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग ३८० लाख रुपये। प्रथम प्रावस्था में लगभग २८६ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे ।

(ख) प्रथम प्रावस्था के पूरे हो जाने पर लगभग ८४,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी ।

(ग) राज्य सरकार ने अभी निर्माण का प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया है ।

(घ) इस का पूरा होना निर्माण के प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम और निधि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

अगरताला का विकास

†*१३०२. **श्री दशरथ देब** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने अगरताला के विकास के लिये एक योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ;

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये अनुमानतः कितनी राशि अपेक्षित है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). एक विवरण, जिस में अगरताला नगर के विकास के लिये त्रिपुरा प्रशासन द्वारा सुझाई गई योजनायें और उन पर की गई कार्यवाही बताई गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८**]

रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों और समाचारपत्रों की बिक्री

†*१३०३. **श्री याज्ञिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्वीलर एण्ड कम्पनी ने, जिन्हें पश्चिम रेलवे के गुजरात सैक्शन के रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकें और समाचार पत्र बेचने का एकमात्र अधिकार है, अहमदाबाद-खेड-ब्रह्मा लाइन पर ऐसी सामग्री बेचने की व्यवस्था नहीं की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस लाइन पर किन्हीं अन्य लोगों ने समाचारपत्र बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ग) क्या गत कई वर्षों से इन लोगों को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं जिस के फलस्वरूप इस लाइन पर सफर करने वाले लोगों को समाचारपत्र नहीं मिलते ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिम रेलवे प्रशासन ने मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ किये गये करार की वर्तमान शर्तों के अधीन अन्य लोगों से लाइसेंस की प्रार्थनायें स्वीकार नहीं की जा सकतीं थीं ।

यह विचार किया जा रहा है कि उन स्टेशनों पर समाचारपत्र आदि बेचने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायें ?

मनीपुर में बन्दोबस्त का काम

†*१३०५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर घाटी में बन्दोबस्त का काम शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण की जाने वाली भूमि का वर्गीकरण किया गया है या नहीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

रूरकेला–तलचेर रेलवे लाइन

†*१३०६. **श्री प्र० ग० देब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में रूरकेला से तलचेर बरास्ता बारकोट रेलवे लाइन बनाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) रूरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हो जाने के बाद उक्त प्रयोजन के लिये निधि की व्यवस्था करने के काम को क्या प्राथमिकता दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) रूरकेला तलचेर लाइन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है परन्तु इस रूट का २३ मील लम्बा हिस्सा, जो रूरकेला से पंटसई तक है, रूरकेला से डुमरगाव लाइन में पड़ता है जो कि लौह-अयस्क को इस्पात कारखाने तक पहुंचाने के लिये बनाई जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेज़ी में

भाखड़ा परियोजना पर दौलत समिति प्रतिवेदन

†*१३०८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा निर्माण कार्यों के व्यय तथा निर्माण सम्बन्धी दौलत समिति की उपपत्तियों के बारे में १८ फरवरी, १९५९ से दिल्ली हिन्दुस्थान स्टैण्डर्ड में प्रकाशित हुए समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

(ख) क्या पंजाब सरकार ने समिति की सिफारिशों पर निश्चय करने से पूर्व एक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा था क्योंकि पूंजी की व्यवस्था मुख्यत: भारत सरकार करती है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को क्या मंत्रणा दी; और

(ङ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये पंजाब सरकार से प्रार्थना की । पंजाब सरकार ने जो कार्यवाही की थी उस की सूचना भारत सरकार को भेज दी गई थी ।

(ङ) उपलब्ध होते ही प्रतिवेदन की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

ग्लाइडिंग सेंटर

†*१३११. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो १० ग्लाइडिंग सेंटर स्थापित किये जाने वाले थे उन में से अब तक कितने केन्द्र खोले जा चुके हैं; और

(ख) उन की स्थापना कहां की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). द्वितीय योजना काल में पहले तीन वर्षों में और ग्लाइडिंग सेन्टर स्थापित नहीं किये जा सके क्यों कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण ग्लाइडिंग उपकरण की कमी रही ।

श्रमिक समिति[1]

†*१३१२. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में श्रमिक समिति की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committee.

विवरण

(क) और (ख). भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में श्रमिक समिति की स्थापना करने के लिये कार्यवाही की गई है। क्योंकि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में कर्मचारियों के १२ वर्ग हैं इस लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रमिक आयुक्त से यह निर्णय करने के लिये कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजन के लिये कर्मचारियों के किन-किन वर्गों को "श्रमिक" माना जाये। उन कर्मचारियों के अतिरिक्त जो भारतीय कृषि गवेषणा संस्था कृषि तथा औद्योगिक श्रमिक संघों के सदस्य हैं संस्था में विभिन्न विभागों के मतदाताओं की एक सूची तैयार की गई है। इस संघ के अध्यक्ष से कहा गया है कि वह श्रमिकों की एक सूची भेजे जैसा कि अधिनियम की धारा ३५ द्वारा अपेक्षित है। संघ के अध्यक्ष से यह जानकारी मिलने के बाद श्रमिक समिति बनाई जायेगी।

हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु

†*१३१५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस के कारणों का पता लागाने के लिये कोई गवेषणा की गई है कि हृदय की गति रुकने से अधिक लोग क्यों मरने लगे हैं ;

(ख) क्या हृदय की गति रुकने से लोगों को मरने से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां। गवेषणा की जा रही है।

(ख) हृदय में रोगों के कारणों सम्बन्धी गवेषणा के परिणाम ज्ञात हो जाने पर रोकथाम के उपाय किये जा सकेंगे। अभी तो इसे कम करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं जिन में कुछ सफलता मिली है।

मन्हर–भागलपुर लाइन पर रेल दुर्घटना

†*१३१७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माघी पूर्णिमा मेले के अवसर पर मन्हर–भागलपुर ब्रांच लाइन पर २२ फरवरी, १९५९ को भागलपुर जाने वाली दो महिलाओं की गोद में उनके दो बच्चे पिस कर मर गये ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). पूर्व रेलवे प्रशासन को इस की कोई सूचना नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक

†१३२०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष में उर्वरक की कितनी मांग होने की आशा है ;

(ख) अगले वर्ष के लिये कितना संभरण सुनिश्चित कर लिया गया है ; और

(ग) कौन-कौन से देश इस का संभरण कर रहे हैं और किन शर्तों पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

वेतन आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र प्रकाशित तथा कार्यान्वित करना और सेवा आचरण नियम ४(क) और ४(ख) को वापस लेना

†*१३२३. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डाक व तार विभाग के कर्मचारी यह आन्दोलन शुरू करने वाले हैं कि यदि दूसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित न हुआ और नियम ४(क) और ४(ख) को वापस न लिया गया तो वे अपने आप को गिरफ्तार कराना शुरू कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) इस बारे में समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(ख) समय आने पर सरकार नियम उल्लंघन के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

भाखड़ा में विद्युत् एकक

†*१३२४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने भाखड़ा राइट पावर प्लांट बिजली पैदा करने वाले ४ एकक, प्रत्येक की क्षमता ९०,००० किलोवाट होगी, स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा था क्या उस पर कोई निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर रेलवे में यात्री सहायक

†२०००. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर (डिवीज़नवार) यात्री सहायक नियुक्त किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** उत्तर रेलवे में जिन स्टेशनों पर यात्री सहायक नियुक्त किये गये हैं उनके नाम ये हैं :

१.	इलाहाबाद	इलाहाबाद डिवीज़न
२.	कानपुर सैंट्रल	
३.	टुंडला	
४.	अलीगढ़	
५.	दिल्ली	दिल्ली डिवीज़न
६.	सहारनपुर	
७.	अम्बाला छावनी	
८.	भटिंडा	
९.	लखनऊ	लखनऊ डिवीज़न
१०.	वाराणसी	
११.	हरिद्वार	मुरादाबाद डिवीज़न
१२.	लुधियाना	फीरोज़पुर डिवीज़न
१३.	जालंधर शहर	
१४.	अमृतसर	
१५.	जोधपुर	जोधपुर डिवीज़न
१६.	मेंरता रोड	

गाड़ी का आना जाना

†२००१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि बम्बई और नई दिल्ली के बीच चलने वाली तीसरे दर्जे की वातानुकूलित और गलियारे वाली गाड़ी में कुछ प्रबन्ध बड़े अपर्याप्त होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) पिछली बार मरम्मत करते समय चेयर कारों में कुछ सुधार किया गया था । अन्य सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है और ग्रहण करने योग्य होंगे उन्हें यथासमय कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†२००२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जहाज़ों की मांग हिन्दुस्तान शिपयार्ड से कैसे पूरी होती है;

(ख) १९५८ में जिन जहाजों का आयात किया गया उनका कुल मूल्य क्या था; और

(ग) इस बारे में देश को स्वावलम्बी होने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) द्वितीय योजना काल में कुल ३,९०,००० कुल पंजीबद्ध टनभार की व्यवस्था करने की प्रस्थापना है ।

(ख) १९५८ में खरीदे गये पुराने जहाज़ों और विदेशों से बनवाये गये जहाज़ों का कुल मूल्य ६,९७,९०,८०० रुपये था ।

(ग) इस समय ठीक-ठीक समय बताना सम्भव नहीं है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†२००३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों ने कुल कितने मील उड़ानें कीं, इनसे कितने यात्रियों ने सफर किया और कितना माल ढोया गया ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :

(१) मील　: १९,४७५,२३३

(२) यात्री　६,४५,४२९

(३) ढोया गया माल (डाक समेत) : ५७,३०४ टन

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली

†२००४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की संख्या पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ३६७ बिस्तरों के लिये कुल १९८ नर्सें, जिनमें शिष्या नर्सें भी शामिल हैं, रखी गई हैं । ये पर्याप्त हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में चावल की मिलें

†२००५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अब तक पंजाब में चावल की कितनी नई मिलें खोली गई हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: मांगी गई जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि चावल मिलों के लिये लाइसेंस देना हाल ही में शुरू किया गया है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२००६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था की कितनी बैठकें की गई; और

(ख) इन बैठकों में क्या निश्चय किये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]**

रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन

†२००७. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगे हुए हैं; और

(ख) शेष स्टेशनों पर यह सुविधा देने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये कोई अलग कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। साधारणतः सार्वजनिक टेलीफोन उन स्थानों पर लगाये जाते हैं जहां जनता या कोई विशेष संस्था या संगठन द्वारा उसकी मांग की जाती है। जहां सार्वजनिक टेलीफोन से उसे लगाना और उसकी देखरेख की लागत वसूल होने की आशा नहीं होती वहां टेलीफोन उसी हालत में लगाया जाता है जब कि उसकी मांग करने वाली संस्था कुछ निश्चित आय की प्रत्याभूति दे।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२००८. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य रेलवे खंड के किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]**

मध्य रेलवे द्वारा खादी खरीदना

†२००९. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक मध्य रेलवे ने कुल कितनी खादी खरीदी है और उसका मूल्य क्या है; और

(ख) यह किन प्रयोजनों के लिये खरीदी गई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

मात्रा	मूल्य
१६२६२८ गज़ और अन्य प्रकार के वस्त्र २५३६० १-४-१६५८ से ३१-१-५६ तक	४,२६,२२५ रुपये

(ख) वर्दियां बनाने, डस्टर, बिस्तर की चादरें, तकिये के गिलाफ, परदे, मेज़पोश, तकिये और नेप्किन आदि बनाने के लिए ।

पंजाब से निर्यात किया गया चावल

†२०१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १६५८ से जनवरी, १६५६ तक (मासवार) पंजाब से कुल कितने चावल का निर्यात किया गया ; और

(ख) राज्यों के नाम और प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). चावल के उत्तरी खंड में से, जिन में पंजाब राज्य और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, बाहर निर्यात किये गये चावल की मात्रा अनुमानत : निम्नलिखित है :—

मास	(हजार टन) मात्रा
अगस्त, १६५८	४·३
सितम्बर, १६५८	१०·६
अक्तूबर, १६५८	५·६
नवम्बर, १६५८	१५·१
दिसम्बर, १६५८	१०·१
जनवरी, १६५६	६·२
कुल	५४·६

इस मात्रा का राज्यवार वितरण इस प्रकार है :—

जम्मू तथा काश्मीर	२२·२
बम्बई	२६·१
पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता)	१·३
प्रतिरक्षा	२·३
कुल	५४·६

व्यापार के लिये खंड में ही एक से दूसरे स्थान तक ले जाये गये चावल की मात्रा ज्ञात नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में खाद्य उत्पादन

†२०११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये १९५८-५९ में क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) अधिक अन्न उपजाने में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या खाद्य समस्या के सम्बन्ध में प्रशासन की सहायता के लिये सरकार कोई लोक प्रिय समिति नियुक्ति करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

मद्रास गोदियों में नियुक्त किये गये विदेशी

†२०१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास गोदियों में इस समय कितने विदेशी, विशेष कर पाकिस्तानी और पुर्तगाली राष्ट्रजन नियुक्त किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मद्रास पत्तन न्यास में इस समय १५ पाकिस्तानी नियुक्त कर रखे हैं । मद्रास पत्तन में और कोई विदेशी नियुक्त नहीं किये गये हैं ।

पंजाब में गोशालायें

२०१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने गोशालाओं के विकास के लिये पंजाब को कितना अनुदान दिया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : गोशालाओं के विकास के लिये पंजाब को १९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता के रूप में १४,००० रुपये की राशि दी गई है ।

ऊना में ऊपरी पुल

†२०१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पंजाब में स्वान नदी पर ऊना में लोक निर्माण विभाग के पुल के साथ ऊपरी पुल बनाने की योजना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बिजली

†२०१५. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को ऐसे निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिये, जिन से बिजली का उत्पादन बढ़े, कितनी केन्द्रीय सहायता और विदेशी मुद्रा दी गई ?

सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४**]

वैतरणी पर पुल

†२०१६. **श्री प्र० के० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि जब भीमकुंड बांध तैयार हो जाए तब राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ (क्योंझरगढ़ और करांजिदा के बीच) का मार्ग बदल कर उसके साथ-साथ बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से वैतरणी पर बनाया गया पुल बेकार हो जायेगा ;

(ग) इस पुल के निर्माण पर कितना खर्च किया गया है ; और

(घ) जब पुल बनाया गया था तब क्या भीमकुंड परियोजना के बारे में विचार नहीं किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क), (ख) और (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ११.८५ लाख रुपये ।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये शेड

†२०१७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर-पठानकोट लाइन के कितने स्टेशनों पर अब तक यात्रियों के लिये शेडों का निर्माण हो चुका है ; और

(ख) शेष स्टेशनों पर ऐसे शेड कब तक बन जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) प्रयोक्ता सुख-सुविधा समिति के परामर्श से जो निर्णय किये जाते हैं उनके अनुसार औचित्य और उपलब्ध धन का ध्यान रखते हुए वार्षिक कार्यक्रमों में आवश्यक उपबन्ध कर दिया जाता है ।

खाद्यान्न

२०१८. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात् १९५५-५६, १९५६—५७ और १९५७-५८ में भारत में कुल कितना अनाज पैदा हुआ, और

(ख) देश में कुल कितने अनाज की खपत हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) गत तीन वर्षों में भारत में निम्न मात्रा में धान्य और दालों की उपज हुई :

वर्ष	मात्रा (हजार टनों में)
१९५५–५६	६५,७९४
१९५६–५७	६८,७४८
१९५७–५८	६२,०२६

(ख) देश में प्रतिवर्ष अनाज की कुल खपत बताने के लिये विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चिल्का झील की मछलियों की बिक्री

†२०१९. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते के बाजारों में उड़ीसा की चिल्का झील की मछलियों की बिक्री से वर्ष में कुल कितनी आय होती है ;

(ख) चिल्का झील से प्रतिवर्ष कितने टन झींगा मछलियां और लाब्सटर और क्रैब जातियों के केंकड़े पकड़े जाते हैं ;

(ग) क्या केन्द्र का उड़ीसा के पूर्वी तट पर किसी स्थान पर मछलियों का कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) वर्ष में लगभग ६० से ८० लाख रुपये तक।

(ख) ५०० से ७५० टन तक। विभिन्न प्रकार की मछलियों के संबंध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनमाड में संयुक्त जल-संभरण योजना

†२०२०. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमाड नगरपालिका ने रेलवे बोर्ड को अपनी संयुक्त जल-संभरण योजना दे दी है ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने संयुक्त योजना में अपने अंश का भुगतान करने का निश्चय कर लिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मध्य रेलवे ने बम्बई सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त योजना में शामिल होने के लिये रेलवे बोर्ड की अनुमति मांगी थी। इसके बाद बम्बई सरकार

†मूल अंग्रेजी में

और मनमाड नगरपालिका के अध्यक्ष ने सामान्य शब्दों में रेलवे बोर्ड से यह आग्रह किया था कि रेलवे को यह मंजूरी शीघ्र ही प्रदान कर दी जाय ।

(ख) दिसम्बर, १९५८ में रेलवे प्रशासन को यह मंजूरी दे दी गई थी ।

रेलवे क्वार्टर

†२०२१. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक इगतपुरी, नासिक, मनमाड और नन्दगांव में रेलवे कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण हो चुका है ;

(ख) १९५९-६० में कुल कितने क्वार्टर बनेंगे ; और

(ग) उपर्युक्त स्टेशनों पर अत्यावश्यक कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके लिये कितने क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) इन स्टेशनों पर कुल मिला कर ६५ क्वार्टरों का निर्माण किया गया था ।

(ख) १९५९-६० में लगभग ७० क्वार्टर बन जाने की आशा है ।

(ग) यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

स्टेशन का नाम	अत्यावश्यक कर्मचारियों की संख्या (लगभग)	दिये गये क्वार्टरों की संख्या (लगभग)
इगतपुरी . . .	१११०	३६०
नासिक	२३७	१३६
मनमाड	६९४	३५४
नन्दगांव	४९९	२९४

आंध्र में सड़कों का निर्माण

†२०२२. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अधीन निर्मित होने वाली सड़कों के बारे में आंध्र प्रदेश से सरकार को कोई योजना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का अनुमोदन हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सड़क निधि में से विशिष्ट रूप से १९५९-६० में निर्मित होने वाली प्रस्तावित योजनाओं का कोई कार्यक्रम आंध्र सरकार से नहीं मिला है । राज्य के २५·३७ लाख रुपयों की लागत के २० निर्माण कार्यों का अक्तूबर १९५८ में अनुमोदन किया गया था और इसका खर्च केन्द्रीय सड़क निधि में से राज्य सरकार को दी गई राशियों में से पूरा होना था । इसके अलावा नौ और निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यों का खर्च पूरा करने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) में से २४·८७५ लाख रुपयों के अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है। इन २९ निर्माण कार्यों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]** आशा है कि राज्य सरकार इनमें से कुछ कार्यों को १९५९-६० में आरम्भ कर देगी।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री-सुविधायें

†२०२३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे की पठानकोट-जोगिन्दरनगर लाइन पर १९५९-६० और १९६०-६१ में किन-किन यात्री-सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाने वाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५९-६० में गुलेर, नूरपुर रोड, बैजनाथ मंदिर और समलोटी में बिजली के उपकरण लगाने का प्रस्ताव है। १९६०-६१ के लिये अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इनको रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों के परामर्श से उपलब्ध धन और सामान का ध्यान रखते हुए तैयार किया जायेगा।

तपेदिक के मरीज

†२०२४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब है कि भारत के विभिन्न भागों के तपेदिक के अस्पतालों और सैनिटोरियमों में तपेदिक के कुल कितने मरीजों के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशिष्ट अवधि में कोई नया अस्पताल या सैनिटोरियम खोला जाने वाला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब नहीं है कि भारत के विभिन्न भागों के तपेदिक के अस्पतालों और सैनिटोरियमों में कितने तपेदिक के मरीजों के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं। लेकिन राज्य-सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी मांगी गई है और मिलने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशिष्ट अवधि में कोई तपेदिक का अस्पताल या सैनिटोरियम खोलने का स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमृतसर का दन्त-चिकित्सा कॉलेज

†२०२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार अमृतसर के दन्त-चिकित्सा कॉलेज के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता देने को राज़ी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) भारत सरकार ने जो स्वरूप निश्चित किया है उसके अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कॉलेज के विस्तार के लिये अनावर्त्तक व्यय के ७५ प्रतिशत और आवर्त्तक व्यय के ५० प्रतिशत भाग के बराबर केंद्रीय सहायता निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए दी जायगी:—

अनावर्त्तक व्यय . प्रत्येक स्थान के उपबन्ध के लिये ३५,०००

केन्द्रीय सरकार इसका ७५ प्रतिशत भाग देगी।

आवर्त्तक व्यय . ८,००० रुपये प्रति अतिरिक्त स्थान

केन्द्रीय सरकार इसका ५० प्रतिशत भाग देगी।

रेलवे का सामान

†२०२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सामान का काफी बड़े अंश का विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में कितना आयात हुआ था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष १९५८-५९ अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६**]

जापान से पोतों की खरीद

†२०२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोतों की खरीद के लिये डालर-ऋण के सम्बन्ध में एक जापानी फर्म से चल रही वार्ता पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। उस जापानी फर्म ने अब भारत सरकार को सूचित किया है कि अमरीका में बाजार की स्थिति कठिन हो जाने के कारण वे अब भारतीय नौवहन के लिये डालर-ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक् शैय्याएं

†२०२८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में तपेदिक के ऐसे रोगियों के लिये, जिन का रोग काफ़ी बढ़ चुका हो पृथक शैय्याओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) अब तक कुल कितनी शैय्याओं की व्यवस्था कर दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ४,००० शैय्यायें ।

(ख) तपेदिक के रोगियों के लिये ३,०४३ पृथक शैय्याओं की व्यवस्था का काम राज्य-सरकारों को सौंपा गया है जिस में से अब तक वास्तव में ६३० शैय्याओं की व्यवस्था हुई है ।

उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल

†२०२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नदियों पर पुल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान देने की विचाराधीन प्रस्थापना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

दिल्ली में पौधों का संरक्षण

२०३०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पौधों के संरक्षण के लिये की गई कार्यवाही का विवरण क्या है;

(ख) सर्वेक्षण करने पर किन-किन बीमारियों को रोकने के उपाय किये गये; और

(ग) कितने एकड़ भूमि में ये उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) (१) फसलों को कीटरोगों, बीमारियों तथा जंगली घास से बचाने के कार्य की देखभाल करने के लिये एक पूरे वक्त का पौधा संरक्षण निरीक्षक की और कुछ सहायक जूनियर स्टाफ की नियुक्ति ।

(२) किसानों को कीमत के ५० प्रतिशत पर कीटाणुनाशक दवाइयों का देना ।

(३) पौधे संरक्षण औजारों को जो किसानों को कीटरोग नियंत्रण कार्यों के लिये मुफ्त दिये जाते हैं, सुरक्षित केन्द्रों पर इकट्ठा करना ।

(ख) १९५८ में गेहूं के बीज द्वारा लगे रोगों लूज स्मट[१], फ्लैग स्मट[२], ईअर कोकल और फुट-रोट[३] और आलू के अरली ब्लाईट[४] रोग के विरुद्ध नियंत्रण करने वाले उपाय किये गये ।

(ग) इलाज किया हुआ तथा रोग मुक्त गेहूं का बीज १०,००० एकड़ भूमि में बोने के लिये काफी था । इस के अतिरिक्त २७८ एकड़ क्षेत्र में आलू के अरली ब्लाईट रोग पर नियंत्रण किया गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१ Loose smut.

२ Flag smut.

३ Ear cockle and foot rot

४ Early blight.

दिल्ली में स्कूटर

२०३१ { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने स्कूटर चल रहे हैं ;

(ख) गत वर्ष कितने स्कूटरों का चालान हुआ; और

(ग) इन चालानों का स्वरूप क्या था ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ११६४ (१२ मार्च १९५९ तक)

(ख) ८७७ ।

(ग) ये चालान स्कूटरों पर ज्यादा सवारियां बिठाने, अन्धाधुन्ध चलाने, तेज भगाने, सवारियों के साथ दुर्व्यवहार, सवारियों को न लेने और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण किये गये थे ।

केन्द्रीय सड़क निधि

†२०३२. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री बं० च० मलिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा में केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) के सुरक्षित कोष से कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य आरम्भ किये गये थे; और

(ख) १९५९–६० में सड़क निधि के रक्षित कोष में से किन सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). १९५६ से १९५९ के बीच केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) के रक्षित कोष में से दिये गये अनुदानों से उड़ीसा सरकार ने एक पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया था ।

२. विशिष्ट रूप से १९५९–६० में आरम्भ करने के लिये सड़क-निर्माण कार्य संबंधी कोई भी कार्यक्रम उड़ीसा सरकार से नहीं मिला है । ११ निर्माण कार्यों का ५० प्रतिशत खर्च पूरा करने के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) संबंधित रक्षित कोष में से लगभग ३०.४६ लाख रुपयों के अनुदान हाल ही में उड़ीसा सरकार को दिये गये थे । इन निर्माण कार्यों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८]** आशा है कि राज्य सरकार १९५९–६० में संभवतः इन योजनाओं में से कुछ का निर्माण कार्य आरम्भ कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में कुरठिया सिंचाई परियोजना

†२०३३. **श्री पाणिग्रही**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कुरठिया सिंचाई परियोजना की सिंचाई करने की क्षमता कितनी होगी; और

(ख) क्या सिंचाई के प्रयोजन के लिये इस परियोजना की सिंचाई करने की पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी के राज्य सरकारों के पास से आने की प्रतीक्षा की जा रही है और मिलते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर का चिकित्सा विभाग

†२०३४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के चिकित्सा विभाग में काम करने वाले कुछ स्नातकों को केन्द्रीय पदालि में पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन से होने वाली आय

†२०३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टेलीफोनों से होने वाली आय की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) नवीनतम जानकारी के अनुसार ३१-३-५८ तक भेजे गये बिलों के सम्बन्ध में १-१२-५८ को ७५ लाख रुपये बकाया थे ।

(ख) जहां तक गैर-सरकारी टेलीफोन लगवाने वालों का सम्बन्ध है, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जिन के टेलीफोन काटे जा चुके हैं, स्थिति की सयम समय पर समीक्षा करने के लिये प्रत्येक सर्किल में बोर्ड बना दिये गये हैं । ये बोर्ड बकाया राशि जमा करने के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं और जहां आवश्यक होता है इस के लिये वे कानूनी कार्यवाही भी करते हैं । सरकारी टेलीफोन लगवाने वालों से भी टेलीफोनों के राजस्व लेखापाल अधिकारीगण सम्पर्क स्थापित कर इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें बकाया के बिलों के भुगतान में शीघ्रता करनी चाहिये । टेलीफोन राजस्व के लेखापाल अधिकारियों और सर्किलों के अध्यक्षों को भी यह हिदायत दे दी गयी है कि वे भुगतान न होने की स्थिति में गैर-सरकारी और सरकारी टेलीफोन काट देने की व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के अस्पतालों में भारतीय मरीजों के लिये पुस्तकें

†२०३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम तथा सफदरजंग अस्पताल में रह कर चिकित्सा कराने वालों को किस प्रकार की पुस्तकें और साहित्य दिया जाता है ; और

(ख) १९५८–५९ में उन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम तथा सफदरजंग अस्पताल में रह कर इलाज कराने वाले मरीजों को कोई भी पुस्तकें या अन्य साहित्य नहीं दिया जाता ।

सड़क यातायात

२०३७. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५९ में इन्दौर में सड़क यातायात के बारे में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस में कौन-कौन से मुख्य निर्णय किये गये ; और

(ग) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ग) इस सम्मेलन में हुए निर्णय सिफारिशों के रूप में हैं, जिन पर केन्द्रीय और प्रदेश सरकार विचार करेंगी । इस सम्मेलन में की गई अधिकतर सिफारिशें प्रदेश परिवहन अंडरटेकिंग[1] की अंदरूनी व्यवस्थाओं के विषय में हैं । सम्मेलन की कार्यवाहियों की प्रतियां प्रदेश सरकारों और प्रदेश परिवहन अंडरटेकिंग के अध्यक्षों के पास उन से सम्बन्धित सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गयी हैं । केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

टनकपुर में डाक तथा तार कार्यालय का भवन

†२०३८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर का डाक तार भवन कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]State Transport Undertaking.

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पिछले ठेकेदार द्वारा बाकी छोड़ दिये गये काम को पूरा करने के लिये टेंडर मांगे हैं।

निर्माण कार्य की लागत का अब जो प्राक्कलन किया गया है वह मूल प्राक्कलन से बढ़ गया है और अब इन टेंडरों की जांच की जा रही है। वास्तविक निर्माण कार्य १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में आरम्भ और पूरा हो जाने की आशा है।

उत्तर रेलवे में पुनर्नवन' सम्बन्धी सुविधायें

†२०३९. { श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की किन-किन वर्कशापों में इंजनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों के पुनर्नवन की सुविधायें मौजूद हैं;

(ख) क्या इस समय कुछ पुनर्नवन कार्य बाकी पड़ा है; और

(ग) यह किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]

बम्बई राज्य में विद्युत् परियोजनायें

†२०४०. श्री पांगरकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में बम्बई की विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरणों और मशीनों का आयात करने के लिये बम्बई सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रायें मांगी हैं; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) २४० लाख रुपये।

(ख) अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ बम्बई राज्य की आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन समय-समय पर जो राशियां उपलब्ध होती हैं उनमें से प्रत्येक के लिये विदेशी मुद्रायें प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर दी जाती हैं।

त्रिपुरा में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

†२०४१. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के आरम्भ से लेकर अब तक त्रिपुरा में इस आन्दोलन के लिये कितनी राशि मंजूर और खर्च की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

'Overhauling.

(ख) अब तक जो राशि व्यय हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो फल प्राप्त हुए हैं क्या वह सन्तोषप्रद हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तब से मंजूर और खर्च की गयी राशि इस प्रकार है :

मंजूर की गयी राशि	खर्च हुई राशि
१५.२० लाख रुपये	६.२४ लाख रुपये

(ख) परिवहन तथा संचार साधनों की कमी के कारण प्रशासन को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका और इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस क्षेत्र के अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहां जाना असम्भव है अब तक जो परिणाम निकले हैं वह असन्तोषप्रद नहीं प्रतीत होते।

सड़क परिवहन

†२०४२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि देश के सड़क परिवहन में इस समय कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) इसके द्वारा वर्ष में कुल कितना माल ढोया जाता है ;

(ग) इसमें इस समय कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ; और

(घ) राष्ट्रीय राजकोष को इससे वर्ष में कितनी आय होती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी के सम्बन्ध में अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी सड़क परिवहन से सम्बन्धित कई संगठनों ने प्राक्कलन किये हैं। इन प्राक्कलनों पर आधारित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१**]

(घ) यह मान लिया जाता है कि राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी जानकारी अपेक्षित है। १९५८-५९ के बजट प्राक्कलन इस प्रकार हैं :

केन्द्रीय सरकार	५७.५ करोड़ रुपये
राज्य सरकारें	३७.० करोड़ रुपये
जोड़	९४.५ करोड़ रुपये

डाल्टनगंज के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

२०४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ फरवरी, १९५९ को मुगलसराय जाने वाली एक माल गाड़ी के २३ डिब्बे डाल्टनगंज स्टेशन (ई० आर०) के निकट पटरी से गिर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २–२–५९ को सुबह लगभग ७ बज कर ३८ मिनट पर जब नं० अप डी० बी० एम० स्पेशल मालगाड़ी पूर्व रेलवे के चियांकी और डाल्टनगंज स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसके २४ डिब्बे पटरी से उतर गये, जिनमें से १६ उलट गये।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

मक्षी स्टेशन के पास दुर्घटना

२०४४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ जनवरी, १९५९ को पश्चिम रेलवे के भोपाल-उज्जैन-सब-सेक्शन पर मक्षी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी से दुर्घटना हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) ३१-१-५९ को दिन में लगभग १ बज कर ४५ मिनट पर जब नं० ७९४ अप माल गाड़ी पश्चिम रेलवे के उज्जैन-भोपाल सेक्शन में बेरछा और मक्षी स्टेशनों के बीच जा रही थी, वह सामान ढोने वाली एक लारी से टकरा गयी जिसमें रेल की पटरियां लदी थीं। टक्कर की वजह से मालगाड़ी का इंजन और उसके साथ के ९ डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित नियमों का पालन न किया जाना।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

†**२०४५. श्री जाधव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी चीनी मिले हैं ; और

(ख) पिछले वर्ष पेराई के सीजन के आरम्भ से लेकर जनवरी के अन्त तक कितनी ईख का सम्भरण हुआ था और चालू वर्ष की इसी अवधि में कितना संभरण हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२**]

रेलवे में हिन्दी विभागाध्यक्षों के पद

†**२०४६. श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुवाद कार्य के लिये प्रत्येक जोनल रेलवे के प्रधान कार्यालय में ३६०–५०० रुपये के वेतनक्रम में एक हिन्दी विभागाध्यक्ष के पद की स्थापना की गयी है ;

(ख) क्या इलाहाबाद के रेलवे सेवा आयोग ने इन पदों का भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन किया है और क्या वही रेलवे में उसके फलस्वरूप अनुवादकों के रिक्त होने वाले पदों के लिये भी नामों का नामांकन करेगा ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दी के स्नातक अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अर्हता प्राप्त व्यक्ति बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, मध्यवर्ती अथवा उच्चतम वेतनक्रमों में बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करने की नीति अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर इन पदों को वर्तमान रेलवे कर्मचारियों की ही नियुक्ति करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) एक स्वतंत्र अभिकरण की मार्फत सर्वश्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करने के लिये। २६०—३००, ३००—४०० और १६०—४५० रुपयों के वेतन क्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को, अर्ह होने पर, आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) जी नहीं ।

आसाम भू-राजस्व विनियम

†२०४७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम भू-राजस्व विनियम मनीपुर की खाउबूम घाटी में लागू होते हैं;

(ख) क्या घाटी में धान के खेतों के मालिक मनीपुर प्रशासन को भू-राजस्व का भुगतान करते हैं; और

(ग) घाटी के कितने क्षेत्र में धान की खेती की जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग ३०० एकड़ ।

सस्ती बिजली पैदा करने के लिये मशीनें

†२०४८. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो परियोजना के एक विशेषज्ञ ने पहाड़ी नालों से सस्ती बिजली पैदा करने का कोई तरीका ढूंढ निकाला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीन का मूल्य कितना होगा; और

(ग) इस प्रकार के एक एकक से कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जल विद्युत् पैदा करने वाले छोटे स्वत:पूर्ण एककों के विकास के सम्बन्ध में कम खर्च पर पहाड़ी नालों से बिजली पैदा करने का कार्य १९५६ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत–आयोग द्वारा आरम्भ किय गया था। ब्रिटेन के श्री एलेन मांकहाउस नामक इंजीनियर ने, जिनकी सेवाएं भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त की थीं, इस काम में सहयोग दिया था किन्तु जून, १९५८ में वह यहां से चले गये क्योंकि उनकी कार्यावधि समाप्त हो गई थी। कार्य प्रगति पर है किन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३ से ५ किलोवाट बिजली तैयार करने वाली जलचक्की का डिज़ाइन तैयार हो चुका है किन्तु अधिक उत्पादन वाली मशीनें बनाने का काम अभी जारी है। मशीनों का मूल्य अभी नहीं बताया जा सकता है ।

(ग) जिन एककों का विकास किया जा रहा है ये ३ से लेकर ६० किलोवाट बिजली तैयार कर सकती हैं जो जल तथा जितनी ऊंचाई से वह गिरता है इस पर निर्भर करता है ।

चीन में सिंचाई प्रविधि का अध्ययन करने के लिये भारतीय दल

†२०४९. { **श्री सिद्धनंजप्पा :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की सिंचाई प्रविधि का अध्ययन करने के लिये एक भारतीय दल चीन जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल में कौन-कौन लोग होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १८ फरवरी, १९५९ को सिंचाई प्रविधि का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था जो ४ मार्च, १९५९ को वापस आ गया है ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ये थे :

(१) श्री महावीर प्रसाद (नेता), सिंचाई मंत्रणादाता, भारत सरकार, नई दिल्ली

(२) डा० पी० सेन, भू-संरक्षण विभाग निदेशक दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता; और

(३) श्री डी० ए० गदकारी, अतिरिक्त विकास आयुक्त तथा संयुक्त सचिव, बम्बई सरकार, बम्बई ।

चूहे

२०५०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज को चूहों के आक्रमण से बचाने के लिये सरकार को कोई औषधि पता लगाने में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस दवाई का नाम क्या है और उसे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) चूहों को मारने के लिये उपयुक्त जहर पहले से ही मालूम हैं और उपलब्ध हैं।

(ख) चूहे मारने के आम ज़हर ये हैं :—

१. ज़िंक फासफाइड[1]

२. स्ट्राइचनाइन हाईड्रोक्लोराइड[2]

३. बेरियम कार्बोनेट[3]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Zinc Phosphide.

[2]Strychnine Hydrochloride.

[3]Barium Carbonate.

४. वारफारिन[1]

५. तामोरिन[2], और

६. सियानो गैस ए डस्ट[3] या साइमग[4]

इस्तेमाल करने का तरीका

ऊपर दिये हुए पहले पांच ज़हरों को, पिसे हुए चने या बाजरा या दूसरी कोई सस्ती चीज़ जो चूहे खाते हैं, के साथ मिलाकर बेट (Bait) की शक्ल में दिये जाते हैं। बेट को आमतौर पर चूहों के बिलों में रखा जाता है। आखिर में बतलाये हुए ज़हर को पम्पों द्वारा चूहों के बिलों में धुआं देने के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिस के कारण चूहे इन के अन्दर ही मारे जाते हैं।

विलम्ब शुल्क[5] तथा स्थान शुल्क[6]

†२०५१. **श्री बी० दास गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा ज़िले में १९५३ से १९५८ तक प्रति वर्ष कोयले की खानों से विलम्ब शुल्क और उतराई प्रकार के रूप में कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) क्या उक्त काल में ये प्रभार छोड़ दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी राशि छोड़ दी जाती है और उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). कोयला खानों से पूरे वैगन में जितना माल आता है उस पर कोई उतराई प्रभार नहीं लगता है।

१९५३ से १९५८ तक जितना विलम्ब शुल्क वसूल किया गया और जितनी राशि छोड़ दी गई यह बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]**

उतराई प्रभार उन मामलों में छोड़ दिये गये थे जिनमें वैगनों को पक्षों के हिसाब में नहीं रोका गया था।

कोटा डिस्पेंसरी

†२०५२. **श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डिस्पेंसरी कोटा में विभागीय मुख्यालय बन जाने से वहां प्रातः बीमारों की बड़ी भीड़ होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां गाड़ी के साथ जाने वाले तथा अन्य कर्मचारियों की भीड़ से बचाने के लिये विभागीय कार्यालय की सीमा के अन्दर एक डिस्पेंसरी खोलने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Warfarin.

[2]Tamorin.

[3]Cyano gas A Dust.

[4]Cymog.

[5]Demurrage.

[6]Wharfage.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, अब बीमारों की संख्या पहले से अधिक है।

(ख) जी नहीं। लोको कालोनी के निकट एक अलग डिस्पेंसरी खोली गई है तथा ५० पलंग वाला एक अस्पताल भी बनवाया जा रहा है।

जंगली तथा लावारिस पशु

†२०५३. श्रीमती इला पालचौधरी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खाद्यान्नों की फसलों को जंगली तथा लावारिस पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने के बारे में खाद्यान्न जांच समिति ने जो सिफारिश की थी उस पर किस प्रकार की कार्यवाही की है और योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जंगली तथा लावारिस पशुओं के बारे में समिति ने जो सिफारिश की थी उसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को बता दिया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि निम्न उपाय किये जा सकते हैं :—

(१) दूर के वन क्षेत्रों में गोसदनों की स्थापना करके बुड्ढे और बेकार पशुओं को अलग रखा जा सकता है;

(२) जंगली तथा लावारिस पशुओं को पकड़कर उन्हें पाला जाय और उसके बाद उन्हें बेच दिया जाये;

(३) जहां इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं वहां नियम बनाये जायें तथा जहां नियम बने हुए हैं वहां पशु अतिचार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इसको उपयुक्त रूप से लागू किया जाये।

२. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक की गई प्रगति इस प्रकार है :—

दिल्ली, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर में जंगली और लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिये विशद आन्दोलन चल रहा है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का एक संगठन पकड़ने वाले पक्षों को प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक सहायता देता है। उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई, बिहार और राजस्थान की सरकारें शीघ्र ही इस योजना को आरम्भ करने वाली हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह समस्या इतनी बिकट नहीं है।

इस योजना को लागू करने से लेकर अब तक पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर एवं दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में जंगली और लावारिश पशुओं के बारे में जिस-जिस काल में जितने पशु पकड़े गये उनके बारे में उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :

राज्य	संख्या	काल
पंजाब	१५०	१९५८–५९
जम्मू तथा काश्मीर . .	४९२	१९५७–५८ और ३१ अक्टूबर, १९५८ तक
दिल्ली	४०,८५४	१९५६–५७ से और ३१ दिसम्बर, १९५८ तक।

†मूल अंग्रेजी में

कड़ई से रेलवे स्लीपरों की खरीद

†२०५४. { **श्री प्र० क० गोपालन :**
श्री वारियर :
श्री कोडियान : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कड़ई से रेलवे के स्लीपरों की खरीद के संबंध में कोजीकोड के लोक निर्माण विभाग के मजदूरों के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहिले सरकार ने स्लीपर खरीदने के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या आगामी आय-व्ययक वर्ष में खरीद की कोई योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुछ और स्लीपर खरीदने का प्रश्न दक्षिण रेलवे के विचाराधीन है।

व्यापारियों से स्लीपर सामान्यतः खुले टेण्डरों के द्वारा समय-समय पर रेलवे की आवश्यकतानुसार खरीदे जाते हैं और कभी-कभी उनकी खरीद स्लीपर संयंत्रों द्वारा स्लीपरों को ठीक करने की क्षमता के अनुसार की जाती है ।

आसाम और सबरूम के बीच रेल सम्पर्क

†२०५५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा रेलवे अगुआकारी समिति ने हाल ही में आसाम की सीमा से त्रिपुरा सबरूम तक एक नई रेलवे लाइन बनाने के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान रेलवे मंत्री द्वारा लोक-सभा में ३-३-१९५९ को १९५९-६० के रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान में उत्तर देते समय पत्थरकंडी से अरमनगर तक त्रिपुरा में एक नई लाइन बनाने के बारे में की गई घोषणा की ओर आकर्षित किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण

२०५६. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में सहायक इंजीनियरों (सिविल) की रिक्तियों में से, जिनके लिये अप्रैल, १९५७ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र मांगे गये थे, कितने पद अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे ;

(ख) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए :

(ग) कितने उम्मीदवारों को साक्षात परीक्षा के लिये बुलाया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों को चुना गया ;

(ङ) यदि अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ८ ।

(ख) ४७ ।

(ग) ७६० (जिन में ३७ उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के थे) ।

(घ) ४ ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें

२०५७. स्वामी रामानन्द शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बाराबंकी स्टेशन पर कितनी दुर्घटनायें हुई ; और

(ख) उनके क्या कारण थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री एस० वी० रामस्वामी): (क) पिछले तीन साल में गाड़ियों के साथ छः दुर्घटनाएं हुई ; एक १९५६ में, दो १९५७ में और तीन १९५८ में ।

(ख) पांच दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती से हुई और एक यांत्रिक उपस्कर में खराबी के कारण ।

खाद्यान्न

†२०५८. { **श्री इगनेस बेक :**
श्री गोडसोरा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों से कितना खाद्यान्न वसूली अथवा खरीद कर समाहार करने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** केन्द्रीय सरकार ने कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किये हैं किन्तु उद्देश्य यह है कि आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी चावल खण्ड में जितना भी फालतू चावल हो उसमें से अधिकाधिक तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में जितना भी फालतू अन्न हो उसमें यथासम्भव अधिक से अधिक खरीद की जाये ।

अन्य खाद्यान्नों की खरीद के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकिंघम नहर

†२०५९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में वर्षवार बकिंघम नहर से होकर कुल कितना माल ले जाया गया ;

(ख) वर्षवार कितने मूल्य का सामान ले जाया गया ; और

(ग) क्या उपर्युक्त सामान ले जाने में कोई कठिनाइयां महसूस की गई थीं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विमान निगमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†२०६०. श्री भा० कृ० गायकवाड़: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल निगमों के विभिन्न विभागों में १ अगस्त, १९५३ से प्रत्येक श्रेणी के कितने स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित थे और उनमें से कितनों की पूर्ति की जा चुकी है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन) : विमान निगम अधिनियम १९५३ (१९५३ का २७) में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये कुछ प्रतिशत निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है । निगमों से यह सिफारिश की गयी थी कि गैर-टैक्निकल तथा अकुशल मजदूरों के स्थानों पर वे सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुये तथा संविधान द्वारा जो दायित्व राज्य को सौंपा गया है उसे देखते हुये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार के लिये अधिकाधिक संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगो की भर्ती करने के लिये उन्हें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये । निगमों ने यह सिफारिश मान ली है ।

२. इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशनों के विभिन्न विभागों की प्रत्येक श्रेणी में १ अगस्त, १९५३ से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग रखे गये इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासंभव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास राज्य में टेलीफोन के कनेक्शन

†२०६१. श्री इलयापेरुमाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में दक्षिण आरकाट तथा त्रिची ज़िलों में (ज़िलेवार) १९५२ से १९५८ तक टेलीफोन लगाने के बारे में कितने आवेदन प्राप्त हुये थे ;

(ख) टेलीफोन लगवाने के लिये कितने आवेदन अभी प्रतीक्षा-सूची में हैं ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) आवेदकों को कब तक टेलीफोन मिल जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

	दक्षिण आरकाट	७१५
	त्रिची	८४१
(ख)	दक्षिण आरकाट	२७२
	त्रिची	७३०

(ग) स्टोर के उपलब्ध होते ही कनेक्शन देने में यथासंभव शीघ्रता की जाती है। चूंकि सारे देश में टेलीफोन कनेक्शनों की अत्यधिक मांग है और टलीफोन विभाग के वित्तीय संसाधन इतने नहीं हैं कि इतने एक्सचेंजों की व्यवस्था की जा सके जिस से जितने अधिक कनेक्शनों की मांग की जा रही है उन की पूर्ति की जा सके, इस कारण टेलीफोन देने के लिये उन की मांग पूरी करने में विलम्ब होना अवश्यम्भावी है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†२०६२. **श्री रूप नारायण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में सह-निदेशकों, गोदाम अधीक्षकों, भंडारी, क्वालिटी निरीक्षकों, वास्तविक जांच-पड़ताल निरीक्षकों, सांख्यिकी विपणन निरीक्षकों के कितने स्थान हैं ;

(ख) इन में से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ; और

(ग) क्या इन सभी स्थानों के लिये अनुसूचित जातियों के लिये जितने स्थान रक्षित होवे चाहियें उतने उन के लिये रखे गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख) . प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या तथा उन में से कितने स्थानों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति काम कर रहे हैं, यह संख्या नीचे दी गई है :—

	पदों की संख्या	जितने पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं
१. सह-निदेशक	१४७	५
२. गोदाम अधीक्षक	१२९	५
३. भंडारी—		
(क) कारखाना भंडारी	१	..
(ख) वरिष्ठ भंडारी	४२६	५
(ग) कनिष्ठ भंडारी	५६२	१९
४. क्वालिटी निरीक्षक	२११	..
५. वास्तविक जांच-पड़ताल निरीक्षक	१४	३
६. विपणि सांख्यिकी निरीक्षक	४	..

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनुसूचित जातियों का कोटा अधिकृत वर्गों के स्थानों के लिये बराबर रखना पड़ता है तथा उपर्युक्त पदों की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग नहीं रखा जाता । इस के साथ ही उन के लिये निश्चित स्थानों की पूर्ति केवल प्रत्यक्ष भर्ती करते समय की जाती है तथा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण आदि से जिन स्थानों की पूर्ति की जाती है उन में उन का कोटा नहीं रखा जाता । कितने स्थानों की पूर्ति प्रत्यक्ष भर्ती से की गई और कितने की पदोन्नति द्वारा इस बारे में अधीनस्थ नियुक्ति करने वाले प्राधिकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

तांबे के तार की चोरी

†२०६३. **श्री तंगामणि** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने मूल्य का तांबे का तार चोरी गया तथा जितना तार वापस मिल गया उस का क्या मूल्य था ;

(ख) १९५७ की तुलना में उस का क्या मूल्य था ; और

(ग) १९५९ में इलेक्ट्रानिक तरीके से चोरियों का पता लगाने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). १९५८ में चोरी गये तांबे के तार का मूल्य ९,१८,९९० रुपये था । १९५७ में इस का तदनुरूप मूल्य १०,६८,७५१ रुपये था । इस प्रकार १९५७ की अपेक्षा १९५८ में कम मूल्य का तार चोरी गया । इन दो वर्षों में जितने मूल्य का तार बरामद हो गया इस के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

स्थगन प्रस्ताव

माल द्वीप में रायल एयर फोर्स स्टेशन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री वाजपेयी से निम्नलिखित विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है :

"राष्ट्रमंडल के देशों, जिन में भारत भी शामिल है, की 'प्रतिरक्षा' के लिये माल द्वीप में रायल एयर फोर्स की उपस्थिति से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा"

यह स्थान हमारे देश के बाहर है ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : हम अन्य देशों में भी विदेशी सेनाओं की उपस्थिति का विरोध करते हैं । माल द्वीप में रायल एयर फोर्स की उपस्थिति का कारण यह बताया जाता है कि वह भारत और लंका की प्रतिरक्षा के लिये लाभदायक होगी । हाल में माल द्वीप के प्रतिनिधि डा० अहमद जाक्की नई दिल्ली आये थे और उन्होंने प्रधान मंत्री से बातचीत की थी । सभा यह जानना चाहती है कि माल द्वीप पर विदेशी सेनाओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस संबंध में जो कुछ भी जानता हूं बताने का प्रयत्न करूंगा । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह इतना आवश्यकीय मामला किस प्रकार बन गया है, जिसके लिये स्थगन प्रस्ताव रखने की आवश्यकता हो । यह चीज़ महीनों से चल रही है और यह स्थान भारत से बाहर भी है ।

अभी हाल तक लंका के ट्रिंकोमाली नामक स्थान पर ब्रिटेन की सरकार का नौ सेना तथा हवाई सेना का एक अड्डा था । लंका तथा ब्रिटेन के बीच हुए एक तय समझौते के अनुसार उसे वहां से धीरे धीरे हटाया जा रहा है । ऐसा जान पड़ता है वहां के अड्डे के स्थान पर ब्रिटेन की सरकार माल द्वीप समूह के एक द्वीप में हवाई सेना का अड्डा बना रही है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि यह राष्ट्रमंडलीय देशों तथा भारत की प्रतिरक्षा के लिये किया जा रहा है । मैंने ऐसी बात कहीं नहीं देखी । यदि यह विचार है कि ऐसा भारत की रक्षा के लिये किया जा रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूं । हमें ऐसी प्रतिरक्षा की आवश्यकता नहीं है । हमें भारत के निकट अपनी प्रतिरक्षा के लिये किसी भी देश के हवाई अड्डों की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहना बिल्कुल गलत है; हम पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है । यदि किसी ने हमला किया भी तो उससे निबटने का इन्तजाम हम खुद कर लेंगे । हम ऐसे मामलों में किसी भी देश के साथ रक्षा समझौते करने या सहायता मांगने के पक्ष में नहीं हैं ।

जहां तक माल द्वीप की स्थिति का संबंध है मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं । मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम ऐसे अड्डे बनाने का विरोध करते हैं । इस सम्बन्ध में उस देश की जनता की इच्छा का पता लगाना चाहिये तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई चीज़ थोपी नहीं जानी चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां) : प्रधान मंत्री ने बताया था कि कार निकोबार द्वीप से रायल एयर फोर्स का अड्डा हटाया जा रहा है । उस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है वह अड्डा अभी वहां मौजूद है या खत्म कर दिया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां हवाई सेना का कोई अड्डा नहीं है । हमने वहां विमानों को उतरने और पैट्रोल लेने की सुविधा प्रदान की हुई है । यदि कोई अन्यथा बात की जायेगी तो हम वे सुविधायें समाप्त कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त द्वीप भारत का भाग नहीं है इसलिये वहां की बातों पर स्थगन प्रस्ताव रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है । यह चीज़ लगातार चल रही है । दूसरे स्थानों में जो कुछ भी होता हो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है । अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखा गया पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकार विनियमन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस०आर०ओ० ५१३ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार विनियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १३०२/५९]

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : १८ फरवरी, १९५९ को श्री आबिद अली ने चिनाकुरी खान दुर्घटना के सम्बन्ध में हमारे द्वारा लगाये गये आरोपों के उत्तर में एक बार नहीं अपितु तीन बार यह बात कही थी कि जिस नक्शे के आधार पर, मृतकों की संख्या २१६ दिखाई गई है, वह एक संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैंने उस नक्शे का ब्लू प्रिंट आपको दे दिया है। यह नकशा स्वयं बंगाल कोल कम्पनी जो कि उक्त खान की मालिक है के सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार किया गया है। मैंने कई बार उनके वक्तव्य को ठीक करने के लिये उन्हें बताया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः उपमंत्री को अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिये।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जांच न्यायालय ने अपने प्रतिवेदन में आहतों के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया था। न्यायालय के सम्मुख जो विभिन्न नक्शे वगैरा रखे गये थे उनसे वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि मृतकों की संख्या ११५ से कम और १७६ से अधिक नहीं हो सकती है। यह संख्या १५५ से कुछ ही अधिक रही होगी क्योंकि तहखाने पर पुनः घुसने पर निरीक्षक कर्मचारियों को दिये गये लैम्पों के अतिरिक्त वहां १५५ "कैप लैम्प" और तेल वाले लैम्प पाये गये।

१६ फरवरी १९५९ के रोज़, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह दावा किया था कि उनके पास एक ऐसा नक्शा है जो कि जांच न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, जिसमें २१६ लोगों की मौत का उल्लेख है। उन्होंने १८ फरवरी को भी इस नक्शे का जिक्र किया था। मैंने जांच न्यायालय का प्रतिवेदन पढ़ा लेकिन उसमें किसी ऐसे नक्शे का जिक्र नहीं था जिसमें यह संख्या २१६ दिखाई गई हो। अतः मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि कार्मिक संघ के पास एक ऐसा नक्शा हो सकता है जिसमें लाशों की संख्या २१६ दिखाई गई है। अतः मैंने उसका जिक्र किया था। तथापि अब यह बात पक्की तरह ज्ञात हो गई है कि संघ ने जांच न्यायालय के समक्ष कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया था। प्रबन्धकों द्वारा जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था उसमें १७० लाशें दिखाई गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा जारी रखेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कल शाम को मैंने बताया था कि इस वाद-विवाद में नीति के विस्तृत मामलों की चर्चा की गयी है और विदेश सेवा या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के संगठन के संबंध में कुछ छोटी मोटी बातों के अतिरिक्त अधिक नहीं कहा गया है। अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत मामलों के बारे में कही गई बातों के संबंध में पहले चर्चा करूंगा।

लेकिन उसके पूर्व मैं विदेश सेवा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। वाद-विवाद के आरम्भ में भाषण देते समय मैंने बताया था कि वैदेशिक-कार्य के मद के अधीन जो मांग है उसमें अनेक ऐसे मद सम्मिलित हैं जिनका वैदेशिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है और उनमें से अधिकांश मदों की राशियां ऐसी हैं जिनमें हम कोई कमी नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए राष्ट्र संघ को वार्षिक चन्दे के रूप में दी जाने वाली राशि, कुछ पड़ौसी सरकारों को दी जाने वाली राजकीय अनुदानों की राशियां तथा तुएनसांग, नागा पहाड़ी डिवीजन, नेफा तथा पाण्डेचेरी राज्य की मदें। वास्तव में यह मदें काफी सीमा तक मेरे सहकारी, गृह-कार्य मंत्री के क्षेत्राधिकार की हैं, पर अनेक कारणों से इन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है। इन राशियों में आसाम रायफल्स के लिये रखी गयी एक बड़ी राशि सम्मिलित है, अतः कुल राशि बहुत बढ़ गई है। वास्तव में भारत की विदेश सेवाओं पर व्यय की गयी राशि---यद्यपि मुझे आंकड़े मालूम नहीं हैं---लगभग ६ और ७ करोड़ रु० के बीच में हैं। यद्यपि हमें इन के व्ययों में कमी करनी चाहिए और हम कमी करने की कोशिश करते आये हैं फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा व्यय अन्य देशों की तुलना में---अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन जैसे बड़े-बड़े देशों की चर्चा में नहीं करता---कम ही रहा है।

विदेश कार्यालय तथा विदेश सेवाओं के कार्य का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने देश के हित के लिए, देश के भीतर तथा बाहर, और उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों और आदर्शों के लिये कितना कार्य किया है जो हमें सर्वाधिक प्रिय हैं।

हमारे प्रचार कार्य की निन्दा की जाती है। कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जो सत्यता से कोसों दूर होती है। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि संसार में हमारा कोई मित्र नहीं है सभी देश हमारे विरुद्ध हैं। यह बात बड़ी विचित्र है और इससे पता लगता है कि ऐसी बातों के कहने वालों को कुछ भी पता नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है और संसार के लोगों में भारत के प्रति क्या विचार हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं होतीं। हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम अपने प्रचार कार्य को आदर्श नहीं कह सकते और उसमें सुधार हो सकता है। फिर भी, चाहे प्रचार का प्रश्न हो या हमारे मंत्रालय अथवा भारत सरकार के किसी अन्य कार्य का प्रश्न हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज भारत का नाम संसार में बहुत ऊंचा है और यही हमारे कार्यों की कसौटी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसार में भारत की सद्भावना का स्थान ऊंचा है। भारत ने जो कुछ किया है तथा भारत की जो नीति है उसके कारण आज संसार में उसका सम्मान होता है। प्रचार कार्य के संबंध में जो आलोचना की गयी है, हो सकता है वह अंशतः ठीक हो क्योंकि उसमें सुधार किये जाने की गुंजाइश है। पर किसी देश की नीति के प्रति दूसरे देश की प्रतिक्रिया, किसी देश द्वारा किये गये प्रचार कार्य पर निर्भर नहीं होती।

भारत में विदेशी पत्रों के अनेक संवाददाता हैं जो भारत के बारे में समाचार देते हैं। अपने देशवासियों के विचारों पर इन्हीं का ज्यादा असर होता है, हमारे द्वारा किये जाने वाले सरकारी कार्य का प्रभाव इतना नहीं हो सकता। पर मुख्य बात यह है कि क्या हमारी नीति उस देश के दृष्टिकोण तथा प्रवृति के अनुकूल है या नहीं। यदि उस देश का दृष्टिकोण तथा प्रवृति हमारी नीति के अनुकूल नहीं है, तो हम चाहे कितना भी प्रचार करें उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा।

हमारे सम्बन्ध में लोगों के सम्मानपूर्ण विचार रहते आये हैं, मुझे यह बाताते हुये प्रसन्नता होती है। पर कुछ देश हमसे कुछ नाराज भी हैं क्योंकि उनका विचार है कि हम अपने को सामान्य लोगों से कुछ ऊंचा समझते हैं तथा किसी गुट में शामिल न होने के उच्च आदर्श को अपनाने का बहाना करते हैं; उनका कहना है कि उच्च आदर्शों की आड़ में हम स्थिति से लाभ उठाते हैं और यह उच्च नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि बहुत तुच्छ बात है और हम लोग आदर्शवादी बातों की आड़ लेते हैं।

पर मैं किसी लम्बी चौड़ी आदर्शवादी बात की आड़ नहीं लेना चाहता। ऊंचे आदर्शों की बातें करने की मेरी आदत नहीं है। हां, हमने उस नीति का पालन करने का प्रयत्न अवश्य किया है जो हमें सही मालूम होती है, जो दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों दृष्टिकोणों से हमारे लिये हितकर है तथा साथ ही जो संसार के लिये और शान्ति के लिये भी लाभदायक व सहायक है।

उसका परिणाम यह हुआ कि सर्वप्रथम लोगों में यह संदेह था कि भारत की कार्यप्रणाली अन्य देशों की कार्यप्रणाली से कुछ भिन्न है इसलिये नहीं कि हम किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं हुये—अन्य भी ऐसे देश थे जो किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं थे—बल्कि इसलिये कि समस्या को हल करने के उपायों में, उन पर अपने विचार प्रकट करने में हमारा ढंग कुछ भिन्न था। यह भिन्नता हमारा अपना कोई सद्गुण नहीं था बल्कि यह कहना चाहिये कि स्वतन्त्रता संग्राम आदि के दौरान यह विशेष दृष्टिकोण हमें उत्तराधिकार स्वरूप मिला था। यद्यपि हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे पर हमने उनके साथ शिष्टता से, नम्रता से तथा सद्भावना से व्यवहार किया; यद्यपि हम उनके सामने कभी झुके नहीं। यह व्यवहार अथवा दृष्टिकोण स्वयं हमने अपनाया था, किसी के कहने पर नहीं और तटस्थता की बात करने वाले अन्य देशों में तथा हममें यही मूल अन्तर था। यही कारण है कि जब हम अपने इस दृष्टिकोण की बात करते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है। यह कहना गलत है कि हम अपने को बहुत उच्च आदर्शवादी समझते हैं या समझते हैं कि हममें उनकी अपेक्षा अधिक नैतिकता है।

हम अपने अवगुणों तथा अन्य लोगों के गुणों को जानते हैं। हम उन लोगों के सद्गुणों को भी जानते हैं जिनकी हम आलोचना करते हैं। धीरे-धीरे लोगों को पता लगा कि हम उच्च नैतिकता की झूठी आड़ नहीं ले रहे थे बल्कि हम समझबूझ कर एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे थे, जो अन्य देशों के प्रति मित्रतापूर्ण थी और साथ ही गुटबन्दी से अलग रहने की अपेक्षा कुछ और महत्वपूर्ण थी और ऐसी नीति थी जिसे हम उन परिस्थितियों में ठीक समझते थे।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि किसी भी सरकार के लिये किसी ऐसी नीति का पालन करना कोई सरल काम नहीं है जो शतप्रतिशत ठीक या सही हो क्योंकि उस पर अनेक बातों तथा अन्य देशों की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। पर हमने, मोटे तौर पर, अपनी नीति का अनुसरण किया यद्यपि अन्य लोगों के लिये वह रुचिकर नहीं थी। और चूंकि अन्य देशों ने हमारी नीति के औचित्य को समझ लिया है, अतः हम किसी को भी अप्रसन्न करने की कोशिश न करते हुये, एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण अपनी पूर्ण योग्यता से करते हैं और इसी के परिणामस्वरूप हम जो कार्य करते हैं उसकी क़द्र की जाती है, चाहे उसके बारे में थोड़ा मतभेद हो।

मैं बताना चाहता हूं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की बात तथा भारत को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप संसार के किसी भी देश में जा कर देखें—चाहे वह कोई बड़ा देश हो या छोटा—आप को पता लगेगा कि लोग भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं हालांकि न तो हमारे पास कोई सैनिक शक्ति है, जिसके कारण देशों को मुख्यतः सम्मान दिया जाता है, और नहीं हमारे पास वित्तीय शक्ति ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सभी बातों को अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से देखते हैं, यह हो सकता है कि कभी कभी हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट न हो। हम किसी चीज को दूसरों के दृष्टिकोण से या दूसरों द्वारा प्रभावित दृष्टिकोण से नहीं देखते क्योंकि उससे हमारा दृष्टिकोण भी प्रभावित हो जाता है और प्रायः हम वस्तुस्थिति को ठीक और सही रूप में देख नहीं पाते।

मैं चाहता हूं कि सभा इसी दृष्टिकोण से हमारी गतिविधियों का मूल्यांकन करे। मैं यह नहीं कहता कि सभा इनकी आलोचना न करे पर इस बुनियादी बात का घ्यान रखें, जिसका सम्बन्ध नीति से नहीं बल्कि इस बात से है कि नीति की व्याख्या कैसे की जाये और अन्य देशों के प्रति क्या रवैया तथा किसी समस्या को हल करने के लिये क्या ढंग अपनाया जाये।

कभी कभी माननीय सदस्य हम पर यह आरोप लगाते हैं, जैसा कि कल माननीय महिला सदस्य ने कहा, कि हम अमरीका-पाकिस्तान करार के सम्बन्ध में खामोश बैठ हैं और हम ने इन बातों का विरोध करना कम कर दिया है। उन्होंने मोटे तौर पर यह भी संकेत किया कि हमने विरोध करना इसलिये छोड़ दिया है कि हमें अपने विकास कार्य के लिये अमरीका से वित्तीय सहायता लेनी है और हमे कोई ऐसी बात या ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे वित्तीय सहायता की प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अमरीका और रूस से सहायता लेने में हमें कभी भी शर्मिन्दगी नहीं मालूम हुई और हम किसी भी देश से सहायता लेने को तैयार हैं यदि ऐसी सहायता उचित शर्तों पर हो और हमारी नीति पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो। मुझे यह बात सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि हमारी इस नीति का आधार अमरीकी या अन्य सहायता का लालच है। मैं यह मानता हूं कि हमसे गलती हो सकती है पर एक बात आप याद रखिये कि यदि भारत के सम्मान और उसके हित का प्रश्न कहीं भी आयेगा, तो हम जरा भी नहीं झुकेंगे। चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो।

पहले जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करते थे, जिसका समर्थन रूसी गुट करता था तो लोग कहते थे, "ये लोग गुटबन्दी में न पड़ने तथा तथाकथित तटस्थता की आड़ में चुपके चुपके रूसी गुट की सहायता कर रहे हैं।" यदि हम अमरीकी गुट के पक्ष में अपना मत देते थे तो कहा जाता था कि "आप को अमरीका की सहायता का लालच है।"

यह बात लोगों के समझ में नहीं आती थी कि कोई देश एक प्रश्न विशेष की अच्छाई-बुराई को देख कर भी अपना निर्णय कर सकता है न कि किसी डर या दबाव के कारण । मेरा विश्वास है कि, यद्यपि भारत के सामने अनेक कठिनाइयां और समस्यायें हैं, आज संसार में भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी देश से भयभीत नहीं है चाहे वे देश कोई भी हों । आज संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली व बड़े देश ही उस धनी व्यक्ति की भांति भयभीत हैं जो हमेशा डरा करता है कि कहीं उसके धन को चोर न चुरा ले जायें । जो देश जितना बड़ा व शक्तिशाली है उसे उतना ही अधिक भय है क्योंकि वह सोचता है कि कोई अन्य देश उससे अधिक शक्तिशाली न हो जाये और उसके लिये कठिनाइयां न पैदा कर दे । मैं नहीं जानता कि जब भारत धनी हो जायगा तो भारत की क्या स्थिति हो जायगी क्या वह भी भयभीत हो जायगा । मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा । मेरा तो कहना है कि कमजोर व्यक्ति को कोई भय नहीं होता ; भय तो शक्ति के साथ उत्पन्न होता है । वैसे यह बात लोगों को कुछ विचित्र सी लगेगी पर है यह सत्य ।

स्थिति यह है कि हमारी नीति चाहे कुछ भी हो पर हम ने हमेशा यही प्रयत्न किया है कि हम किसी की निन्दा न करें, यथासंभव किसी को नाराज न करें और कोई ऐसी बात न कहें, जिस से समस्या पर शांतिपूर्वक तरीके से विचार करने में बाधा पैदा हो या जो किसी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में बाधक हो । मैं यह दावा नहीं करता कि ऐसा करने में हमें हमेशा सफलता मिली है । कई अवसरों पर हम नाराज भी होते हैं ; क्रुद्ध भी होते हैं । पर हम हमेशा कोशिश इसी बात की करते हैं कि हम से ऐसी कोई बात न होने पावे क्योंकि आज संसार में सब से बड़ी कठिनाई समस्याओं की नहीं है बल्कि उन ढंगों की है जो समस्याओं को हल करने के लिये अपनाये जाते हैं । आज संसार में ऐसी अनेक बातें हो रही हैं जो, मेरे विचार से और शायद सभा की राय से भी, निन्दनीय हैं । पर यह बात अक्लमन्दी की नहीं है कि हम हमेशा दूसरों की निन्दा करके उन्हें दबायें । भारत में भी ऐसी अनेक बातें हो रही हैं जिन की निन्दा बाहर के लोग कर सकते हैं । पर यह बुरी आदत है । निन्दा करने की आदत का परिणाम यह होता है कि लाभदायक ढंग से समस्या को सुलझाने के लिए किसी बात-चीत की गुंजाइश भी नहीं रह जाती । खास तौर से आज की अवस्था में जब कि युद्ध की आशंका फैली हुई है और हम जानते हैं कि युद्ध का परिणाम कितना भयंकर होगा, हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और यदि विभिन्न सरकारों के उत्तरदायी पदाधिकारी अपनी जबान व अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते ।

आज अनेकों समस्यायें हैं । युद्ध और शांति की दृष्टि से आज संसार के सामने सब से बड़ी समस्या बर्लिन की है । मैं इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता और हमेशा मैंने कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की है क्योंकि संसार की बड़ी-बड़ी समस्याओं के संबंध में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता । चूंकि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है अतः हमने लोगों के साथ इस पर बात चीत की है । हम ने अपने ढंग से कुछ छोटे-मोटे सुझाव भी दिये हैं कि इस में क्या किया जाना चाहिये । जो सुझाव हमने दिये हैं उन में यह नहीं कहा गया कि किस नीति का अनुसरण किया जाये बल्कि यह कहा गया है कि ऐसी नीति का अनुसरण किया जाये जो सभ्यतापूर्ण हो तथा गालीगलौज से दूर हो । यही भारत की विशेषता है जो उस को अन्य देशों से अलग करती है और यह विशेषता बुद्ध के समय से अब तक महात्मा गांधी के समय तक चली आ रही है । मुख्य बात यह है कि किस काम को किस ढंग से किया जाये । यदि आप कोई अच्छा काम बुराई के साथ करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, पर यदि आप एक अच्छे ढंग से या दोस्ती के ढंग से करते हैं तो एक गलत काम भी सही या लाभदायक काम हो सकता है । इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर आप हमारे कार्यों का मूल्यांकन कीजिए । यदि हम इस नीति के पालन में असफल रहे हों या

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमने कभी गरमी दिखाई हो तो हमारी निन्दा कीजिए। किसी देश को धमकी देना बहुत आसान काम है। वैसे तो धमकी देने वाले को कोई हानि नहीं होती पर अपने इस कार्य द्वारा वह एक ऐसा वातावरण पैदा कर देता है जो हानिकारक होता है। और आज की स्थिति में तो ऐसा वातावरण बहुत ही अधिक हानिकारक है।

आज जर्मनी और बर्लिन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। युद्ध और शान्ति दोनों इसी ही समस्या पर निर्भर हैं। यहां बैठे-बैठे किसी की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पक्ष सही मार्ग पर है और कौन सा गलत मार्ग पर। लेकिन यह ज़रूर है कि समस्या बड़ी गंभीर है और यह नहीं कहा जा सकता कि संकट किस समय आ जायेगा।

हम ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ इस समस्या पर विचार किया है और हम ने देखा है कि दोनों ने अपने पक्षों के समर्थन में जो तर्क दिये हैं उनका मुख्य कारण है, एक दूसरे से भय। भय ही सब से बड़ी समस्या है। हम ने उनकी बातें सुनीं और हम ने सुझाव दिया कि चाहे उन में परस्पर कितना भी मत भेद क्यों न हो, पर मामले पर मित्रतापूर्ण ढंग से बात करके उसे सुलझाया जाये। हमारा काम यह नहीं है कि हम किसी से कहें कि तुम क्या करो और क्या न करो। हम ने तो यही सुझाव दिया है कि हम यथा संभव परामर्श व बातचीत के सहारे समस्या को हल करें। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उत्तरदायी हो या गैर-उत्तरदायी हो, यही चाहता है कि युद्ध न हो।

यद्यपि समय-समय पर दोनों ओर से अनुचित बातें कही जाती रहीं हैं फिर भी समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का उपाय ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आज सुबह यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने शिखर सम्मेलन के विचार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले विदेश मंत्रियों की एक बैठक हो और बाद में इन्हीं गर्मियों में अर्थात् आगामी २–३ महीनों में शिखर सम्मेलन हो। स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में देशों के नेता और सरकारें इसी निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि परामर्श द्वारा ही मामलों को तय किया जाय। मैं नहीं कह सकता कि इस सम्मेलन का क्या फल निकलेगा। एक ओर तो लोगों में उत्तेजना, द्वेष तथा भय है और दूसरी ओर युद्ध की आशंका। आशा है कि यह सम्मेलन मध्यम मार्ग को अपना कर इस समस्या को हल करने में सफल होगा।

गत दो तीन महीनों में मध्य-पूर्व क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई। नए इराक गणराज्य तथा संयुक्त अरब गणराज्य में संघर्ष हो रहा है। ये बातें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इन बातों के संबंध में मेरे अपने विचार हैं लेकिन मैं उन्हें तब तक प्रकट नहीं करना चाहता जब तक कि उन से कुछ लाभ न हो। मैं नहीं चाहता कि एक बड़े महान व्यक्ति की तरह से मैं संसार के सामने घोषणा करूं कि इस मामले में कितनी गलती है और कौन सही रास्ते पर है। एक तो मैं ऐसी कोई बात कहने के लिए सक्षम नहीं हूं फिर यदि सक्षम भी होऊं तो ऐसा करना मेरी गलती होगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मध्य पूर्व में जो कुछ हुआ है, उस से मुझे बहुत क्षोभ है।

अब अफ्रीका को लीजिए। अफ्रीका की स्थिति आज अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है। अफ्रीका के देश अभी औपनिवेशिक प्रभाव में हैं। अपने पूर्व इतिहास, अपनी नीति तथा अपने विचारों के कारण अफ्रीका के देशों के साथ, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें पूर्ण सहानुभूति है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी यही नीति है।

पिछले कई वर्षों में अफ्रीका में अनेक दुखद घटनायें हुई हैं हम सोचते थे कि अफ्रीका की स्थिति अब ठीक होती जा रही है क्योंकि इधर हाल के वर्षों में वहां के कुछ राज्यों को स्वतंत्रता भी मिली है और अफ्रीका के देशों को स्वतंत्र करने की ब्रिटेन की नीति के लिये हमने ब्रिटेन को बधाई भी दी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जाति-भेद के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका संघ की शासन पद्धति तथा उसकी नीति में अब तक भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है और यदि वहां पर जातीय भेद-भाव तथा कालों को दबाने की नीति में परिवर्तन न किया गया तो अफ्रीका में तथा अन्य स्थानों पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जायेगा ।

सभा को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका के मामले बार-बार आते रहे हैं पर दक्षिणी अफ्रीका संघ सदा ही राष्ट्र संघ के प्रस्तावों तथा उसके परामर्शों की अवहेलना करता आया है । इसका एक अच्छा परिणाम यह ज़रूर हुआ है कि राष्ट्र संघ के कुछ राज्यों को छोड़ कर अन्य सारे राज्य कुछ दबाओं के बावजूद भी, दक्षिण अफ्रीका संघ की नीति से असहमत हो गये हैं । मुझे खेद है कि जब राष्ट्रसंघ में दक्षिण अफ्रीका संघ की नीतियों पर अन्य राज्यों ने अपने मत विपक्ष में दिये, तो ब्रिटेन ने अपना मत विपक्ष में नहीं दिया । मेरा मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन इस नीति से सहमत है पर कुछ दबावों या कारणों से वह उक्त नीति के विरुद्ध अपना मत नहीं दे सका । ब्रिटेन ने यह भी कहा कि वह हमेशा किसी प्रश्न की अच्छाई और बुराई के आधार पर ही अपना मत नहीं देता बल्कि मतदान करते समय अन्य बातों को जैसे क्षेत्राधिकार के प्रश्न को भी ध्यान में रखता है । फिर भी गत दो या तीन वर्षों में ब्रिटेन ने जो नीति अपनाई है उसके फलस्वरूप घाना को स्वतंत्रता मिल गई है, नाइजीरिया को भी मिल जायेगी और आशा है कि पूर्वी अफ्रीका में भी कुछ देशों को स्वतंत्रता मिल जाये ।

न्यासालैण्ड में तथा कुछ सीमा तक सम्पूर्ण मध्य अफ्रीका संघ में इस समय क्रांति फैली हुई है । हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मामले में हामारी सहानुभूति न्यासालैण्ड की जनता के साथ है । यद्यपि न्यासालैण्ड के लोगों ने उत्तेजना में आकर कुछ भारतीयों की दुकानों को लूटा है और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है पर मैं विश्वास करता हूं कि वहां के भारतीय हमेशा उस नीति को ध्यान में रखेंगे, जिसका हम अनुसरण करते आये हैं । उन्हें वहां के लोगों के साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिये और वहां की जनता की वैध मांगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये । जब न्यासालैण्ड तथा मध्य अफ्रीका संघ के लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं, तो वहां के भारतीयों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो अफ्रीका के जनता के हितों तथा भावनाओं के विरुद्ध हो ।

आज अफ्रीका में एक उबाल-सा आया हुआ है, मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि अफ्रीका के मामले को काफी दूरदर्शिता से हल न किया गया तो हमें एक गम्भीर संकट का सामना करना होगा और एक जातीय युद्ध छिड़ जायेगा । उस जातीय युद्ध से हिंसात्मक कार्यवाहियां होंगी और उनको रोकने के लिये पुनः हिंसात्मक कार्यवाही की जायेगी । ऐसी स्थिति बहुत निकट आ गई है और यदि पर्याप्त सावधानी न बरती गई तो अफ्रीका में एक भयानक दुर्घटना होगी । अफ्रीका के लोगों की भावनाओं को दबाव में रखना अब कोई आसान काम नहीं है । साइप्रस के सम्बन्ध में जो करार हुआ है वह एक अच्छी बात है । हमारे लिये यह उचित न होगा कि हम उस करार के गुण-दोषों की चर्चा करें । मेरे विचार में यह एक अजीब सा करार है लेकिन असल चीज़ यह है कि वहां की जनता ने इस करार को स्वीकार किया है और इस प्रकार वे उस संकटपूर्ण स्थिति से निकल गये हैं जिसमें वे काफी समय तक पीड़ित होते रहे थे ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अफ्रीका के बारे में बोलते हुये माननीय सदस्या ने कैमरून्स का जिक्र किया । हमारा ख्याल तो है कि कैमरून्स के बारे में हमारी नीति वही है जो वहां की ज्यादातर जनता चाहती है । इतना ही नहीं, यह नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बड़े बहुमत द्वारा मंजूर भी हुई है और जिन देशों ने उसे मंजूर किया है उनमें अन्य देशों के अलावा अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश शामिल हैं । मुझे बिलकुल ठीक तरह से तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ याद है कि वोट लिये जाने के दौरान एक बार इसकी मुखालफत किसी ने, करीब-करीब किसी ने भी नहीं की थी, हां कुछ ने वोट नहीं दिया था । इसलिये, हमारी जैसी नीति वाले देश के लिये यह बड़ा मुश्किल है कि हम दूसरे देशों पर अपनी बात लादते फिरें । आम उसूल की बात तो ठीक है, लेकिन जब उस देश के ज्यादातर नुमाइंदे, उनके आस-पड़ोस के लोग भी, कोई एक काम करना चाहें, और हम उनसे कहने जायें कि ऐसा नहीं वैसा नहीं करना चाहिये, यह बड़ी मुश्किल सी चीज है । और हमारा ख्याल है कि अगर कैमरून्स की जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति का इस मौके का फायदा न उठाया गया होता, तो खतरा यह था कि कैमरून्स की आज़ादी का सवाल फिर टल जाता और पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलता । उसके बारे में सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी कि आजादी से पहले प्लेबिसाइट (मतसंग्रह) या वैसी ही कोई और चीज़ की जाये । अब यह बात मान ली गई है कि पहले या बाद में चुनाव अवश्य किये जायेंगे । यह भी माना जा चुका है कि चुनावों में खुली और स्वतंत्र वोटिंग होगी ; जेलों में बन्द लोगों को रिहा किया जायेगा और उनको दबाया नहीं जायेगा । यह भी मान लिया गया है कि हालांकि कैमरून्स में चुनाव तो नहीं हुये हैं, फिर भी एक आयोग ने कैमरून्स का दौरा करके, वहां की जनता की राय का पता लगा कर एक जो रिपोर्ट पेश की है वह भी उसी नीति के पक्ष में है । सुझाव दिया गया है कि हम इस सब को ठुकरा देना चाहिये और चुनावों पर ही जोर देना चाहिये । लेकिन यह बात पूरी तौर से नहीं समझी जा रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैमरून्स की आज़ादी खतरे में पड़ जायेगी क्योंकि उसका ताल्लुक फ्रांस और कुछ दूसरे देशों से भी है । चुनाव तो आखिर वहां होंगे ही और मेरा ख्याल है कि आज़ाद देश में चुनाव होना कहीं अच्छा रहेगा । उस सारी नीति को ठुकराने के बाद, हम दूसरे देशों को तो मजबूर नहीं कर सकते। बाद में, हम सिवा उन देशों की बुराई करने या उनकी नुक्ताचीनी करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पायेंगे ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : क्या यह स्वतंत्रता फ्रेंच संघ के अन्दर ही, होगी या इसका निर्देशन फ्रांस के संविधान के अन्तर्गत होगा, क्योंकि अल्जीरिया के चुनावों को देख कर हमें चिन्ता होती है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अलजीरिया की मिसाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं । मैं तो यही समझता हूं कि वह पूरी तौर से आज़ाद होगा । हां यह जरूर हो सकता है कि वहां फ्रांसीसी भाषा रखी जाये । या फ्रान्स के कुछ कानून भी रख लिये जायें । सभा जानती है कि अलजीरिया का मामला तो इससे बिलकुल ही भिन्न है । वहां अभी भी बड़ी टक्करें चल रही हैं और कई तरह की बन्दिशें लगी हुई हैं । लेकिन कैमरून्स तो पूरी तरह से आज़ाद होगा , जैसे कि अफ्रीका के दूसरे देश हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने तिब्बत का भी जिक्र किया था । इस पर ज्यादा कुछ कहना मैं नहीं चाहता था । मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है वह दूसरों की आलोचनाओं के जवाब में ही कहा है । पड़ोस के एक देश के बारे में कुछ कहना अच्छा भी नहीं लगता जिसकी जानकारी हमारे पास थोड़ी सी है । उसके बारे में कोई ऐसी-वैसी राय जाहिर करने से कुछ और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज से आठ-दस साल पहले, तिब्बत में कुछ परिवर्तन हुये थे जब चीन सरकार ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमाया था और वहां के दलाई लामा और कुछ दूसरे नेताओं के साथ एक करार किया था। हो सकता है कि वह करार ही किसी दबाव की वजह से हुआ हो, लेकिन करार हुआ जरूर था। उससे पहले भी सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सरकारें भी तिब्बत पर चीन का अधिपत्य मानती थीं। उसमें फर्क सिर्फ इतना रहता था कि जब चीन सरकार, कमजोर होती थी तो तिब्बत पर अपना अधिपत्य नहीं जताती थी और जब मजबूत हो जाती थी तो जताने लगती थी। कई सौ साल से यही होता आ रहा था। लेकिन फिर भी, किसी भी देश ने कभी भी तिब्बत को आज़ाद नहीं माना था, हमने भी नहीं। इसीलिये हमने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य माना था। आप उसे आधिपत्य कहिये, या सम्पूर्ण प्रभुता, जो भी चाहिये कहिये, उनकी बारीकियां राज्य की अपनी ताकत के साथ ही चलती हैं।

तिब्बत-चीन करार में १७ शर्तें थीं। मौलिक रूप से यह करार तिब्बत की स्वायत्तता के लिये था कि वह अपने धर्म और अपनी संस्थाओं आदि को स्वायत्त बनाये रख सकेगा, लेकिन चीन की छत्रछाया में ही उसके बाद कभी छोटे और कभी बड़े पैमाने पर टक्करें हुईं, और अभी भी होती रहती हैं। उस के ज्यादा ब्योरे में जाने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हालत बड़ी पेचीदा है, मुश्किलों से भरी है। मैं यह भी नहीं कहता कि अभी इस समय बड़े पैमाने पर कोई हिंसा नहीं हुई है, इधर-उधर हुई है। लेकिन अभी इस वक्त वहां की लड़ाई दिमागों और रायों की ज्यादा है, हथियारों और शरीरों की कम।

इस सिलसिले में पेटरसन नाम के एक अखबारी सम्वाददाता का भी जिक्र आया—मुझे ठीक से याद नहीं कि वह कालिम्पोंग में रहता था, या दार्जिलिंग में। हमें उसे चेतावनी देनी पड़ी थी। असल में, हमें ऐसी चीजें करने में बड़ी हिचक होती है। हमें ऐसी चीजें नापसन्द हैं। सभा को अच्छी तरह मालूम है कि भारत में आकर लोगों ने भारत के और पड़ोसी देशों के बारे में किस तरह की चीजें लिखी हैं। लेकिन हम इसीलिये चुप रहे हैं, कि हमारा अपना यकीन है कि प्रेस की आज़ादी कम करने से कहीं अच्छा है कि ऐसी गलत-सलत बातों को ही चुपचाप बर्दाश्त कर लिया जाये। लेकिन हम भारत के बारे में किये गये प्रचार के बारे में ही ऐसा कर सकते हैं। हमें उन चीज़ों पर तो गौर करना ही पड़ेगा जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क से बिगड़ते हों, और वह भी एक आदमी की कार्यवाहियों की वजह से। श्री पैटरसन ने ऐसी कई खबरें बाहर भेजी थीं, जिनमें कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था। इसमें शक नहीं वह उन खबरों को सही समझ कर भेजते थे, लेकिन उन्होंने हर अफवाह और अटकल-बाज़ी को खबर बना दिया था। और उसकी वजह से काफ़ी गलतफहमी पैदा हो सकती थी। इसलिये हमें श्री पेटरसन से कहना पड़ा था कि वह अच्छी और सच्ची खबरें ही भेजें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बाजार की अफवाहों के आधार पर घढ़ी गई सनसनीखेज़ खबरें भेजना अच्छा नहीं होता।

कल की ज्यादातर बहस परस्पर सहायता के उस क़रार के बारे में हुई जो अमरीका और पाकिस्तान के बीच हुआ है। करीब-करीब सभी दलों के माननीय सदस्यों ने उसका जिक्र किया। और सभी ने उस पर नाराजी या परेशानी जाहिर की थी। किसी की परेशानी कम और किसी की ज्यादा थी; लेकिन परेशानी सभी को है। इस से पता चलता है कि इस करार से हमारा पूरा मुल्क कितना नाराज और परेशान है।

माननीय सदस्या का ख्याल था कि हम ने इस क़रार के महत्व को कम दिखाने की कोशिश की है। कैसे? क्या इसलिये कि हम ने अमरीका के लिये ज्यादा सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं किये?

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं ने तो शुरू में ही कहा था कि सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना कोई सही दृष्टिकोण नहीं होता। मैं तो समझता हूं कि अमरीका हमारी तरफ़ कुल मिला कर काफ़ी दोस्ताना रुख ही रखता है। हो सकता है कि कुछ और वजहों से अमरीका की नीति किसी दूसरी तरफ जा रही हो; लेकिन वह दूसरी चीज है। इसी तरह मैं यह भी मानता हूं कि सोवियत संघ का रुख भी हमारी तरफ़ काफ़ी दोस्ताना ही है। यह देखकर बड़ा संतोष होता है कि हम एक ऐसी सीधी-सच्ची नीति पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे बड़े सभी मुल्क चाहे वे एक दूसरे के खिलाफ़ हों, हमारे दोस्त बने हुए हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि हम कोई बड़े चालाक हैं, या हाथ की सफ़ाई या राजनीतिक कलाबाजी दिखाते रहते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी नीति गांधी जी की सीखों से कुछ थोड़ा असर लेती है। हां, कुछ थोड़ा ही, और यही अफसोस की बात है। इसलिये, इस में तो शक की कोई गुंजाइश नहीं कि हम इन सैनिक क़रारों को बुरा समझते हैं। हमारा ख्याल है कि ऐसे करारों से सुरक्षा नहीं होती, हमले का डर दूर नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है।

पिछले कुछ साल के दौरान में इसकी एक जिन्दा मिसाल है:--बग़दाद करार। जब से वह करार हुआ है, तभी से हंगामा मचा हुआ है, गड़-बड़ होती रही है, डर बढ़ता रहा है। यह चीज़ साफ़ दिखाई दे रही है। उन सभी मुल्कों में फूट हो गई है और गड़-बड़ी मच रही है। "सीटो" के नतीजे इतने साफ हमारे सामने सिर्फ इस लिये नहीं आये कि वह ज्यादातर काग़ज़ पर ही बना रहा। इस लिये मुझे इस क़रार की बात सुनकर ताज्जुब हुआ कि इन क़रारों के ऐसे तजुर्बे के बाद भी लोग उसी नीति पर चल रहे हैं।

अब जहां तक इस क़रार का ताल्लुक है। उसका असर भारत पर भी पड़ता है, यह सही है, हालांकि अमरीकी सरकार यह नहीं चाहती कि भारत पर उसका कोई असर पड़े। मेरा तो अपना यकीन बिलकुल यही है कि अमरीका कुछ और वजहों से भी नहीं चाहता कि भारत पर उसका कोई असर पड़े। लेकिन उनका चाहना एक बात है, और सचाई दूसरी बात है, क्योंकि हमारे मुल्क पर उसका असर पड़ता है। यह बिलकुल सही है कि भारत पर उसका असर पड़ता है, इसलिये कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है: और साथ ही पाकिस्तान के नेताओं ने एक तरह के कुछ ऐलान भी किये हैं। पाकिस्तान के लीडर बार-बार कह रहे हैं कि वे इस क़रार को भारत के खिलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके अलावा मुल्क के दो टुकड़े होने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने हमारे बारे में जो रुख़ बना रखा है, उसकी वजह से उसके साथ कोई भी शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो सका है। साथ ही मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि उस में कुछ दोष, कुछ ग़लती हमारी भी रही है। हम ने भी ग़लतियां की हैं। हम ने भी गुस्सा किया है। लेकिन अगर सभी चीज़ों को देखा जाय तो हमने कुल मिलाकर शांतिपूर्ण समझौता ही करने की कोशिश जारी रखी है। हमें तो अपने मुल्क को आगे ले जाना है, उसका विकास करना है, हमें, सीमा पर होने वाले इन झगड़े-फसादों में पड़ना ही नहीं है। इसलिये अपनी कुछ वजहों से ही हम हमेशा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण समझौता करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के सामने वे वजहें नहीं रही हैं। हम बराबर समझौते की कोशिश करते रहे हैं--और हमारी कोशिशों को कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान को खुश करने, उसके सामने झुकने की कोशिशें भी बताया है--फिर भी हम अपनी नीति पर जमे रहे, समझौता करने की कोशिशें करते रहे। लेकिन पाकिस्तान उसे बारबार ठुकराता ही रहा। और, जाहिर है कि हमें उस से खुशी नहीं हुई है।

पाकिस्तान इसी ढंग से सोचता है । और, अगर ऐसी हालत में अमरीका उसको कोई भी मदद खास तौर से फौजी मदद दे, तो उसका नतीजा यही होगा कि पाकिस्तान और भी खिंच जायेगा, चाहे अमरीका का अपना ख्याल कुछ भी हो, या उसकी इच्छा कुछ भी हो । इसलिये ऐसी किसी भी मदद का लाजिमी नतीजा यही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले और भी उलझ जायेंगे । यह एक सचाई है, और हमने इसे बार-बार बड़ी नरमी के साथ, एक दोस्ताना तरीके से, लेकिन दृढ़ता के साथ कहा है । और मुझे यकीन है कि अमरीका के बहुत से लोग, यहां तक कि वहां के नेता भी, हमारी इस बात को समझते हैं। अमरीका खुद ऐसी उलझन भरी संधियों के जाल में फंस गया है कि उसको उस से निकलने में बड़ी मुश्किल पड़ रही है ।

ईराक़ की क्रांति के बाद बग़दाद करार तो बिल्कुल नाकारा हो गया था । कहा यह गया कि उस करार की जगह कोई और इन्तजाम किया जायेगा । अब उसकी जगह इसी करार ने ली है । माननीय सदस्या ने कहा था कि हम ने इसके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कहा, और हाथ पर हाथ धर कर बैठ गये । मेरी समझ में नहीं आता कि हम इसके बारे में करते भी क्या । क्या हम इस सभा में या बाजारों में जोशीली तकरीरें करते ? या, दूसरे देशों के पास गुस्से से भरे नोट भेजते ?—अगर हम अपनी विरासत को बनाये रखना चाहते ह, उसके बारे में ईमानदार रहना चाहते हैं, तो हमें दूसरे लोगों की नेकनीयती में यकीन करना चाहिये, उन से नरमी और दोस्ती का बर्ताव करना चाहिये । यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप इस पेचीदा सी दुनिया में जिन्दा रहना चाहते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने की बजाय उनको एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं, तो करना यही पड़ेगा ।

हमारे देश की सीमा पर होने वाली गड़-बड़ी के बारे में, मैं इस सभा में कई बार बोल चुका हूं । पाकिस्तान का अपना सोचने का जो तरीका है, उसका यही नतीजा निकलता है और उसी की वजह से ये गड़बड़ियां करते रहते हैं । मैं बिलकुल मानता हूं कि हमें अपनी सीमाओं की हिफाजत करनी पड़ेगी और वहां रहने वाली जनता की रक्षा करनी पड़ेगी । आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह खतरों से भर पूर है । यह सही है । लेकिन इसके बावजूद, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये हमें इन सभी के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण रखकर काम करना है जो ठंडे दिमाग़ और नरमी और शान्ति का दृष्टिकोण है । हमारे खिलाफ़ देश के लिये भी हमारा रवैया दोस्ताना रहेगा । हम ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिस से दुनिया की मौजदा तनातनी और एक-दूसरे की खिलाफ़त और ज्यादा बढ़े ।

वैदेशिक सेवा, दूसरों देशों में काम करने वाले हमारे लोगों, के बारे में भी कुछ कहा गया था । नुक्ताचीनी करना हमेशा बहुत आसान होता है । मैं भी उनकी नुक्ताचीनी कर सकता हूं । लेकिन मैं कुछ लोगों को खुद जानता हूं और कुछ लोगों के बारे में उनकी रिपोर्ट से जानने लगा हूं और मैं कह सकता हूं कि वे लोग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, वे दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के ऐसे लोगों से घट कर नहीं हैं । हमारी वैदेशिक सेवा अब दस साल पुरानी हो चुकी है । वह धीरे-धीरे फलती और बड़ी होती जा रही है । उनके सामने कई बडी टेढ़ी सब समस्यायें हैं, दुनिया में कई बार बड़े पेचीदा किस्म के मुश्किलों से भरे हालात पैदा होते रहते हैं । दूसरे मुल्कों में भारत को जो दिन-दिन ज्यादा इज्जत मिलती जा रही है, वह इन्हीं लोगों की कार्यवाहियों और हमारी अपनी नीति की वजह से ही है । दूसरे देश हमारे राजदूतों और हमारे मंत्रियों से सलाह लेने के लिये आते हैं । उसकी वजह यही है कि उन लोगों को भारत के सोचने के तरीके का, उसकी अक्लमंदी का नुमाइंदा माना जाता है ।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि वैदेशिक सेवा के लोगों में असंतोष है, वे इसलिये खुश नहीं हैं कि उनकी पदोन्नति जितनी जल्दी होनी चाहिये, नहीं होती । यह भी कहा गया था कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरी सेवाओं के लोग, और ऐसे लोग भी जो सेवाओं में नहीं थे, वैदेशिक सेवा में लाए जाते हैं। हो सकता है कि पहली बात में कुछ थोड़ा सार हो, पर ज्यादा नहीं। बाहर से लिये जाने वाले लोग आम तौर पर मिशनों के प्रधान हैं।

मैं यह बात बिलकुल साफ़ कह देना चाहता हूं कि मैं किसी भी सेवा में वरिष्ठता के नियमों और आर्डरों को ठीक नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी इन नियमों को हटा दिया जाये, उतना ही अच्छा होगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर कोई आदमी वरिष्ठ है, तो सिर्फ इसी बिना पर उसकी तरक्क़ी हो जाये। मैं खुद कभी ऐसी सेवा में नहीं रहा हूं, इसलिये शायद इन कर्मचारियों के सोचने का तरीका नहीं समझता। यह चीज़ तो मेरी समझ में आती है कि नौकरी पक्की होनी चाहिये, निकलने का डर नहीं रहना चाहिये। मिसाल के तौर पर सेना को देखिये। अगर सेना में लोग वरिष्ठता के हिसाब से अपने आप कमान्डर-इन-चीफ के ओहदे तक पहुंच सकें, या किसी ऐसे ही दूसरे ओहदे तक पहुंच सकें, तो हमारी सेना एक बेकार सी सेना बन जायेगी। एक खास दर्जे के बाद, एक खास मंजिल के बाद, वरिष्ठता के नियमों को बिलकुल खतम कर देना चाहिये। और सिर्फ योग्यता को ही कसौटी बनाना चाहिये। शुरू की मंजिलों में, इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। मैं यह भी जानता हूं कि सिर्फ़ योग्यता को कसौटी मानने में भी कुछ दिक्कतें पेश आयेंगी। योग्यता की आड़ में भाई-भतीजावाद चलने लग सकता है। यह तो जरूर है, लेकिन हम उस से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तो साफ है कि सिर्फ वरिष्ठता के ही हिसाब से ऊंचे-ऊंचे ओहदों को भरने से पूरी सेवा घटिया दर्जे की बन कर रह जायेगी। वरिष्ठता के नियमों का पालन करने से घटिया दर्जे के लोग ही ऊपर उठेंगे। इन सब बातों पर गौर करना जरूरी है।

मेरा ख्याल है कि राजदूतावासों और मिशनों में हमें सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग प्रधान बनाने चाहियें। ऐसे लोग अभी भी रखे जाते हैं, और आगे भी रखे जाते रहेंगे। कुछ जगहें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और कुछ उन से कम। हमें दोनों का ख्याल करके चलना चाहिये। कुछ मिशनों के प्रधान अन्य सेवाओं के कुछ वरिष्ठ लोग बनाये गये हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ थोड़े से ही।

किसी माननीय सदस्य ने वैदेशिक कार्यालय के इन्सपैक्टरों की रिपोर्टों का जिक्र करते हुए, यह मांग की कि उनको इस सभा की टेबिल पर रखा जाये। बड़ी अजीब सी मांग थी। अगर हम उन्हें इस तरह आम बनायेंगे, तो उनकी कोई कीमत ही नहीं रह जायेगी।

जैसे ही आप गुप्त (कानफिडेन्शियल) रिपोर्टों और रायों को, एक अधिकारी की दूसरों के बारे में जाहिर की गई रायों को, आम बना देंगे, वैसे ही लोग उन्हें जाहिर करना ही बन्द कर देंगे। फिर तो सीधी-सपाट सी रिपोर्टें होने लगेंगी। तब सिर्फ़ बड़ी-बड़ी गड़बड़ियों का ही पता चल पायेगा। आज की इन रिपोर्टों में बड़ी-बड़ी गड़बड़ियों का जिक्र शायद ही कभी होता हो। उन में तो आदमी की आदतों, उसकी अच्छाइयों, उसकी कमजोरियों—उसके मिजाज का जिक्र रहता है। वास्तव में मेरे मंत्रालय के सभी लोग उनको देख भी नहीं पाते। अगर हम सभी संसद-सदस्यों की निजी जिन्दगी की छानबीन कराने के लिये एक समिति बना दें और फिर उसकी रिपोर्ट को सभा की मेज पर रखने की मांग करें, तो कितना अजीब सा लगेगा। तो यह बात बिलकुल बेमतलब है। जहां तक इन रिपोर्टों का ताल्लुक है, मैं तो यह महसूस करता हूं कि उस में हमारे बड़े बड़े राजदूतों से भी कुछ ऐसे ओछे सवाल पूछे गये हैं, कुछ छोटी छोटी बेमतलब बातें पूछी गईं कि

जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। जिन पर कुछ गुस्सा भी आ जाता है। अब हमने इन में इस तरह के सवाल पूछने की गुंजाइश काफी कम कर दी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : निरीक्षण करने वाले इन दलों के निर्देश-पद क्या हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सरकारी स्तर पर बनाई गई जांच कमिटी नहीं होती, फिर भी उसे सभी तरह की चीजों की छानबीन करनी पड़ती है——उनके खर्च वगैरह का हिसाब देखना पड़ता है; यह देखना पड़ता है कि उस मुल्क की जनता, वहां की सरकार के साथ और उनके अपने आपसी संबंध किस ढंग के हैं। उसे देखना पड़ता है कि दावतों वगैरह पर कितना खर्च किया जाता है : हमारे इन्सपैक्टर वहां जाकर पूछते हैं कि इतने महीनों में कितने लोगों को कितनी दावतें दी गई, उन में क्या-क्या चीज़ें खिलाई गई। यह बड़ा मुश्किल होता है, बेचारे राजदूत को इन छोटी-छोटी चीज़ों का हिसाब रखने में ही अपना सारा वक्त लगाना पड़ेगा। वह अपना और काम कर ही नहीं सकेगा। इसलिये हमने इस तरह की चीजों को बन्द कर दिया है। हां, सामान्य प्रकार का निरीक्षण हुआ करेगा, उस से हमें काफी जानकारी मिल जाती है।

उन्हीं माननीय सदस्यों ने वैदेशिक सेवा के बारे में यह भी कहा था कि लोग अब पहले की तरह उसमें भर्ती नहीं होना चाहते। इस में कुछ सचाई है। हम दूसरे धनी मुल्कों, बड़े मुल्कों का तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उनको काफी तनख्वाहें देते हैं। वह कभी-कभी काफ़ी भी होती हैं, लेकिन कभी-कभी किसी के लिये कम भी पड़ती हैं। यह तो इस पर है कि किसी का परिवार कितना बड़ा है। निचले दर्जे के कर्मचारियों को खास तौर पर मुश्किल पड़ती है।

आम तौर पर, लोग दिल में राजदूतावास के बारे में बड़ी सुनहरी तसवीरें बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम लन्दन, वाशिंगटन, मास्को, पेरिस जैसे बड़े-बड़े शहरों में रहेंगे। लेकिन दूसरे मुल्कों में रहने वाले हमारे ६० से कुछ ज्यादा मिशनों में से ज्यादातर ऐसी जगहों पर हैं जहां की जिन्दगी बड़ी नीरस है। उन में से कुछ लोग तो रेगिस्तानों के बीच में रहते हैं और बाकी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता।

आप सोचिये कि तिब्बत जैसे देश में इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं राजनीतिक मुश्किलों की बात नहीं कह रहा हूं। तिब्बत जैसी जगह में कोई हिम्मत वाला इंसान ही रह सकता है।

मैं अभी जब भूटान गया था, तो मैंने यातुंग में भी एक दिन बिताया था। वहां की जिन्दगी देखकर ही मैं समझ पाया हूं कि तिब्बत में हमारे मिशन के लोगों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती होंगी। यातुंग में हमारा मिशन तो काफी अच्छी तरह से है। लेकिन ग्यान्सी में चार साल पहले एक बाढ़ आई थी, जिस में हमारे मिशन के ५०—६० आदमी बह गये थे। वह बाढ़ किसी झील के टूटने की वजह से आई थी। कहीं कुछ फट गया था और एक ही रात में हमारे ५०-६० आदमी मर गये थे। तब से वहां हमारी कोई अपनी इमारत ही नहीं है। इमारत बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन यह सब काम धीरे-धीरे ही चलता है। इमारत बनाने की बात सोचते वक्त, हमें यह भी ख्याल करना पड़ता है कि नदी का चढ़ाव रोकने के लिये, उस से बचाव के लिये भी कोई चीज खड़ी की जानी चाहिये। हमारे मुल्क में काम धीरे-धीरे ही होते हैं। लेकिन चीन में भी कभी कभी, हां कभी-कभी ही, कुछ काम हमारे यहां से भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्लान हैं और हमने अपने इंजीनियर भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक चीन की सरकार की तरफ़ से मंजूरी नहीं आई। वे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अभी उस पर सोच रहे हैं । और, तब तक हमारे लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं । वहां ठंड भी इतनी जबरदस्त पड़ती है कि अगर आप के पास ठीक ढंग के मकान न हों तो, उन्हें गरम रखने का ठीक इन्तजाम न हो, तो वहां रहना नामुमकिन सा हो पाता है । वह जगह ११,००० फीट की ऊंचाई पर है । इतनी ऊंचाई पर, बिना किसी साथी या समाजी जिन्दगी के, सर्दी की बर्फ जैसी रातें काटना पहाड़ मालूम पड़ता है । मैं उन लोगों की ओर उन से भी ज्यादा उनकी पत्नियों की तारीफ करता हूं जो वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं ।

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि इन मांगों को मंजूर किया जाये ।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : क्या प्रधान मंत्री को गोआ के बारे में कुछ भी नहीं कहना ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं; कोई भी नयी बात नहीं कहनी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर आग्रह नहीं कर रहे हैं ?

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुदानों की मांगों को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१६	आदिम-जाति क्षेत्र	७,६८,३२,०००
१७	नागा पहाड़ियां--त्वेनसांग क्षेत्र .	३,१५,६४,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	८,६४,८१,०००
१६	पांडचरी राज्य	२,५२,१३,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	४,२६,०००
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	६२,६३,०००

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी।

जो माननीय सदस्य इन मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे १५ मिनट के अन्दर उनकी संख्या सभा पटल पर दे दें।

वर्ष १९५९-६० के लिये शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१३	शिक्षा मंत्रालय	५४,४८,०००
१४	शिक्षा .	. २८,५४,०२,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	२,१६,६६,०००
११०	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय .	. ६३,८४,०००

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सवाल है, मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात उसने कुछ भी नहीं किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात हम, शिक्षा मंत्रालय जो काम करता है, उसके कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। जब तक स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे शिक्षा मंत्री थे, तब तक उन्होंने जो कुछ किया, उसमें से ये जो तीन अकादमियां हैं, उनका एक ऐतिहासिक स्थान रहने वाला है। जब तक हम को स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक स्वराज्य प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद अब निर्माण का काम हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया है। तो, उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो यह मानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है। पर प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने, जो कुछ उसे करना चाहिये था, या जो कुछ हमारे देश की जनता उससे आशा करती थी, वह किया है या नहीं किया। स्वतंत्र देश निर्माण के युग में सदा आगे बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, परन्तु हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार क्या वैसी है, जैसी होनी चाहिये ?

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : नहीं।

सेठ गोविन्द दास : मैंने आप से अभी निवेदन किया कि यह निर्माण का युग है। हमारे देश में निर्माण दो प्रकार का हो रहा है—एक पार्थिव वस्तुओं का निर्माण है और दूसरा नई पीढ़ी का निर्माण है। जहां तक पार्थिव वस्तुओं का निर्माण का संबंध है, हम आगे बढ़े हैं, और हर क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़ा है। परन्तु जहां तक नई पीढ़ी का निर्माण है, मुझे यह बात अत्यन्त खेद के साथ कहनी पड़ती है कि हम करीब करीब वहीं हैं, जहां उस दिन थे, जब हम स्वतंत्र हुये।

एक माननीय सदस्य : पीछे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : नई पीढ़ी के निर्माण के लिये सब से अधिक आवश्यकता उचित पाठ्यक्रम की पुस्तकों की है। हमने देखा है कि पाठ्यक्रम की जिस प्रकार की पुस्तकें होती हैं, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चलता है, उसके अनुसार नई पीढ़ी का निर्माण होता है। हिटलर के समय के जर्मनी का आप स्मरण कीजिए, मसोलिनी के समय के इटली का स्मरण कीजिए और आप देखिये कि यद्यपि हिटलर और मसोलिनी के सिद्धांत ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रयुक्त किया था कि उन के जमाने की नई पीढ़ी केवल कहती ही नहीं थी, बल्कि इस बात पर विश्वास करती थी कि नात्सीवाद ही जर्मनी का उद्धार कर सकता है, फासिस्टवाद ही इटली का उद्धार कर सकता है। आज हमारे यहां नई पीढ़ी का जो निर्माण हो रहा है, उसमें उचित पाठ्यक्रम न होने के कारण हम एक देशभक्त पीढ़ी और अपनी संस्कृति में प्रेम और श्रद्धा रखने वाली पीढ़ी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले केरल गया था। मैंने वहां देखा कि बहुत थोड़े समय में केरल की सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि वहां पर उन के सिद्धांतों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो जाय। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विषय में उन्हें जल्दी से जल्दी प्रगति करनी चाहिये।

हिन्दी को राजभाषा घोषित हुये इतना समय बीत गया है। समूचे देश को एक सूत्र में बांध रखने के लिये हमें एक भाषा की आवश्यकता थी। हिन्दी में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। हिन्दी का हमारे देश में जो स्थान है, वह स्थान, जितनी भाषाएं हमने अपने संविधान में स्वीकृत की हैं, उन सब का है। उन सब को मैं इस देश की राष्ट्र-भाषायें मानता हूं—कोई बाहर से आई हुई भाषायें नहीं मानता हूं। जो लोग कहते हैं कि हिन्दी के प्रति ही मेरा प्रेम है, वह मुझे गलत समझते हैं। मुझे सारी भारतीय भाषाओं से प्रेम है। लेकिन प्रश्न यह है कि केवल वही राष्ट्र-भाषा इस देश की राजभाषा बनाई जा सकती थी, जो कि यहां के आधे के करीब लोगों की मातृभाषा है और शेष अधिकांश लोग उसे समझते हैं। हिन्दी की प्रगति के संबंध में जो रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय से हमें मिली है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ करने का अवश्य प्रयत्न किया है, परन्तु वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। इस संबंध में एक सब से बड़ा प्रश्न जो हमारे यहां पर है, वह हमारे देश का अंग्रेजी के प्रति असाधारण प्रेम है। मैं दुनिया के करीब करीब सब देशों में घूमा हूं। मैंने किसी विदेशी भाषा के लिये इस प्रकार का प्रेम किसी देश में नहीं देखा है कि जैसा यहां पर अंग्रेजी के प्रति है। मैंने एक बार कहा था कि अंग्रेज चले गये, मैकाले साहब चले गये, लेकिन मैकाले साहब अपने कुछ गोद लिये हुये पुत्रों को यहां पर छोड़ गए। उस पर कुछ टीका-टिप्पणी भी हुई थी। परन्तु मैं फिर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी का जो समर्थन करते हैं, उन्हें मैं मैकाले साहब का दत्तक पुत्र मानता हूं।

एक प्रश्न हिन्दी के संबंध में और है और वह हिन्दी के रूप के विषय में है। मुझे इस बात को देख कर बड़ा खेद होता है कि इस का कोई भी निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। मैं इस बात को मानने वाला हूं कि भाषा सरल से सरल होनी चाहिये, बोल-चाल की भाषा होनी चाहिये, परन्तु यह मानते हुये भी जो हमारी वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, शासकीय और शास्त्रीय पुस्तकें हैं, उनकी भाषा तो कठिन होगी ही। आज अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम० ए० के सामने भी अगर एलोपैथी या एटामिक एनर्जी की पुस्तक रख दी जाये, तो एक शब्द भी उन पुस्तकों का उसकी समझ में नहीं आयेगा। इसलिये इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं, वे कठिन होंगी ही और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े से बड़े नेताओं के मन में भी बहुत बड़ा भ्रम है। अभी बम्बई में अपने एक भाषण में हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने एक बात कहदी कि "आर्टिफिशियल प्लैनेटेरियम"

ठीक शब्द है, सरल शब्द है, लेकिन "कृत्रिम नभोमंडल" ठीक शब्द नहीं है। हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सदृश्य हमारे नेता हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अशोक के बाद कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में नहीं हुआ कि जिस ने हमारे देश को संसार में इतना ऊपर उठाया हो, जितना पंडित जी ने उठाया है। परन्तु पंडित जी को मैं कोई भाषा-विशेषज्ञ नहीं मानता हूं और पंडित जी जब हिन्दी के संबंध में कोई बात कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह अनधिकार चेष्टा करते हैं। जिस आदमी ने हिन्दी की प्राइमरी परीक्षा न दी हो, जो आज भी अगर हिन्दी की प्राइमरी परीक्षा में बैठे, तो फेल हो जाय, जिस आदमी ने कोई भारतीय भाषा न सीखी हो, जो संस्कृत का क, ख, ग, न जानता हो, वह इस तरह की बात कहे कि "आर्टिफिशियल प्लैनेटेरियम" सरल शब्द है वनिस्बत "कृत्रिम नभोमंडल" तो मैं कहता हूं कि यह अनधिकार चेष्टा हैं। और जिनको हम इतनी इज्जत की दृष्टि से देखते है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनाधिकार चेष्टा करने का वे प्रयत्न न करें।

जहां तक शब्दावली का संबंध है मैं शुरू से इस मत का रहा हूं, और जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भी मेरा मत था, कि हमारे संविधान में इस प्रकार की धारायें जोड़ दी जायें जिनसे हमारी शब्दावली मूलतः संस्कृत से आये। यह प्रश्न कोई २०, २५, ५०, १००, २०० या ५०० शब्दों का नहीं है, यह प्रश्न लाखों शब्दों का है। जिस का आज अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के सदृश दुनियां में कोई चीज नहीं हैं। अंग्रेजी शब्दावली जो है वह केवल इंग्लैंड के चारों उपनिवेश साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया तथा अमरीका में प्रयुक्त होती है। अंग्रेजी की जो पारिभाषिक शब्दावली है वह किसी दूसरे देश में नहीं। हमारे पड़ोस में जो श्याम देश है उस इलाके की पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत से ली हुई है। अगर पारिभाषिक शब्दावली जिस को कि हम अन्तर्राष्ट्रीय या इंटरनैशनल कहते हैं, वैसी की वैसी हमारे यहां ले ली जायेगी तो हिन्दी या भारतीय भाषायें हिन्दी या भारतीय भाषायें नहीं रह जायेंगी, वे कोई दूसरी भाषायें हो जायेंगी। इसलिये पारिभाषिक शब्दावली के लिये सब से आवश्यक चीज यह है कि वह संस्कृत से लेकर ऐसी बनाई जानी चाहिये जो कि हमारी १४ भाषाओं में, जिन को हमने अपने संविधान में स्वीकृत किया है, प्रयुक्त हो सके। यह तो मुझे हिन्दी के रूप के संबंध में कहना है।

लिपि के विषय में मुझे यह कहना है कि जहां तक लिपि का प्रश्न है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर इतने वर्ष बीत गये पर लिपि का निर्णय क्यों नहीं हो सका। लिपि का निर्णय न होने के कारण टाइपराइटर के की बोर्ड और टेलीप्रिंटर आदि सब रुके हुये हैं। मैं शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि जहां तक लिपि का प्रश्न है वह जल्दी से जल्दी उसे हल करे।

अब साहित्य निर्माण की बात लें। शिक्षा मंत्रालय से जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसमें दिया हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता है। कुछ इधर उधर और भी छोटी मोटी बातें कहना चाहता है। इससे साहित्य निर्माण का प्रश्न हल होने वाला नहीं है। आज हम अपनी पार्थिव योजनाओं पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। मैंने कई बार ऐसी मांग की है और आज फिर कहना चाहता हूं कि साहित्य निर्माण के लिये, केवल हिन्दी साहित्य निर्माण के लिये नहीं, हमारी चौदहों भाषाओं के साहित्य निर्माण के लिये, शिक्षा मंत्रालय को ५ करोड़ रुपया अलग कर देना चाहिये और शिक्षा विशेषज्ञों, साहित्यकों, वैज्ञानिकों, शास्त्रियों के एक ऐसे समुदाय को एकत्र करना चाहिये जिससे कि केन्द्रीय शासन के द्वारा हमारे साहित्य का निर्माण हो सके।

[सेठ गोविन्द दास]

फिर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार का सवाल है। इस के बारे में भी हमारे सामने जो रिपोर्ट है उस में कुछ बातें कही गई हैं कि यह होने वाला है। लेकिन जो अवधि हम ने हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर लाने के लिये रक्खी है उस अवधि के अन्दर अगर हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध में जो कहा गया है रिपोर्ट में और जो रकम रक्खी गई है वह अत्यन्त अपर्याप्त है। इस के लिये एक विपद योजना बननी चाहिये और उस योजना के आधार पर काम किया जाना चाहिये।

यह कहा जाता है कि हमें टेक्नीशियनों की जरूरत है, कारीगरों की जरूरत है। मैंने चीन में जा कर देखा है कि वहां किस प्रकार कारीगर तैयार किये जाते हैं। उन कारीगरों को विदेशी भाषा में १०, १० या १२, १२ वर्ष तक शिक्षा नहीं लेनी पड़ती। उन में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, उन सभी गुणों के आधार पर वे अपनी भाषा में शिक्षा पाते हैं। इस पुराने देश में अनेक कारीगर हैं जिन में स्वाभाविक गुण हैं। अगर हमारी खुद की जन भाषाओं में उन कारीगरों को तैयार करने का टेकनीशियन्स को तैयार करने का काम किया जाये तो १० या १२ वर्ष जो उन को अंग्रेजी भाषा सीखने में लग जाते हैं, वे नहीं लगेंगे और सरलता से यह कारीगर तैयार किये जा सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : यह एजूकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : हम कोषों की तरफ अधिकतर ध्यान देते हैं। मैंने देखा है कि संसार की समस्त भाषाओं के कोषों को देखा है, में पहले साहित्य तैयार होता है तब कोष बनते हैं। यहां हम घोड़ों के आगे गाड़ी को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले कोष तैयार हों तब साहित्य का निर्माण हो। विविध प्रकार के साहित्य का हमें जो निर्माण करना है उस की ओर हमारा ध्यान पहले होना चाहिये न कि कोषों की ओर। जब साहित्य का निर्माण होगा तो कोष अपने आप उस के साथ बनते जायेंगे।

अन्त में मेरा कहना है कि मानव और पशु में जो सब से बड़ा अन्तर है वह अन्तर ज्ञान शक्ति का है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य इस लिये है कि निसर्ग ने उसे जो ज्ञान शक्ति दी है वह किसी दूसरे प्राणी को नहीं दी। उस ज्ञान शक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। उस शिक्षा का मुख्य माध्यम भाषा है। साथ ही इस दुनियां में इतने बड़े जन समुदाय की कोई भाषा नहीं है जैसी कि हमारी हिन्दी है। हिन्दी के साथ ही हमारी १३ भाषायें और हैं जिन को हम ने अपने संविधान में स्वीकार किया है। इस लिये भाषा के प्रश्न को मैं शिक्षा मंत्रालय के सामने जितने प्रश्न हैं उन में से अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं और उस में हिन्दी के प्रश्न के महत्व को सर्वाधिक मानता हूं। हम आज इस निर्माण के युग में एक दूसरी प्रकार की अर्थात् नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। उस नई पीढ़ी के ज्ञान को हम अपनी भाषा, अपने साहित्य के द्वारा विकास करने के लिये इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें तैयार कर सकें जिस से हमारे देश का या हमारी दूसरी पीढ़ी का निर्माण सर्वाधिक हो सके।

इतना सब कहते हुए भी मैं आखिर में जो मंत्री महोदय ने अनुदान सदन के सामने रक्खे हैं उनका समर्थन करता हूं।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवेल्ला) : हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में नयी प्रणाली के विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के शब्दों में यह शिक्षा को लोकतंत्रात्मक रूप देना है। तथापि इतने वर्षों में हम इस दिशा में संतोषजनक रूप से आगे नहीं बढ़ सके हैं। निसंदेह

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और हमारे स्कूलों तथा विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त विकास हो रहा है लेकिन हमने संविधान में जो उद्देश्य अपने समक्ष रखा था वह आज भी हम से उतना ही दूर है। संविधान के खंड ४५ के अनुसार हमने भारत में ६ वर्ष से १५ वर्ष के प्रत्येक बालक के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का वचन दिया है। लेकिन व्यवहार में हम इस उद्देश्य से बहुत पीछे रह गये हैं और अब हमने यह लक्ष्य बनाया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष के प्रत्येक बालक के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जायेगी। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि शिक्षा को लोकतंत्रात्मक रूप देने में हम असफल रहे हैं। यद्यपि हमने कुछ छात्रवृत्तियां इत्यादि निर्धारित कर दी हैं तथापि उनकी संख्या नगण्य है।

यद्यपि इस मद में व्यय होने वाली राशि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है तथापि अभी शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त असंतोष है। इसका कारण यह बताया जाता है कि कुछ राजनैतिक दल उन्हें चड़वाते हैं। लेकिन यह बात गलत है। वास्तविक बात यह है कि हम उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक देखना और समझना नहीं चाहते हैं। कहीं कहीं पर शिक्षक समुदाय ने एक होकर आन्दोलन इत्यादि के द्वारा वेतन वृद्धि करवा ली है तथापि अभी तक उनकी समस्यायों को व्यावहारिक ढंग से समझने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

उदाहरण के लिये दिल्ली के अध्यापकों और सरकार के बीच अभी विवाद जारी है। अध्यापकों की शिकायत है कि सरकार द्वारा दिये गये अश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

केरल राज्य के अध्यापकों में भी इस सम्बन्ध में बहुत असंतोष था। केरल की सरकार ने अध्यापकों के वेतन वृद्धि आदि में २ करोड़ से अधिक रुपया व्यय किया तथापि उनका असंतोष दूर नहीं हुआ। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक तालुक व जिले में अध्यापकों के सम्मेलन हुआ करेंगे जिनमें वहां के शिक्षक अधिकारी और यथासंभव शिक्षा मंत्री भी भाग लेंगे। इस तरीके से असंतोष तथा भ्रांति दूर होने में बहुत सहायता मिली है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी यही नौकरशाही रवैया अपनाया जा रहा है। मैं अभी हाल केरल विद्यार्थियों के एक समारोह के सिलसिले में वहां गया था तो मैंने वहां के विद्यार्थियों के विभिन्न गुटों, अध्यापकों तथा अधिकारियों के बीच बड़ी दलबन्दी तथा कटुता देखी। यह अवस्था बड़ी दुखद है। शिक्षा मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के प्रश्न को लेता हूं। हमारे देश में योजना को लागू हुए ८ वर्ष हो गये हैं तथापि हमारे देश के विद्यार्थियों को विकास कार्य के सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं है। अतः मेरा विचार है कि देश के विद्यार्थियों को इस प्रकार विशाल कार्यों से पृथक रखना ठीक नहीं अपितु सरकार को चाहिये कि वह ऐसी योजना बनाये जिसके अन्तर्गत देश के विद्यार्थियों के शिक्षा समाप्ति के पश्चात् विकास कार्यों में कुछ समय बिताना पड़े। इस योजना के सम्बन्ध में लोगों के दो मत हैं पहिला यह कि यह योजना स्वेच्छिक हो दूसरे कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि यह योजना अनिवार्य होनी चाहिये। हाल में संसद् के केन्द्रीय हाल में बोलते हुए स्वीडन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने यह कहा था कि उनके देश में यह अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा कई वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने यहां की सरकार और प्रधान मंत्री को यह सलाह दी थी कि वे इस योजना को देश में लागू करें। मैं चाहता हूं कि यह योजना अनिवार्य रूप से लागू की जाये

[श्री वासुदेवन् नायर]

अब मैं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लेता हूं। इस योजना के लिये द्वितीय पंच वर्षीय अवधि में ५० लाख रुपये रखे गये हैं। मेरे विचार से यह राशि बहुत कम है। सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हमारी देश की भावी संतति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अतः राष्ट्रहित के लिये यह आवश्यक है कि इस योजना को व्यापक रूप से लागू किया जाये। और इसके लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जाये। निसन्देह योजना के पुनर्मूल्यांकन में शिक्षा क्षेत्र में काफी कटौती की गई है। तथापि इस बात को भी याद रखना चाहिये कि शिक्षा के अन्तर्गत कई मदों की राशि व्यपगत हो गई है। उन्हें उस अवधि में व्यय नहीं किया गया। उदाहरणार्थ राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली सहायता के अन्तर्गत १६४.४७ लाख, संघ सरकार से मिलने वाला प्रत्यक्ष अनुदान १०५.८१ व्यपगत हो गया है। राष्ट्रीय अनुशासन, तथा क्रीड़ा के लिये दिये गये अनुदानों का भी बड़ा भाग व्यय न किये जाने के कारण व्यपगत हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय को चाहिये कि वह इस ओर ध्यान देवे और योजना आयोग को इस बात की शिकायत का अवसर न दे कि वे शिक्षा मंत्रालय का अनुदान इस लिये नहीं बढ़ा रहे हैं कि वे उपलब्ध राशि ही व्यय नहीं कर सकते हैं।

अध्यापकों की वेतन वृद्धि के प्रश्न का भी इससे घनिष्ट सम्बन्ध है। बहुत सी राज्य सरकारें अपने अध्यापकों का वेतन बढ़ाने से इस कारण डर रही हैं कि उन्हें वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन हो जाने की संभावना है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वेतन वृद्धि का ५०% राज्य सरकारें देंगी और ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार। यह व्यवस्था दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक रहेगी। मेरा सुझाव है कि इस योजना को तीसरी पंच वर्षीय योजना तक बढ़ा दिया जाये जिससे अन्य राज्य सरकारें भी इस सहायता का उपभोग कर लेवें।

केरल की सरकार ने अपने राज्य की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की अनुमति मांगी थी। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें यह अनुमति दे दी जाये।

प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दुपहर का भोजन देने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा निश्चित लक्ष्य के अनुसार ६ से ११ वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिये निशुल्क शिक्षा होगी। लेकिन यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि सरकार इस आयु के बालकों के लिये निशुल्क दुपहर के भोजन की भी व्यवस्था करे। अतः सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जो मांग सदन के सम्मुख है, उस पर, और शिक्षा के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसी भी प्रजातांत्रिक देश को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि वहां का शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो। स्वाधीन होने के पश्चात् देश पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयी है कि यहां का बहुसंख्यक समाज जो कि अशिक्षित अवस्था में है उसे शीघ्र से शीघ्र शिक्षित बनाया जाये। शासन ने विगत दस वर्षों में जो काम किया है वह हमारी अकांक्षाओं को देखते हुए, जिस चीज की हम कल्पना करते थे उसको देखते हुए, जो हमारा लक्ष्य है उसको देखते हुए, वह उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, उससे उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिए थी।

शिक्षा की स्थिति का विचार करते हुए मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसकी स्थिति उस सिंड्रेला जैसी है जिसे कि राजकुमार ने परित्याग कर दिया था और कोई भी गडरिया उसके बाल खींच सकता था। हमारे देश में जब भी शिक्षा के विषय में चर्चा होती है तो शिक्षा में दोष निकाले जाते हैं। शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा की योजनाओं को सफल बनाना कितना कठिन है, उसमें प्रगति लाना कितना कठिन है, इस पर, शिक्षा के विषय में विचार करते समय, अनेक लोग विचार नहीं करते।

आज देश की यह जरूरत है कि औसत आदमी विकसित हो। इस विकासशील समाज में उसका क्या कर्तव्य है उसको वह अच्छी तरह से समझें। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक दायित्व को समझें और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसका शिक्षा में पूर्ण रूपेण समावेश हो। दुर्भाग्य से जो मैशिनरी हमें शिक्षित करने के लिए देश में इतने वर्षों से चली आ रही है वह विदेशी लोगों द्वारा ईजाद की गयी थी। उस मैशिनरी में यह स्पिरिट नहीं है कि वह इस बदले हुए समाज के मुआफिक शिक्षा में नई भावनाओं का समावेश कर सके। शिक्षा विशारदों के सामने आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वह प्रश्न किसी फैक्टरी के खड़े करने जैसा प्रश्न नहीं है, किसी खेत से अधिक फसल उगा देने जैसा प्रश्न नहीं है। खेत में ज्यादा खाद देकर एक वर्ष में फसल ज्यादा उगायी जा सकती है, और एक बड़े से बड़ा प्लांट दो चार पांच वर्ष में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए मनुष्य के मन को तबदील करना पड़ता है। उस पीढ़ी को तबदील करना होता है जो शिक्षा संस्थाओं में काम कर रही होती है। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार के सामने यह बड़ी दिक्कत है। जिन लोगों के ऊपर शिक्षा का उत्तरदायित्व है, जिनके ऊपर राष्ट्र की नई पीढ़ी के निर्माण का भार है, वे पुरानी परम्पराओं में बंधे हुए हैं, पुराने ढंग पर तैयार हुए थें। उनके मन को एक दो वर्ष में तबदील करना काफी कठिन काम है। लेकिन इस कठिनाई के बीच ही तो हमें प्रगति करनी है। इसलिए यह जरूरी है कि हम और अधिक शक्ति और जोश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करें नहीं तो मुझे लगता है कि जिस डिमाक्रेसी को हम एक सफल स्वरूप में देखना चाहते हैं, वह स्वरूप प्राप्त होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। आज हमारा औसत आदमी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। इसीलिए हमको अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। डिमाक्रेसी मेरी दृष्टि में कानूनों का शासन हुआ करता है, और कानूनों का शासन ठीक तरह से संचालित हो इसके लिए जरूरी है कि देश का औसत आदमी कानून को ठीक तरह से समझ सके। जब तक कि देश का औसत आदमी शिक्षा के इस स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता कि वह कानून को समझ सके तब तक प्रजातंत्र को सफल नहीं कहा जा सकता। तो आज जिस तरह से खाद्य आदि समस्याओं को हमारे देश में महत्व दिया जा रहा है उसी प्रकार, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उनसे भी अधिक प्रायारिटी (पूर्ववर्तिता) हमें आज शिक्षा को देनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा यह प्रजातंत्र टूट फूट न जाये। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इस देश के औसत व्यक्ति को औसत ज्ञान से अधिक से अधिक शीघ्र सम्पन्न कर दें।

हमें दुःख हुआ जब हमने यह देखा कि जो लक्ष्य हमने स्थिर किया था कि हम दस पन्द्रह वर्ष की अवधि में देश को शिक्षा के एक निश्चित स्तर तक पहुंचा देंगे, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सके। हमने देखा कि हमने जो संकल्प किया था कि हम १४ वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे, उस संकल्प को हमें बदलने पर विचार करना पड़ा, और अब

[श्री वासुदेवन् नायर]

हमारा लक्ष्य है कि हम ११ वर्ष तक के बच्चों को ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें।

हम जानते हैं कि हमारे मार्ग में बहुत बड़ी दिक्कत--आर्थिक दिक्कत है। सारे देश में ११ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए हमें लगभग १००० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह शिक्षा प्रसार का काम केवल सरकार का नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि हम एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना करें जिसके द्वारा देश के मन्दिरों, मठों, मस्जिदों, आदि के ट्रस्टों का जो रुपया है वह शिक्षा के लिए काम में लाया जाये। हम इस ट्रस्ट को अधिकार दें कि वह, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित को उनके सामने रखकर देश में जो बहुत से ट्रस्ट हैं और जिनकी सम्पत्ति कुछ काम नहीं आ रही है, उस सम्पत्ति को शिक्षा प्रसार के लिए काम में लाने की व्यवस्था करें। मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जो हमारे देश में बौद्धिक पिछड़ापन है उसको दूर करने की राष्ट्र से अपील की जाये और एक नेशनल ट्रस्ट की स्थापना की जाये और उस ट्रस्ट को यह अधिकार दिया जाये कि जिन स्थानों में शिक्षण संस्थायें नहीं हैं वहां पर वह छोटी--छोटी शिक्षण संस्थायें खोले और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के कार्य में योग दें।

शिक्षा के क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन वर्षों में हमने आर्थिक कठिनाइयां होते हुए भी निश्चित रूप से बहुत कुछ प्रगति की है और काफी संस्थायें स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं जिस चीज को शिक्षण संस्थाओं में देखना चाहता हूं जिस वस्तु की राष्ट्र इन संस्थाओं से अपेक्षा करता है, वह नहीं देखता। हम चाहते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं में हमारे तरुणों में एक नई स्पिरिट जाग्रत हो जिससे वे यह महसूस करें कि राष्ट्र निर्माण का उनके ऊपर दायित्व है और उनके ऊपर राष्ट्र को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि यह भावना हमारे तरुणों में पैदा होनी चाहिए। लेकिन हमने जो संस्थायें खड़ी की हैं उनसे तो यह भाव हमारे तरुणों में नहीं पैदा हो रहा। हमने इधर उधर दिये तो बहुत से जलाये हैं परन्तु उनसे प्रकाश नहीं बल्कि अन्धकार प्रसारित हो रहा है। वह शिक्षा शिक्षा नहीं जो हमारे अन्दर उच्च भावनायें जाग्रत न करे, जो हमें अधिक विकसित न करे। अगर हमारी शिक्षा हमारे तरुणों में यह भावना जाग्रत करती है कि हम विलास की जिन्दगी बितायें और आराम से रहें तो मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं बल्कि कुशिक्षा या दुःशिक्षा कहूंगा। हमने इन संस्थाओं के द्वारा, जिन्हें हमने स्थापित किया है इस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे तरुणों में यह भावना पैदा करें कि वे अपने जीवन का भी उत्सर्ग करके देश की सेवा करें, उस प्रकार की शिक्षा का प्रसार इन संस्थाओं के द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े कर रहे हैं और इन पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए कि इनमें क्या कमी है।

मुझे शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटी संस्था से लेकर यूनीवर्सिटी तक का १३-१४ वर्ष का अनुभव है। मेरा विचार है कि जब सही प्रकार के शिक्षक होंगे तभी सही प्रकार के शिक्षालय कायम हो सकते हैं और जब सही प्रकार के शिक्षक होंगे तभी अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण हो सकता है। बिना सही प्रकार के शिक्षकों के अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। हम अपने प्रोफेसर्ज को १०००, १२०००, १५००० रुपए तक तन्ख्वाह देते हैं। प्राइमरी

स्कूल के गरीब अध्यापकों के विषय में हम कहते हैं कि वे ठीक काम नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या इस देश में प्रोफेसर अपने कर्तव्य का पालन ठीक रूप से करते हैं और हमारे जो वाइस-चांसलर इस देश के विश्वविद्यालयों को सुसज्जित कर रहे हैं, वे ईमानदारी से कितना समय अपने काम को देते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जहां हमारे पास पैसा नहीं है, वहां तो हम पैसे का रोना रोते हैं, लेकिन जहां हम अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां भी उचित रूप से काम नहीं हो रहा है और कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि देश को जिस राष्ट्रीय स्पिरिट (भावना) की जरूरत है, उसकी बहुत कमी है। हम को शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की क्रान्ति लानी होगी, जिस से यह कमी पूरी हो सके। हम देखते हैं कि देश की कुछ जगहों में तरुण लोग--विद्यार्थी लोग कुछ ऐसी कार्यवाहियां कर जाते हैं, जिन से इस देश का माथा झुकता है। आखिर यह किस का परिणाम है? यह इस बात का परिणाम है कि हम अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में उचित वातावरण निर्मित करने में सफल नहीं हो सके हैं। हम उनमें वशिष्ठ और विश्वमित्र की भावना जागृत नहीं कर पाए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम का निर्माण करने के लिए वशिष्ठ और वाल्मीकी की आवश्यकता हुआ करती है। तक्षशिला और नालंदा के निर्माण के लिए भी वहां रह कर काम करने वाले मनीषियों की आवश्यकता होती है। हम विश्व-विद्यालय और कालेज तो स्थापित करते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा वास्तविक विश्वविद्यालयों का निर्माण होता है, वे उपलब्ध नहीं हैं--आज गुरुकुल का निर्माण करने वाले वशिष्ठ, वाल्मीकी और कण्व उपस्थित नहीं हैं। जब उनका निर्माण नहीं होता है, तब तक इस देश में सही विश्वविद्यालय नहीं बन सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बने हुए हैं। उनसे सम्बन्ध रखने वाले लोग मजनू की तरह तड़पते हैं राजनीति के क्षेत्र में घुसने के लिए। ऐसे लोगों से हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था के स्तर को ऊंचा उठायेंगे और हमारे बच्चों को ऊंची शिक्षा देंगे। हमें शिक्षा के क्षेत्र में इस दृष्टि से काम करना है कि हमारे विश्वविद्यालयों का ठीक तरह से निर्माण हो, उनमें चरित्रवाणता और तेजस्विता हमारे तरुणों में पैदा करने की शक्ति हो।

बेसिक शिक्षा के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि उसके विषय में जिस तरह आम लोगों में प्रचार करना चाहिए था, उसके उद्देश्यों और उससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालना चाहिए था, वैसा हम नहीं कर पाए हैं, जिसका परिणाम यह है कि उसके विषय में गलतफहमी आज भी लोगों में बनी हुई है। जहां तक पुराने तरीके की शिक्षा प्राप्त किए हुए पुराने ठप्पे के लोगों का प्रश्न है, वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्ज और ऐसी दूसरी इंस्टीच्यूशन्ज में भेजना चाहते हैं। साधारण गरीब आदमी इस विषय में कुछ जानते नहीं हैं। हम को यह स्थिति बदलनी है। हमने यह महसूस किया है कि बेसिक शिक्षा ही इस देश के निर्माण में सहायक हो सकती है और इस लिए हमको सब स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करना चाहिए। हमको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे स्कूलों में अधिक उत्पादक श्रम करें। मैं हाई स्कूलों और कालजिज में देखता हूं कि हमारे विद्यार्थी लाइब्रेरी में काम नहीं करते हैं। वे दो तीन चार लैक्चर्ज क्लास-रूम में अटेंड करते हैं और बाकी समय को व्यर्थ ही गंवाते हैं। यह उचित हो कि इस समय में उनसे उत्पादक श्रम लिया जाये, जिससे उस शैक्षणिक संस्था के कोष की भी वृद्धि हो और साथ ही तरुणों में स्वावलम्बन का भाव जागृत हो, उसके बाजुओं में

[श्री वासुदेवन् नायर]

ताकत आए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अपने पांव पर खड़े हो सकें और इस देश की औद्योगिक तरक्की में योगदान कर सकें।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा अभाव यह है कि हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। इसलिये हमारी शिक्षा एकांगी हो गई है और उससे सामाजिक उद्देश्यों पर आघात होता है।

शिक्षा मंत्रालय का जो प्रतिवेदन परिचालित किया गया है उससे भी समाजिक पुन-निर्माण के संबंध में कुछ पता नहीं लगता है न उसमें शिक्षा की एक निश्चित समेकित व्यवस्था ही दिखाई गई है।

वस्तुतः हमारी शिक्षा का उद्देश्य हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिये। तथापि ऐसा ज्ञात होता है कि हमने इन सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत भीड़-भाड़ हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री देशमुख ने एक स्थान पर कहा है कि ३९ विश्वविद्यालय हमारे देश के लिये काफी नहीं हैं। हमारे विशविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष ५०,००० विद्यार्थियों की गति से बढ़ रही है इसलिये हमें २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ तथा इसके लिये हमें २०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष चाहिये। जिन्हें उपलब्ध करना कठिन है वित्त मंत्रालय जब भी व्यय में कटौती करना चाहता है तो उसका कुल्हाड़ा शिक्षा मंत्रालय पर ही पड़ता है। वस्तुतः हमें इस समस्या को हल करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारी सरकार ने त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम रखा है। मैं इस निश्चय का समर्थन करता हूँ। इससे माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा तथा विश्वविद्यालयों में केवल ऊंचे स्तर के विद्यार्थी ही जा सकेंगे। इस प्रकार इससे वहाँ विद्यार्थियों की संख्या में कमी होगी।

तथापि इससे विश्वविद्यालयों में भीड़भाड़ की समस्या हल नहीं होगी। इसके हल के लिये हमें विद्यार्थियों का ध्यान विश्वविद्यालय शिक्षा से हटा कर दूसरी ओर लगाना होगा। हमें देश में अधिक संख्या में टेक्नीकल और व्यवसायिक संस्थायें खोलनी चाहियें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हम देश में औद्योगिक प्रगति के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में उद्योगों की शीघ्र प्रगति हो इसके लिये हमें अधिक संख्या में टेक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अतः कर्मचारियों को टेक्नीकल शिक्षा देने के लिये हमें अपने देश में और अधिक टेक्नीकल व्यक्तियों और इंजीनियरों की आवश्कता होगी। इसके लिये हमें अधिक व्यवसायिक और टेक्नीकल संस्थाओं की आवश्यकता होगी। तथापि इस शिक्षा के संबंध में हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत कम है। विकसित देशों में स्वयं उद्योगपति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों देते हैं जिससे वे उन्हें टेक्नीकल विकास में सहायता दे सकें। तथापि हमारे देश में उद्योगपतियों का यह रवैया नहीं है। और विद्यार्थियों के लिये आवश्यक छात्र-वृत्तियों की संख्या बहुत कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे सामने इस प्रकार एक व्यापक समस्या है मेरे विचार से इसका हल यह है कि विद्यार्थियों के माता-पिताओं को कर से छूट देने पर विचार किया जाये, जिससे, माता-पिताओं का अपने बालकों को उच्च शिक्षा देने के प्रति उत्साह बना रहे।

शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है और प्रतिवर्ष बहुत अधिक विद्यार्थी फेल होते हैं। पिछले वर्ष इंटरमीडियेट और बी० ए० की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः ५४.७ और ४८.७ था। इसका यह तात्पर्य है कि हमारी ५०% श्रम और पूंजी व्यर्थ जा रही है। निस्संदेह यह शोचनीय स्थिति है। सरकार को चाहिये कि इस ओर यथेष्ठ ध्यान दिया जाये।

कुंजरू समिति ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अभी अंग्रेजी की शिक्षा जारी रखी जाये। श्री देशमुख ने भी कहा है कि अंग्रेजी की पढ़ाई एक माध्यम तथा भाषा दोनों रूपों में जारी रहनी चाहिये। तथापि केवल अंग्रेजी जारी रखना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसे माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के ढंग में भी परिवर्तन करना चाहिये क्योंकि जब तक पढ़ाने की प्रणाली उचित नहीं होगी तब तक उसका परिणाम वांछनीय नहीं हो सकता है अतः मेरा सुझाव है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देने के लिये चुना जाय जो इस ओर विशेष रुचि रखते हो तथा विशेष चतुर हों। इस संबंध में प्रतिवेदन में यह कह गया है कि अखिल भारतीय रेडियो अपनी सेवायें देने को तैयार हो गया है। यह बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव है कि बी० बी० सी० की तरह आकाशवाणी से भी अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिये।

अब मैं सांस्कृतिक तथा सामाजिक सहयोग की बातों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं को लेता हूँ। निस्संदेह मैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के पक्ष में हूँ। तथापि इस संबंध में जो पांचवा अन्तर-विश्वविद्यालय समारोह हुआ था उसमें कई कार्यक्रम निम्न कोटि के तथा ओछे प्रकार के थे जिनमें सस्ते अंग्रेजी व हिन्दी के फिल्मी गानों की धुनों पर गीत बनाये गये थे। इसी प्रकार जब गोष्ठी और वाद-विवाद हुआ तो उसमें विद्यार्थियों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली तथा चर्चा का स्तर भी पर्याप्त रूप से गिरा हुआ था।

अभी हाल राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन हुआ था हमारी शिक्षा तथा अध्ययन आजकल केवल पाठ्यक्रम में रखी गई किताबों तक ही सीमित रहता है। उक्त सम्मेलन ने कुछ सिफारिशें की थीं। जिन्हें संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों के पुस्तकालयों के लिये ऊँचे स्तर की शिष्ट किताबों का चुनाव करना चाहिये। आजकल बाजारों में सस्ती कामोत्तेजक प्रकार की किताबें बहुत आ गई हैं जिससे हमारे समाज के नैतिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। सरकार को उसे रोकना चाहिये अन्यथा इस सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

†**डा० अचमम्बा** (विजयवाड़ा) : खाद्यान्नों के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा होती है। और शिक्षा में भी सबसे महत्व का स्थान प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का आता है क्योंकि इन्हीं कक्षाओं में बच्चों की शिक्षा की आधार शिला रखी जाती है। परन्तु इसी प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होने के कारण इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार इनके विकास के लिए अनुदान देना चाहती है

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० अचम्बा]

लेकिन राज्य सरकारें अनुदानों का इसलिए उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि यह अनुदान इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसको राज्य सरकार को भी उतना ही धन इस अनुदान में मिलाना होगा जितना केन्द्रीय सरकार ने दिया है । मेरा यही सुझाव है कि केन्द्र को केन्द्रीय सरकार के समान ही अनुदान देने को राज्य सरकारों को बाध्य नहीं करना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार के द्वारा यह शर्त लगा देने के कारण ही न तो राज्य सरकारें अध्यापकों को अच्छा वेतन दे पाती हैं और न ही स्कूलों, विशेषतया गांव के स्कूलों के भवन बनवा पाती हैं, जिनकी आवश्यकता है । यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा भी उतनी ही राशि दिए जाने की शर्त उठाले तो शिक्षा के विकास के लिए आवंटित धनराशि प्रत्येक वर्ष व्ययगत न होकर, व्यय कर दी जाये ।

शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना ही नहीं है । जब तक अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका ज्ञानवर्धन नहीं होगा। इन अन्य पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय हो। इसलिए पुस्तकालय बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल को अनुदान दिया जाना चाहिए। आज हमारे देश में बड़ा अश्लील साहित्य तथा अश्लील चलचित्र बनाये जा रहे है जिनको बच्चे पढ़कर तथा देखकर बिगड़ जाते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य से विद्वान लोग एक स्थान पर मिल कर बैठें और बच्चों के लिए सुन्दर, साहित्य बनायें।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। हमारे बच्चे अपनी शिक्षा अंग्रेजी से आरंभ करते हैं परन्तु माध्यमिक शिक्षा में आने पर उनको प्रादेशिक भाषा में सभी विषय पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद जब वह विश्वविद्यालय में आते हैं अथवा इंजीनियरिंग और मैडिकल में जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी की शब्दावली के कारण उनको कठिनाई होती है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा उन्होंने अपनी प्रादेशिक भाषा में पाई होती है । इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिन्दी के विरोधी नहीं हैं परन्तु कम से कम साइंस को तो अंग्रेजी में ही आरंभ से बढ़ाया जाना चाहिए जिससे उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो ।

आज सभी माता पिता यही प्रयत्न करते है कि उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ने जायें। ऐसा क्यों हैं। ऐसा केवल इसी कारण से है कि इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी ही अधिकांशतः प्रतियोगिताओं में सफल होते हैं।

यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्कूलों में १२ से १८ वर्ष के बच्चों में अनुशासन हीनता है । विशेषतया परीक्षाओं के समय तो अध्यापकगण पिटने के डर से बड़े भयभीत रहते हैं। इसलिये हमें सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए जिससे हमारे इन बच्चों में अनुशासन से रहने की प्रवृति बढ़े ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी पूर्व वक्ता महोदया ने छात्रों में अनुशासन की बात की चर्चा की और वस्तुतः यह एक ऐसी बात है जिस पर देश का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये । इस रिपोर्ट में भी इस बात का संकेत है क्योंकि जब शिक्षा विभाग का दो विभागों में विभाजन हुआ तो शिक्षा विभाग के जिम्मे जो ६९ काम सौंपे गये उन में एक काम है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन का। जैसा कि देवी जी ने बतलाया हम चाहते हैं कि यदि देश के छात्र

अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं तो उनमें पूरी तरह अनुशासन लाया जाय। लेकिन इसके लिये अभिभावकों के लिये भी यह जरूरी है कि यदि उन में अनुशासन की कमी है तो वे भी ज्यादा से ज्यादा अनुशासन की भावना अपने में लायें। इस से भी ज्यादा जरूरी है कि जिन के जिम्मे देश को बढ़ाने का काम है, खास कर के सरकार, वह खुद ऐसे मार्ग पर चले जिससे कोई अनुशासनहीनता की बात आने ही न पाये। सरकार के साथ साथ जो विश्वविद्यालय हैं, कालेज और स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उन सभी संस्थाओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिन में लड़कों को ऐसी किसी बात की झलक न मिले कि हमारे व्यवस्थापकों में ही अनुशासनप्रियता की कमी है। यदि हमारी सब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होने लगेंगी तब किसी छात्र की हिम्मत न पड़ेगी कि वह अनुशासनहीनता की ओर बढ़े। यदि आज छात्रों की यह स्थिति है तो एक ओर यह भी स्थिति है कि जब कोई छात्र कालेज या स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके लिये इतने विषय वहां पर होते हैं कि उसके लिये संभव ही नहीं है कि वह वहां पढ़ कर ही अपने वर्ग में उत्तीर्ण हो सके। उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है प्राइवेट ट्यूशन पर। यदि प्राइवेट ट्यूशन के लिये उस के पास रुपया नहीं है तो वह अपनी जगह पर ही बना रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि उसे पढ़ना पड़ता है कि एक ओर तो उसके रहने की व्यवस्था कम है छात्रावासों में और दूसरी ओर उसको अपने शिक्षकों में या जो विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियों में कोई खामी या त्रुटि नजर आती है तो उसका ख्याल भी अनुशासनहीनता की ओर जाता है। यदि फेवरिटिज्म के आधार पर कोई बात की जाती है बड़े बड़े विद्यालयों में या दूसरे किसी स्थान पर, तो किसी प्रकार से विद्यार्थियों पर अनुशासन लाद सकना असम्भव है। वास्तव में जब तक हम खुद अनुशासनबद्ध न हों और जब तक हम खुद फेवरिटिज्म को खत्म न करें तब तक दूसरों से, खास कर छोटे बच्चों से उस चीज की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिये? मैं नहीं चाहता था कि इस विषय पर कुछ कहूं, लेकिन अभी जो बात बतलाई गई, हमारे बरूआ साहब ने भी इस ओर संकेत किया, उसे देखते हुये मुझे भी कहना पड़ा कि मैं भी चाहता हूं कि देश में ज्यादा से ज्यादा अनुशासन रहे।

१३ तारीख को हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने एक सवाल का जवाब दिया। इस रिपोर्ट में भी इस बात का दिग्दर्शन है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में इस हाउस में तुरन्त एक ऐसा बिल लाया जायेगा जो कि बहुत ही काम्प्रिहेन्सिव नेचर का होगा और १२ सितम्बर, १९५८ को जो बिल यहां पर पास किया गया था उसको यह बिल रद्द करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह बिल शीघ्रातिशीघ्र इस हाउस के सामने लाया जाय क्योंकि अब इस अधिवेशन के खत्म होने में बहुत कम समय रह गया है। यदि इस अधिवेशन में यह बिल नहीं पास किया जायेगा तो बहुत असम्भव नहीं होगा कि एक संस्था का जो कि हिन्दुस्तान की सब से बड़ी और शानदार संस्थायों में से एक है, सत्यानाश हो जाय क्योंकि नये छात्रों के प्रवेश करने का वक्त आयेगा जुलाई में और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि वह अपने लड़के या लड़की को एक ऐसी संस्था में भेजे जहां पर पुलिस का पहरा हो। करीब करीब सितम्बर से आज तक वहां पुलिस का पहरा है और कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां नहीं जा पाता है जब तक वह अनुमति न ले ले। अनुमति लेना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। स्वतंत्र भारत में यदि हम पुलिस या किसी प्रोफेसर की अनुमति लेकर अपनी बड़ी से बड़ी संस्था में प्रवेश कर सकें तो हम इस मुल्क में कैसे स्वतंत्रता का वातावरण बढ़ा सकेंगे, यह समझने में हम असमर्थ हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय तुरन्त वहां से पुलिस को हटावे। यदि वह नहीं हटेगी तो इस मंत्रालय पर यह एक बड़ा भारी दाग रहेगा कि वह इस संस्था को चला सकने में असमर्थ रहा।

यूनिवर्सिटी की तरफ से जमीदारी अबालिशन बांड्स खरीदे गये, मैं उसे देख कर और असमंजस में पड़ जाता हूं। यदि युनिवर्सिटी का रुपया, या गरीब शिक्षकों का रुपया किसी बैंक में रक्खा जाता

[डा० राम सुभग सिंह]

तो कम से कम ३ या ४ रु० प्रतिशत सूद आता, लेकिन इसमें तो सिर्फ २.५ प्रतिशत सूद मिलता है। यह रु० प्राविडेंड फंड का है। अभी मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में एक स्टेटमेंट दिया, जवाब तो वे नहीं दे सके, कि जमीदारी अवालिशन के करीब १६ लाख रु० के बांड खरीदे गये हैं। २९ मार्च, १९५६ को १ लाख रु० के बांड खरीदे गये। उस दिन कलकत्ते में रेट था ४३ रु० ६ नये पैसे और खरीदा उन्होंने ४५ रु० में। दूसरी बार खरीदे गये ४ मई, १९५६ को, २ लाख रु० के। उस दिन कलकत्ते में रेट था ४२ रु० ५० नये पैसे और खरीदे गये ४५ रु० में। तीसरी बार खरीदा २४ अगस्त, १९५६ को १ लाख, ८० हजार रु० के। कलकत्ते में रेट था ४० रु० २५ नये पैसे और खरीदा ४२ रु० में। फिर खरीदा १६-४-५७ को १,७५,००० ३८.८७ पर जब कि रेट था उस दिन ३७.७५। फिर खरीदा उसी दिन १,७५,००० उसी रेट पर, फिर उसी दिन खरीदा डेढ़ लाख उसी रेट पर। फिर उसके बाद २४-४-५८ को एक लाख का बांड खरीदा ४७.२५ पर जब कि रेट था ४६.८५। फिर खरीदा २४-८-५६ को ९०,००० का बांड ४२ पर जब कि रेट था ४०·२५। यह गौरी शंकर गोयनका फंड एकाउंट का था। फिर उसी दिन खरीदा ४५,००० उसी रेट पर, और फिर उसी दिन खरीदा २,६०,००० ४२ पर जब कि रेट था ४०·२५। यह सारा फिगर १३ तारीख को सरकार द्वारा दिया गया है। यह बतलाया गया है कि वहां पर आर्थिक व्यवस्था यह है। जब वहां पर रुपये का इतना अच्छा उपयोग किया जा रहा है तो आप देखें कि इसका लड़कों पर क्या असर पड़ेगा। वहां होना यह चाहिये कि जो भी खर्च किया जाये वह एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय से किया जाये। हम यही उम्मीद करते थे क्योंकि हमारे मंत्री महोदय बराबर यह कहते थे कि हम लोग बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी के आदेश के कोई कार्य नहीं करते। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यह जो सारी कार्रवाई हुई है क्या यह एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रस्ताव पर हुई है। अगर एग्जीक्यूटिव की राय से यह काम हुआ है तो उनसे इसके बारे में कैफियत तलब की जाये। अगर यह काम एग्जीक्यूटिव कमेटी के आदेश से नहीं हुआ है तो इसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है।

दूसरे इसमें प्राभीडेंड फंड का ज्यादा से ज्यादा रुपया है। इस पर जमींदारी एबालीशन के बांड्स में केवल २·५ सूद मिलता है, अगर यह रुपया किसी बैंक में रहता तो तीन चार परसेंट सूद मिल सकता था।

तीसरी यह बात है कि जितनी इसकी फेस वैल्यू है उतना रुपया ड्रा किया गया प्रावीडेंड फंड एकाउंट से, लेकिन जितना एक्चुअल पेमेंट हुआ उतना ही दिया गया और बकाया दूसरी जगह लोगों ने रख लिया। यह एक गलत चीज है।

यहां अनुशासन हीनता की बात आती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई शिक्षक अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाता हो तो उसको और जो विद्यार्थी अनुशासनहीनता करता हो उसको सजा दी जाये। लेकिन पहले हमको भी तो अनुशासित होना चाहिये।

अभी माननीय मंत्री महोदय हाल में बनारस गये थे। उस बारे में मेरी उनसे काफी लिखापढ़ी हुई। मैं समझता था कि कोई गलत घटना हो गयी है। पर उन्होंने कहा कि हमने उसके मुताल्लिक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कहता हूं कि अगर लड़के दोषी हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिये लेकिन उनके लिये इस प्रकार लिख कर चीजें आती हैं कि इसका कारण बताया जाये कि २२ जनवरी को डा० का० ला० श्रीमाली के भाषण के समय तुमने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश क्यों की?

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर लड़कों ने कोई गलती की थी तो उन्होंने उनको दंडित किया या नहीं और अगर किया तो उनको क्या दंड दिया। और यदि नहीं दिया और आपने किसी को मुजरिम नहीं समझा तो इस तरह का स्केअर फैलाने की क्या आवश्यकता थी। यहां हमारे एक वरिशष्ठ नेता बैठे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि जहां कहीं हम जायें तो लोग खुद व खुद हमको सुनने के लिये उमड़ पड़ें, यह नहीं होना चाहिये कि हम अपने आपको उन पर इम्पोज करें।

एक माननीय सदस्य : और अगर लोग न आयें तो अनशन करें।

डा० राम सुभग सिंह : यह भी कहा गया है कि वहां पर कुछ सीनियर लड़कों को जो कि रिसर्च के विद्यार्थी थे दंडित किया गया है। और पचासों विद्यार्थियों को निकाल दिया गया है और रस्टीकेट कर दिया गया है, और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में ऐसी फिजा पैदा की जाये ताकि लड़के यह न समझें कि हमारा जीवन बरबाद करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिये कि अगर लड़कों का कोई दोष भी था तो इसका दंड उनको इतने दिन विश्वविद्यालय बन्द रहने के कारण मिल चुका। एक वर्ष तक विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने का वातावरण ही नहीं रहा। हमको जल्दी व्यवस्था कायम करने की क्षमता होनी चाहिये। अगर यहां पर सरकार एक बरस के लिये व्यवस्था करने में असमर्थ हो जाये तो देश की क्या स्थिति होगी। देश का सत्यानाश हो जायेगा। देश के मुकाबले यह एक छोटी चीज जरूर है। अगर वहां पर एक बरस तक पढ़ने लिखने की स्थिति नहीं रही तो हमको विचार करना चाहिये कि क्या कारण है। चार ६ दिन या ज्यादा से ज्यादा अगर एक महीने यह स्थिति रहती तो मैं समझ सकता था। लेकिन इस अवधि के बाद तो स्थिति पर कंट्रोल होना चाहिये। अगर वहां पर लोग एक महीने तक स्थिति पर काबू नहीं पा सके तो हमको सोचना चाहिये कि हम क्या करें। क्या हम इस काम को दूसरे किसी को दें जो कि इसको संभालने की लियाकत रखता हो।

मैं चाहता हूं कि आज जो शिक्षकों और छात्रों में निराशा की भावना है उसको खत्म करना चाहिए। और यदि कोई एग्जीक्युटिव का मेम्बर यह धमकी दे कि यदि अमुक व्यक्ति को हटाया जायेगा तो मैं भी काम नहीं कर सकूंगा तो उसकी धमकी के आगे हमको नहीं झुकना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर लड़कों का दोष है तो उनको दंड दीजिये। लेकिन अगर आथारिटीज का दोष है और अगर कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर आकर कहे कि अगर उसको हटाया गया तो मैं भी हट जाऊंगा तो उसकी इस चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रिश्तेदारी आदि की वजह से कोई दवाब डाला जा सके। जो कमेटी के सदस्य इस प्रकार की धमकी दें उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए और उनको हट जाने देना चाहिए।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान के सम्बन्ध में जो बहस इस सदन में चल रही है और माननीय डा० राम सुभग सिंह ने कुछ सवाल हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उठाये हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लोकतंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था करने की जो भावना है उस भावना पर कुठाराघात किया गया है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में।

ब्रिटिश साम्राज्यशाही के जमाने से ही इस बात की कोशिश बराबर रही कि विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षा में सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण हो, और उस

[श्री प्र० ना० सिंह]

समय जो लोग कि साम्राज्यशाही के खिलाफ लड़ रहे थे उन लोगों ने, इस देश के बड़े-बड़े नेताओं, ने, यह आवाज बुलन्द की कि शिक्षा के अन्दर सरकार का नियंत्रण, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। सन् १९१५ में जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ऐक्ट बना उस समय पूज्य मालवीय जी ने इस बात का प्रयत्न किया था कि सरकार का हस्तक्षेप विश्वविद्यालय के कार्यों में कम से कम होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी आटोनोमी पर हमला किया गया। मैं समझता हूं कि कोई भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रेम रखने वाला व्यक्ति इस को पसन्द नहीं कर सकता है। आज से करीब दस महीने पहले मुझे माननीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से बनारस के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में बनारस विश्वविद्यालय के बारे में मिलने का मौका मिला था। उनसे उस विषय पर करीब घंटा भर वार्ता हुई थी। मैंने उनके सामने यह विचार रखा था कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बनारस विश्वविद्यालय में कुछ लोग गलत हैं या कैसे हैं, बल्कि हमें तो मतलब इस बात से है कि बनारस विश्वविद्यालय के विषय में सरकार की ओर से जो कार्यवाही की गई है, वह यूनिवर्सिटी आटोनोमी के सिद्धान्त पर हमला है, जो कि आगे आने वाले वर्षों में यूनिवर्सिटी की शिक्षा के सम्बन्ध में एक बहुत गलत कदम साबित होगा। माननीय प्रधान मंत्री ने माना था कि यूनिवर्सिटी आटोनोमी कायम रहनी चाहिये और यूनिवर्सिटी के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं—और हमें इस बात की शिकायत है—कि माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री के रहते हुए भी बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो कदम उठाए गए, जो कार्यवाही की गई, यूनिवर्सिटी आटोनोमी का जो अतिक्रमण किया गया, वह कोई शोभनीय बात नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में सशस्त्र पुलिस की छत्र छाया में किसी शैक्षणिक संस्था को चलाने की कार्यवाही नहीं हुई होगी, लेकिन मुबारक है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को, मुबारक है आज की सरकार को कि बनारस विश्वविद्यालय को एक जेलखाना बना कर और उसको सशस्त्र पुलिस के पहरे में रख कर वहां पर शिक्षा के वातावरण को दूषित किया जा रहा है। यदि माननीय शिक्षा मंत्रीं समझते हैं कि वह इस लोकतंत्रात्मक राज्य में उस विश्वविद्यालय में भय, आतंक और टेरर का वातावरण पैदा करके वहां की स्थिति को सुधार लेंगे, तो मेरे विचार में वे गलती पर हैं। हमारे देश की लोकतंत्रात्मक परम्पराओं की पृष्ठभूमि में यह एक बहुत ही गलत कदम है। हम सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री से इस बात की जोरदार मांग करते हैं कि वहां से सशस्त्र पुलिस को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा है, आज वहां पर इस प्रकार की स्थिति है कि किसी भी आत्म-सम्मान वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय जाने में बड़ी हिचक हो रही है। वहां आज फाटक पर परमिट की व्यवस्था है। काशी से सम्बन्धित होने के नाते और बनारस विश्वविद्यालय का स्नेही होने के नाते हमें इस पर लज्जा का अनुभव होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वातावरण वहां पर आज है, उस तरह का वातावरण १९४२ में भी वहां नहीं था, जब कि डा० राधाकृष्णन् वहां कुलपति थे—जो कि आज हमारे उपराष्ट्रपति हैं—और जब हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने—हम ने सारे देश में बगावत की लहर फैलाई थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजों ने भी उस बर्बरता और पशुता का बर्ताव नहीं किया था, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री के राज्य में किया गया है। आज वहां पर परमिट के द्वारा विश्वविद्यालय में जाने की व्यवस्था है। किस के यहां जाना है, किस से बात करेंगे, अच्छे से अच्छे नागरिकों से इस तरह प्रश्न

किए जाते हैं और परमिट लेने के बाद ही विश्वविद्यालय में जाया जा सकता है। जिस प्रकार आसाम के नागा पहाड़ियों के इलाके में लड़ाई की स्थिति के कारण सरकार की तरफ से परमिट की व्यवस्था की गई है और बड़े से बड़े लोगों को भी—राष्ट्रीय नेताओं को भी वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उसी प्रकार की परमिट की व्यवस्था बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में चलाना कहां तक उचित और न्यायसंगत है, मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री हम को यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री को यह बात मान लेनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में--शिक्षा जगत में केवल प्रशासकीय योग्यता के बल पर ही शिक्षा का काम ठीक तरह से नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए चरित्र और शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है--एक ऐसे कुलपति की जरूरत होती है, जिसके प्रति आदर और श्रद्धा की भावना अपने आप उत्पन्न हो। मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय कुलपति आज हिन्दू विश्वविद्यालय में पड़े हुए हैं, उनके रहते हुए भी वहां की हालत दिन–ब–दिन खराब होती जा रही है। आज रीव्यूइंग कमेटी के कारण विश्वविद्यालय में आतंक का वातावरण व्याप्त है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इससे वातावरण नहीं सुधरेगा। शिक्षा जगत में इस तरह का आतंक, डर, भय और पुलिस–राज्य कायम करके शिक्षा के स्तर को ऊचा करने या वहां की स्थिति को ठीक करने की बात यदि सोची जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में स्थिति को ठीक करने का एक ही तरीका है और वह यह है कि वहां पर विशाल हृदय के साथ और सभ्यता के साथ व्यवहार किया जाये। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि उन पर भी इसी तरह एक रीव्यूइंग कमेटी बिठा दी जाये, तो क्या वे मंत्री-मंडल के सदस्य बने रहना पसन्द करेंगे? जिन लोगों ने तीस वर्ष तक हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा की, आज रीव्यूइंग कमेटी के सामने उनको भेज कर उनके आत्म–सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है और वहां पर डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। क्या ऐसी अवस्था में वे लोग ठीक तरह से शिक्षा का कार्य कर सकेंगे? अगर माननीय शिक्षा मंत्री स्वतः अपने को उदाहरण रख कर यह बात सोचें, तो अधिक अच्छा होगा।

मैं देखता हूं कि जहां शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यूनिवर्सिटी आटोनोमी को सुरक्षित रख कर शिक्षा का अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयत्न नहीं हो रहा है, वहां सरकार का शिक्षा को लोकतंत्रात्मक आधार पर प्रतिष्ठित करने का सामाजिक उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। प्राइमरी प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में कितना कितना भेद का वातावरण चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूलों में एक बच्चे पर पांच छः रुपए के करीब खर्च होता है। उसके मुकाबले में अर्टा और देहरादून के फैन्सी स्कूलों और दूसरे फैन्सी स्कूलों में एक बच्चे पर ढाई सौ, तीन सौ रुपए के करीब खर्च होता है। उन स्कूलों को भी ग्रान्ट्स दी जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात को सोचें कि जब बच्चों की पढ़ाई–लिखाई की शुरूआत में ही इस तरह का तफर्रुका किया जाता है, भेद–भाव किया जाता है, तो क्या बाद में जीवन की दूसरी सीढ़ियों में भी वह भेद कायम नहीं रह जाता है। हिन्दुस्तान के गरीबों, किसानों, मजदूरों और निम्न मध्यम वर्ग के जिन बच्चों को, जिनकी संख्या ९०, ९५ फीसदी है, शिक्षा के इस तरह के साधन नहीं मिल पाते हैं, कि वे फैन्सी स्कूलों में पढ़ सकें, क्या उन को जीवन की स्पर्द्धा में इस कारण से असुविधा नहीं होती? मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न को सोचें कि क्या शिक्षा

[श्री प्र० ना० सिंह]

को लोकतंत्रात्मक बनाने के सिलसिले में हम प्रारम्भिक शिक्षा में समानता का वातावरण नहीं ला सकते। जब तक हम नहीं ला सकते, तब तक कम से कम फैंसी स्कूलो की ग्रान्ट्स को तो खत्म करें। वह इस बात का ध्यान जरूर रखें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड इत्यादि के जो स्कूल आज सार्वजनिक रूप से चल रहे हैं, उनमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और उस के लिए उन्हें अधिक से अधिक ग्रान्ट देने के विषय पर उचित तरीके से विचार करना चाहिए। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनकी तरक्की और उन्नति कैसे हो, उनमें पढ़ने वाले बच्चे किस तरह ऊपर उठें। यह बहुत बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि १६६० तक चौदह वर्ष तक के बच्चों को प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी। लेकिन हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खात्मे के मौके पर भी उस उद्देश्य की पूर्ति का कोई सवाल नहीं है। बल्कि हम ने अखबारों में माननीय शिक्षा मंत्री का बयान देखा है और इस विषय में रिपोर्टस भी देखी हैं, जिनसे प्रकट होता है कि १६५७ में शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें १६६५-६६ तक केवल ग्यारह वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का निर्णय किया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मसले पर, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के मसले पर गम्भीरतापूर्वक सोच विचार किया जाए क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इस तरफ हम और तेजी के साथ आगे बढ़े। हम आज यह देख रहे हैं कि इस ओर जितनी तेजी से हमारे कदम बढ़ने चाहियें, उतनी तेजी के साथ कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी देखता हूं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है वह भाषा के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम भाषा के प्रश्न को अलग करके विचार करना चाहें शिक्षा के प्रश्न से तो उस हालत में हम उस पर ठीक तरह से, विचार नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न है, उस दिशा में समुचित कार्रवाई नहीं हुई है। इस चीज को देख कर हमें परेशानी और तकलीफ होती है। हम आज भी देख रहे हैं कि अंग्रेजी को बनाये रखने की तमन्ना बहुत से लोगों के दिलों में मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी लोक-हितकारी राज्य, कोई भी लोक राज्य की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम लोग लोक भाषा को अपनाने की कोशिश न करें। जब तक लोक भाषा को उसका समुचित स्थान नहीं दिया जाता है तब तक देश में जनतंत्र के पनपने और फलने फूलने की आशा हम नहीं कर सकते हैं, वह फल फूल नहीं सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दी का प्रान्तीय भाषाओं के साथ कोई संघर्ष नहीं है। हिन्दी को प्रान्तीय भाषाओं के साथ फलना फूलना है, फिर चाहे वह मराठी भाषा हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलगू हो, चाहे कैनरीस हो, चाहे बंगला हो, चाहे उर्दू हो। इन में से हिन्दी का किसी भी भाषा के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो केवल अंग्रेजी के साथ है। आज भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी को वही स्थान प्राप्त है जो पहले था। अंग्रेजी आज भी ज्यों की त्यों राज भाषा के रूप में कायम है और मैं चाहता हूं कि जो सम्मान उसको आज मिला हुआ है, उसका खात्मा शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये। परन्तु मुझे खेद है कि जो कदम इस सम्बन्ध में उठाये जाने चाहियें थे वे कदम समुचित ढंग से उठाये नहीं गये हैं। हम आज भी देखते हैं कि अंग्रेजी एक तरह से कम्पलसरी सबजैक्ट के रूप में, एक अनिवार्य विषय के रूप में हमारे देश में बनी हुई है। अंग्रेजी चाहे कितनी भी अच्छी जबान क्यों न हो,

कितना भी अच्छा साहित्य उसका क्यों न हो, उसका स्थान हिन्दी को मिलना चाहिये । मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हिन्दी का जो साहित्य है वह भी अंग्रेजी से कम ऊंचा नहीं है । केवल एक ही बात है और वह यह कि अंग्रेजी साहित्य मंजा हुआ है, और बहुत मंज चुका है तथा हिन्दी साहित्य का मंजना बाकी है। अगर यह कहा जाता है कि अंग्रेजी को इस देश पर इस वास्ते लादे रखना है और केवल इस नारे पर लादे रखना है कि हिन्दी का शब्दकोष, हिन्दी का विश्वकोष तथा दूसरे कोष तैयार नहीं हुए हैं, और जब तक वे तैयार नहीं होते तब तक अंग्रेजी को त्यागा नहीं जा सकता है, तब तक अंग्रेजी चलेगी, तो मैं समझता हूं यह ठीक मालूम नहीं देता है । यह तो वही बात दिखाई देती है कि जैसे किसी को तैरने की शिक्षा दी जाए और उसको बिना पानी में उतारे हुए उसको तैराने की शिक्षा दी जाए। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि हिन्दी को उसका समुचित स्थान दिया जाए, उसको राज भाषा बनाया जाए और उसको उसके स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए और जब उसको प्रतिष्ठित किया गया तो आप देखेंगे कि भाषा अपने आप बनती चली जाएगी और जो भी कार्रवाई आप करेंगे उसका नतीजा यह होगा कि एक मंजी हुई राज भाषा हमारे सामने आयेगी। लेकिन अगर आपका विचार हो कि जब तक शब्दकोष, जब तक विश्व-कोष या जब तक दूसरे कोष तैयार नहीं होते तब तक इसी बहाने हमें अंग्रेजी को लादे रखना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पंद्रह वर्ष का जो समय संविधान में दिया गया है, वह समय भी बीत जाएगा और हिन्दी ठीक तरीके से राज भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में यह सन्देह है कि कम्पीटिशंस में दक्षिण भारत के लोगों को असुविधा होगी यदि हिन्दी को राज भाषा के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया और इसको पूरे तरीके से उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया तो उनके लिए जनसंख्या के आधार पर जगह सुरक्षित रखी जा सकती है या कोई और बंदिश लगाई जा सकती है जिससे दक्षिण के लोगों को पूरा विश्वास हो सके और उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े । यह जो दक्षिण भारत वालों को डर है, इसको दूर करने का भी कोई न कोई उपाय खोजा जा सकता है और खोजा जाना चाहिये । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी को राज भाषा के रूप में पूरी तरह से जल्दी से जल्दी लागू करने की कार्रवाई की जानी चाहिये ।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिस विधेयक को लाने की बात उन्होंने कही है उसे वह शीघ्र से शीघ्र इसी अधिवेशन में लायें जिससे ठीक तरीके से आगे आने वाले सालों में कोई कठिनाई न रहे कोई दिक्कत न रहे और जो तनाव का वातावरण है, उसे दूर करने में हम सब सहायक हो सकें ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि शिक्षित युवक नागरिक के कर्तव्यों को समझें। परन्तु आज भारत के विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है जिससे इनमें शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के अनुरूप बन जायें । भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत का अध्ययन किया जाये। जिस व्यक्ति ने संस्कृत का अध्ययन न किया हो उसको मैं महान व्यक्ति तो मान सकता हूँ परन्तु यह नहीं मान सकता कि वह व्यक्ति भारतीय संस्कृति में पला है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनने के लिए संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए । पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसके कारण मैट्रिक

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को उच्चशिक्षा में विज्ञान का विषय लेने में कोई कठिनाई न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में जब अंग्रेजी को पढ़ाना आरंभ किया गया था उस समय से ही ऐसी भावना का प्रचार आरंभ कर दिया गया था कि संस्कृत तो मृत भाषा है। आज देश में संस्कृत भी अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाई जाती है। हमें देश में फैली इस भावना का कि संस्कृत मृतभाषा है उन्मूलन करना चाहिए। संस्कृत का अध्ययन संस्कृत में ही कराना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस दिन ऐसा करना आरंभ किया जायेगा उसी दिन संस्कृत को मृतभाषा मानने की भावना देश में से समाप्त हो जायेगी।

सरकार का काम सम्मेलन कराके तथा धन का आवंटन करके संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने भर का नहीं है अपितु उसका अध्ययन अनिवार्य करके, प्रोत्साहन देने का है। यदि संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन मिल गया तो विज्ञान के शब्द हिन्दी भाषा में बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जायेगी। मैं चाहता हूं राजदूतों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाये कि वह संस्कृत पढ़ें। मुझे पता लगा है कि अमरीका में एक बैठक में एक विद्वान अमरीकी प्रोफैसर ने हमारे राजदूत से संस्कृत में कहा था 'उपविशन्तु अत्र भवन्तु, अस्मिन् आसने।' परन्तु हमारे राजदूत उसका उत्तर संस्कृत में न दे पाये। इसलिए अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिएं जिससे संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके।

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३	५८०	श्री बि० दासगुप्त	भारत के उपयुक्त शिक्षा पद्धति लागू करने में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये।
१३	२७१	श्री मो० ब० ठाकुर	शिक्षा का स्तर ठीक रखने में असफलता	१०० रुपये
१३	२०२	श्री मो० ब० ठाकुर	प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के वेतन बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
१३	४४०	श्री सुबिमन घोष	देश में युवक कल्याण तथा प्रशिक्षण योजनाओं का समन्वय करने में असफलता	१०० रुपये
१३	४४१	श्री सुबिमन घोष	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये पर्याप्त उपलब्ध करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१३	४४२	श्री वैं० च० मलिक	पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में विलम्ब	१०० रुपये
१३	४६९	श्री वासुदेवन नायर	देश में स्कूल अध्यापकों के लिये उचित व समान वेतन की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
१३	४७०	श्री वासुदेवन नायर	शिक्षा का गलत पुनर्गठन तथा उस से उत्पन्न गड़बड़ी	१०० रुपये
१३	४७१	श्री वासुदेवन नायर	शिक्षा विकास के नये कार्यक्रमों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का सहयोग लेने में असफलता	१०० रुपये
१३	४७२	श्री वासुदेवन नायर	१४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा करने के बारे में संविधानिक उपबन्ध लागू करने में असफलता	१०० रुपये
१३	४७३	श्री वासुदेवन नायर	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आन्दोलन को ठीक करने के उपाय	१०० रुपये
१३	४७९	श्री पु० र० पटेल	स्कूल तथा कालिजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू करने में असफलता	१०० रुपये
१३	४८०	श्री पु० र० पटेल	स्कूल तथा कालिजों में अनुशासन-हीनता दूर करने के तरीके ढूंढने में असफलता	१०० रुपये
१३	४८१	श्री पु० र० पटेल	शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से दूर रखने में असफलता	१०० रुपये
१३	४८२	श्री पु० र० पटेल	प्रादेशिक भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें तैयार कराने में असफलता	१०० रुपये
१३	४८३	श्री पु० र० पटेल	देहाती शिक्षा संस्थाओं को विशेष अनुदान देने की वांछनीयता	१०० रुपये
१३	४८४	श्री पु० र० पटेल	विद्यार्थियों को चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१३	५८३	श्री बि० दासगुप्त	हिन्दी की तरह केन्द्र के अधीन सभी राज्य भाषाओं के लिये विशेष पदाधिकारी रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	५८४	श्री बि० दासगुप्त	भारत में निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने में असफलता	१०० रुपये
१३	५८५	श्री बि० दासगुप्त	शिक्षा सम्बन्धी नीतियों के बारे में केन्द्र के आदेशों को राज्य सरकार द्वारा लागू कराने में असफलता	१०० रुपये
१३	५८६	श्री बि० दासगुप्त	राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर अधिक बल देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	५९३	श्री वासुदेवन नायर	प्रशासनिक व्यय को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	६०४	श्री वासुदेवन नायर	संविधान के अनुच्छेद ३० के अधीन राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किये जाने की जांच की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	६०५	श्री बि० दासगुप्त	संविधान के अनुच्छेद ३० के अधीन स्वीकृत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५८१	श्री अरविंद घोषाल	एकीकृत शिक्षा पद्धति लागू करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१४	५८२	श्री अरविन्द घोषाल	निशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१४	२७३	श्री मो० ब० ठाकुर	निशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	२७४	श्री मो० ब० ठाकुर	निःशुल्क तथा अनिवार्य शारीरिक तथा सैनिक प्रशिक्षण देने में असफलता	१०० रुपये
१४	४४३	श्री वासुदेवन नायर	राष्ट्रीय अनुशासन योजना का संचालन	१०० रुपये
१४	४४४	श्री वासुदेवन नायर	श्रव्य-दृश्य योजनाओं का कार्य संचालन	१०० रुपये
१४	४४५	श्री वै० च० मलिक	उड़िया भाषा भाषी बच्चों के लिये दिल्ली में एक स्कूल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४४६	श्री वै० च० मलिक	उड़ीसा में उच्चशिक्षा के लिये देहाती संस्था बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४७४	श्री वासुदेवन नायर	राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४७५	श्री वासुदेवन नायर	युवक कल्याण योजनाओं पर अधिक व्यय की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४७६	श्री वासुदेवन नायर	द्वितीय योजना काल में विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के लिये अधिक आवंटन की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४७७	श्री वासुदेवन नायर	कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम करने में विलम्ब	१०० रुपये
१४	४७८	श्री वासुदेवन् नायर	दिल्ली अध्यापक संघ के साथ किये गये वायदों को लागू करने में असफलता	१०० रुपये
१४	५४६	श्री बि० दासगुप्त	अहिन्दी भाषा भाषी लोगों पर शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी का थोपा जाना	१०० रुपये
१४	५४७	श्री बि० दासगुप्त	शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५४८	श्री बि० दासगुप्त	शिक्षा संस्थाओं में कृषि पाठ्यक्रम तथा शारीरिक श्रम अनिवार्य बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	५४९	श्री बि० दासगुप्त	बेसिक शिक्षा तथा प्राइमरी से पहले की शिक्षा में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५०	श्री बि० दासगुप्त	देहाती उच्चशिक्षा के लिये पर्याप्त उपबन्ध करने में असफलता	१०० रुपये
१४	५५१	श्री बि० दासगुप्त	सभी राज्यों में वर्ष में एक ही समय में विश्वविद्यालयों के अधीन कालिजों तथा स्कूलों में साथ-साथ पढ़ाई आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५२	श्री बि० दासगुप्त	बाल कल्याण सम्बन्धी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५३	श्री बि० दासगुप्त	राज्यों के अधीन विश्वविद्यालयों के क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५४	श्री बि० दासगुप्त	किसी भी राज्य की शिक्षा संस्था को केन्द्रीय प्रशासित विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध होने की सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५५	श्री बि० दासगुप्त	समाज कल्याण के लिये स्वयं सेवी संगठनों को उदारता से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५५६	श्री बि० दासगुप्त	बेसिक शिक्षा के लिये उपयुक्त साहित्य तैयार कराने में असफलता	१०० रुपये
१४	५५७	श्री बि० दासगुप्त	बेसिक शिक्षा की उचित पद्धति के विकास में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	५६६	श्री अरविन्द घोषाल	इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा के कालिज में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५८७	श्री बि० दासगुप्त	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५८८	श्री बि० दासगुप्त	माध्यमिक शिक्षा की एक समान पद्धति और स्तर बनाने में असफलता	१०० रुपये
१४	५८९	श्री बि० दासगुप्त	माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५९०	श्री बि० दासगुप्त	वर्तमान शिक्षा पद्धति को बेसिक शिक्षा में परिवर्तित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५९१	श्री बि० दासगुप्त	आदिम जाति भाषाओं का विकास करने की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
१४	५९२	श्री बि० दासगुप्त	हिन्दी भाषा-भाषी राज्य में अहिन्दी भाषा-भाषी जनता को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६०६	श्री बि० दासगुप्त	सभी राज्य भाषाओं में गांधी साहित्य का सस्ता संस्करण छापने तथा बिकवाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६०७	श्री बि० दासगुप्त	माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	३३१	श्री मो० ब० ठाकुर	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा विद्यार्थियों के विवाद को ठीक करने में प्राधिकारियों की असफलता	१०० रुपये
१५	३३२	श्री मो० ब० ठाकुर	बम्बई राज्य में विश्वविद्यालयों को अपर्याप्त अनुदान	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	३३३	श्री मो० ब० ठाकुर	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना	१०० रुपये
१५	३३४	श्री मो० ब० ठाकुर	हाई स्कूलों तथा कालिजों में शिक्षा का स्तर गिरना	१०० रुपये
१५	३३५	श्री मो० ब० ठाकुर	सभी राज्यों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने में असफलता	१०० रुपये
१५	३३६	श्री मो० ब० ठाकुर	स्कूलों तथा कालिजों में खेल कूद का स्तर गिरना	१०० रुपये
१५	३३७	श्री मो० ब० ठाकुर	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	१०० रुपये
१५	४४७	श्री वासुदेवन नायर	बच्चों के लिये अजायबघर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४४८	श्री वासुदेवन नायर	समाज कल्याण बोर्ड का कार्य-संचालन	१०० रुपये
१५	४४९	श्री बै० च० मलिक	बेसिक शिक्षा के बाद की शिक्षा पूरी होने के पश्चात् विद्यार्थी को काम दिलाने में असफलता	१०० रुपये
१५	५९४	श्री अरविन्द घोषाल	प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	५९५	श्री अरविन्द घोषाल	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	५९६	श्री अरविन्द घोषाल	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	५९७	श्री अरविन्द घोषाल	प्रकाशकों तथा लेखकों को प्रादेशिक भाषा में कालिज की पुस्तकें छापने के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	५९८	श्री अरविन्द घोषाल	पाठ्य पुस्तकों के लिये उत्पादन शुल्क बिना कागज देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	५९९	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता में नेशनल स्पोर्टस स्टेडियम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	६००	श्री अरविन्द घोषाल	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में विवाद	१०० रुपये
१५	६०१	श्री अरविम्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के देहाती विश्व-विद्यालयों को अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	६०२	श्री वासुदेवन नायर	खेलों के विकास पर ध्यान न देना	१०० रुपये
१५	६०३	श्री वासुदेवन नायर	राष्ट्रीय अभिलेखागार के संरक्षण पर ध्यान न देना	१०० रुपये
१५	६१२	श्री बि० दासगुप्त	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्वयंसेवी ग्राम संस्थाओं को अनुदान दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने जो काम किये हैं, आज मैं उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती । प्राइमरी, सैकिंडरी और हायर ऐजूकेशन के क्षेत्रों में और भी दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत से काम किये हैं और बहुत सी नई नई स्कीमें बनायी हैं और बना रहे हैं । उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है ।

स्कीमें यहां बनती हैं, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स को करना पड़ता है इसलिए उन में बहुत फर्क रह जाता है और कभी कभी शायद उनका असली रूप भी बदल जाता है ।

मैं पहले प्राइमरी एजूकेशन की बात कहना चाहती हूं । हमने यह अपना मकसद रखा है कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन बेसिक एजूकेशन के तौर पर होनी चाहिए । मगर इसका वही हाल हो रहा है जैसा कि हम किस्सा सुनते हैं कि कुछ अन्धे थे, उनके बीच में एक हाथी आ गया, तो जिसने हाथी के जिस भाग को छूआ वह उसको वैसा ही बतलाने लगा । यही दशा बेसिक एजूकेशन की हो रही है । जिसके दिमाग में जो कुछ आता है उसी के अनुसार वह उसको इम्प्लीमेंट करने लगता है । इसलिए यह एक बहुत कठिन प्रश्न हो गया है । और यह बतलाना कठिन है कि हम इस प्रश्न को किस तरह हल करें । लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार प्राइमरी एजूकेशन को बेसिक के तौर पर रखना चाहती है तो इस बारे में कुछ और ज्यादा सफाई होनी चाहिये । और उसके फंडामेंटल्स में कहीं पर भी फर्क न हो इसकी सावधानी रखनी चाहिये ।

यहां पर बहुत लोगों ने इंगलिश के बारे में कहा । इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसा लगता है कि हम यहां चाहे जितना कहें इंगलिश को हटाना शायद मुश्किल होगा । हम एक ऐसे रास्ते

[श्रीमती जयाबेन शाह]

पर चल रहे हैं और पीछे हटना कठिन हो रहा है। कहीं मीडियम का सवाल है, कहीं इंगलिश को रखने का सवाल है, कहीं बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका सवाल है। अगर मैं उन सारे सवालों के बारे में कहूं तो मेरा सारा समय ही निकल जायेगा। तो मैं केवल प्राइमरी एजूकेशन के बारे में यह कहना चाहती हूं कि हमें इस बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिये।

हमारे देश में कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर प्राइमरी एजूकेशन में इंगलिश को रखा गया है, कई स्टेट्स में इंगलिश को जबरदस्ती से हटाया गया है पर फिर भी कोशिश हो रही है कि उसको प्राइमरी एजूकेशन में रखना चाहिये। मैं मुरारजी भाई को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पुराने बम्बई स्टेट्स से प्राइमरी एजूकेशन से इंगलिश को हटा दिया था मगर आज बम्बई स्टेट में उसके बारे में बड़ी बहस हो रही है कि क्या होना चाहिये या नहीं होना चाहिए। मैं तो इस सारे मामले पर विचार करने के बाद इस नतीज पर पहुंची हूं कि यह कोई एक स्टेट का सवाल नहीं है। । यह तो सारे देश का सवाल है और जो सारे देश के लिये निश्चय हो उसी पर एक स्टेट चल सकती है। अगर एक स्टेट में इंगलिश रहे और दूसरी में न रहे तो इस से कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स में उम्मेदवारों को कठिनाई होती है। मगर बेसिक एजूकेशन में जो सारा सिलेबस (पाठ्यक्रम) है उसको अच्छी तरह से रखना चाहिये। जो छोटे बच्चे हैं वे इंगलिश का बोझ नहीं उठा सकते ऐसी मेरी मान्यता है और अनुभव भी है। मैं समझती हूं कि मेरी बात बहुत लोगों को पसन्द न होगी क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग कहते तो हैं कि अंग्रेजी हट जाये मगर हो यह रहा है कि अंग्रेजी को हम रखते ही जा रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि हमारी जो बेसिक एजूकेशन हो वह वास्तव में बेसिक एजूकेशन ही केवल नाम की ही नहीं। चाहे हमारा काम में धीमे-धीमे हो तो भी हम को अज नहीं होना चाहिये। लेकिन काम किस दिशा में करना है पहले यह हमें तै करना चाहिए। प्राइमरी ऐजूकेशन के बारे में मुझे इतना ही कहना है।

इंगलिश के बारे में जो सदन में बात हुई तो इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि दो दिन पहले हम बिचपुरी गये थे। मैं यह मिसाल के तौर पर कहती हूं कि संस्था के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जब हम वहां पर विद्यार्थियों से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया कि रूरल इंस्टीट्यूट में इंगलिश मीडियम क्यों लगाया गया है। मैं ने उनको कहा कि मेरे जैसों की तो राय है कि इंगलिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं, जिन की राय है कि इंगलिश के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। हमें देश में ऐसी ओपीनियन बनानी चाहिए, जिस से हमारा काम बने। लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहती हूं कि रूरल इंस्टीच्यूट्स में, जहां से हमारे विलेज लीडर्ज़, विलेज सेवक और सर्विस करने वाले लोग तैयार होते हैं, मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन इंगलिश क्यों हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हम देखते हैं कि ज्यादातर रूरल इंस्टीच्यूट्स में भी इंगलिश को मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन रखा गया है। मैं इस को मुनासिब नहीं समझती हूं, आज स्थिति यह है कि कई यूनिवर्सिटियों ने अपना मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन हिन्दी रखा है, कई ने रिजनल लैंग्वेज रखा है और इस प्रकार सब ने अलग-अलग मार्ग चुना है। इस से सब को डर रहता है। हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़ोर कर के, बहुत मुश्किल से मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन मदर-टंग और रिजनल लैंग्वेज को रख लिया है। मगर वहां के विद्यार्थियों को आगे बहुत मुश्किल रहती है। मैं समझती हूं कि इंगलिश के स्थान के विषय में सरकार द्वारा निश्चय किया जाना चाहिये। चाहे यह स्टेट सबजेक्ट हो, लेकिन हमारे यहां से इस बारे में कुछ न कुछ डायरेक्टिव दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा न हो सकेगा, तो हमारा सारे का सारा कारोबार इंगलिश की ओर ही बढ़ेगा। जो बहुत कोशिश कर के रिजनल लैंग्वेज और नैशनल लैंग्वेज पर आए हैं, वे बहुत मुश्किल में हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या करें।

जहां तक इंगलिश को हटाने का सम्बन्ध है, उस का उत्तरदायित्व सिर्फ़ ऐजूकेशन मिनिस्टरी पर डालना वाजिब नहीं है, क्योंकि काम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन्ज़ और एडमिनिस्ट्रेशन में और की पोज़ीशन्ज़ में जिस सीमा तक इंगलिश का स्थान रहेगा, उसी सीमा तक शालाओं, कालेजों और यूनिवर्सिटियों में इंगलिश को हटाना बहुत मुश्किल है। यह गवर्नमेंट पर निर्भर है कि वह इस संबंध में क्या करना चाहती है। बहुत से लोग इंगलिश की पाठ्य पुस्तकों की चर्चा करते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि दूसरे देशों में क्या होता है। रशिया और चाइना में क्या होता है? अगर हम लोग इंगलिश नहीं जानते तो क्या सारा संसार डूब जाता। मेरी मान्यता है कि जब तक हम नैशनल लैंग्वेज को नहीं अपनायेंगे, तब तक हमारे देश में टैक्सट-बुक स कभी भी तैयार नहीं होने वाली हैं और इस प्रकार की आर्ग्युमेंट्स दी जाती रहेंगी। अभी बजट की जैनरल डिस्कशन में किसी ने बताया था कि दारूबन्दी असफल होता है इसलिए क्यों न उसको हटा दिया जाये। उसी तरह लैंग्वेज के बारे में भी वही पुरानी दलील दी जाती है कि इंगलिश के बिना काम नहीं चलेगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन में से कितने टैक्नीशियन बनने वाले हैं, कितने ऐसे प्रोफ़ेशन्ज़ को अपनाने वाले हैं, जिन के लिये इंगलिश सीखना अनिवार्य है। अगर हम प्राइमरी से चलें, तो हम देखते हैं कि आधे तो वहीं निकल जाते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कितने विद्यार्थी सैकंडरी में आगे जाते हैं, और जितने आगे जाते हैं उनमें टैक्निकल एजूकेशन में कितने जाते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनका परसंटेज बहुत कम है। अगर प्राइमरी ऐजूकेशन में इंगलिश रखी जायेगी, तो हमको कम्पलसरी एजूकेशन लागू करने में बहुत मुश्किल होगी। हमारे पास इतने टीचर्स नहीं हैं और जो हैं, वे ट्रेन्ड नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल किस तरह की इंगलिश सिखाई जाती है। बच्चे सात साल तक उसको सीखते हैं और जब वे ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो भी हम उनकी लिखावट में इंगलिश भाषा की पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिये यह मेरी पक्की मान्यता है कि प्राइमरी ऐजूकेशन से यह सारा बोझ हटा लिया जाय। इससे देश को भारी नुकसान होगा। प्राइमरी एजूकेशन का जो आबजेक्ट है, बच्चे की असली—बेसिक—क्वालिटीज़ को बाहर लाना और मोल्ड करने का जो आबजेक्ट है, उसकी तरफ हम ज्यादा ज़ोर नहीं देते हैं और इधर उधर की बातों को उसमें भर देते हैं, जिसका परिणाम यह है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है। आज डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो कुछ भी हो, वह पढ़ाया जाय, बच्चे की उम्र वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। सिलेबस बढ़ता रहता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इसका खास ध्यान रखेंगे। मैं जानती हूं कि वे भी ऐजूकेशन में बहुत कुछ दिलचस्पी रखने वाले हैं, मगर देश में जो विचार होते हैं, उनका उन पर असर होता है और वे उनसे मुक्त नहीं रह सकते हैं।

गवर्नमेंट की तरफ से ऐजूकेटेड अन-एम्पलायमेंट को नाबूद करने का एक तरीका यह ढूंढ निकाला गया है कि सब पढ़े-लिखों को शिक्षक बनाया जाय। गवर्नमेंट की यह स्कीम बहुत दिनों से चल रही है। जब मुझे इस स्कीम का पता चला, तो मुझे बहुत रंज हुआ। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, उसके लिये कुछ न कुछ तालीम होती है। कारीगर को भी अपने काम का थोड़ा ज्ञान होना ही चाहिये, लेकिन शिक्षक का धंधा ऐसा है कि कुछ भी ज्ञान न हो, तो भी कोई शिक्षक बन सकता है। मैं इस स्कीम को बिल्कुल नामंजूर करती हूं। जिस व्यक्ति ने जो काम करना है, अगर उसके पास उसकी तालीम नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वह सही रूप में काम कैसे कर सकता है। जिस टीचर के पास अपने काम का ज्ञान नहीं है, वह बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दे सकता है?

जहां तक टीचर्स की तन्ख्वाहों का सम्बन्ध है, हम बहुत चाहते हैं कि हम उनकी तन्ख्वाह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें, लेकिन उसकी भी लिमिट आ जाती है। अभी हमारे रिसोर्सिज इतने नहीं

[श्रीमती जयाबेन शाह]

हैं कि हम उनको पूरा वेतन दे सकें, लेकिन फिर भी जिनके वेतन बिलो लेवल (स्तर से नीचे) हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार की ओर से इस बारे में कोशिश हो रही है और सबसिडाइज़ करने की व्यवस्था हो रही है। हमारे शिक्षकों के विषय में वशिष्ठ, बाल्मीकी और ऋषि-मुनियों की बात कही गई। मैं कहना चाहती हूं कि वह आदर्श आज हमारे समाज और शिक्षकों के सामने नहीं है। आज टीचर्स की यूनियन बन रही हैं, जैसी कि कल-कारखानों में बनती हैं और वे भी गवर्नमेंट के साथ अपनी मांगों के बारे में लड़ते झगड़ते हैं। मैं मानती हूं कि उससे शिक्षा कोई आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसलिये इस बारे में विचार करना चाहिये, और कोई मशीनरी निकालनी चाहिये, जिसके द्वारा उन लोगों की ग्रीवेंसिज़ मिटाई जा सकें। अगर वे लोग यूनियन वगैरह बनाने में ही लगे रहे, तो अध्ययन, चिन्तन और मनन के लिये उनके पास समय नहीं रहेगा।

एडल्ट एजूकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि उसमें बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें रखी गई हैं। जो सिखाने वाले हैं, जो इंस्पैक्टर हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। कम्यूनिटी प्राजेक्ट वाले भी सोशल एजूकेशन का काम करते हैं। सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड की तरफ़ से भी यह काम चलता है। इसका अर्थ यह है कि तीन एजेन्सियों की तरफ़ से यह काम चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से यह अपेक्षा रखती हूं कि इन तीनों के काम में कुछ को-आर्डिनेशन किया जाये, क्योंकि इस प्रकार पैसे का कुछ बिगाड़ हो रहा है।

गर्ल्ज़ एजूकेशन के बारे में रिपोर्ट अंडर कनसिडरेशन है। इसलिये उसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहूंगी। इस बारे में विचार करना चाहिये कि उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। उनकी शिक्षा में एक खास विशेषता होनी चाहिये।

हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर और मेडिकल शिक्षा अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के नीचे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि एजूकेशन तो एजूकेशन ही रहती है, वह चाहे मेडिकल हो या एग्रीकल्चर के विषय में हो। इसलिये उन सब को एक ही मिनिस्ट्री के नीचे रखना चाहिये। अगर उनको एजूकेशन मिनिस्ट्री के नीचे रख दिया जाये, तो काम ठीक तरह से होगा।

मैंने बहुत सी बातें कहनी थीं और थोड़ी कही भी हैं। समय कम है। मैं समझती हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उनके बारे में शिक्षा मंत्रालय ग़ौर करेगा और उनका कोई न कोई उपाय निकालेगा।

श्री बीरबल सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय जब से हम लोग स्वतंत्र हुये हैं और स्वतंत्र होने से पहले से भी शिक्षा की जो प्रणाली है, उसके सम्बन्ध में बराबर विचार होता रहा है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा-प्रणाली हमारी संस्कृति, हमारी परम्पराओं और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा सकती है। जब हम स्वतंत्र हुये उस समय डा० राधाकृष्णन कमिशन बना और हमारी यूनिवर्स्टी की शिक्षा किस प्रकार की हो, इसके सम्बन्ध में उसने विचार किया। उसके बाद मुदालियर कमिशन बना और उसने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार किया और अन्त में सब बातों पर सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ने विचार करने के बाद कुछ निश्चय किये। उसने यह निश्चय किया कि आठ बरस की तो हमारी प्रारम्भिक शिक्षा होनी चाहिये, तीन बरस की हमारी सैकेंड्री शिक्षा होनी चाहिये और तीन बरस की हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा होनी चाहिये। उसी के अनुसार हमारा शिक्षा मंत्रालय इस समय काम कर रहा है।

जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमारे संविधान के जो निर्देशक तत्व हैं, उनमें यह कहा गया है कि दस बरस के अन्दर छः बरस से चौदह बरस तक की उम्र के

सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । लेकिन अनेक कठिनाइयों की वजह से अब १९५७ में, आपने यह निश्चय किया है कि १९६५-६६ तक अधिक से अधिक आप छः से ग्यारह बरस के ही विद्यार्थियों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे सकेंगे और चौदह बरस तक की उम्र के बच्चों को ऐसी शिक्षा यदि दी जाये तो बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होगी और इसमें समय अधिक लगेगा । हमने प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह भी स्वीकार किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा के आधार पर ही होनी चाहिये और उसके लिये सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे साहित्य का निर्माण हो । इस सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि साहित्य रचनालय स्थापित हुआ है और उसके द्वारा साहित्य का निर्माण हो रहा है । हमारे देश में बच्चों के पढ़ने के लिये अच्छी पुस्तकों का बड़ा अभाव है । दूसरे देशों में बहुत सा पैसा खर्च करके बालकों के लिये सस्ता और सुन्दर साहित्य तैयार करवाया जाता है लेकिन हमारे देश में जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है तरह तरह की अश्लील पुस्तकें और गन्दी पुस्तकें विद्यार्थियों के हाथों में आती हैं । मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह अच्छे अच्छे विद्वानों से जो कि बालकों की रुचि को समझते हों, बालकों की साइकोलोजी (मनोविज्ञान) को जानते हों, जिनको अच्छा ज्ञान हो, उनके द्वारा अच्छी पुस्तकें तैयार करवायें और इस पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करें ।

हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें तीन बरस के कोर्स की व्यवस्था है । एक माध्यमिक कमिशन बना था, उसने भी इस पर विचार किया था । माध्यमिक शिक्षा जो हमारी है उसमें से जो विद्यार्थी निकलते हैं, वे यूनिवर्स्टियों में जाते हैं । मल्टी-परपज़ स्कूल स्थापित करने की बात है और वे भी स्थापित किये गये हैं । वहां पर शिक्षा के साथ साथ कुछ उनको कारीगरी भी सिखाई जाती है ताकि वहां से तीन साल का कोर्स पूरा करने के बाद वे इस योग्य हो जायें कि किसी काम धंधे में लग सकें । साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों की रुचि आगे पढ़ने की हो, उनको आगे पढ़ने की सहूलियत भी है । जो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसको पढ़ने पर पता चलता है कि इस तरह के तीन सौ के ऊपर मल्टी-परपज़ स्कूल पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये गये थे और दूसरी योजना में उनकी तादाद ११-१२ सौ के करीब हो जायेगी और अब तक कोई १११० स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं । लेकिन मुझे भय है कि मल्टी-परपज़ स्कूल स्थापित करने का जो हमारा ध्येय था वह पूरा नहीं हो पा रहा है । हमारा उद्देश्य था कि जो विद्यार्थी वहां तैयार किये जायें उनमें से जो काम-धंधों में लगना चाहें वे काम धंधों में लग सकें और दूसरे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों में जाना चाहते हैं, वे उनमें जा सकें । लेकिन मालूम ऐसा होता है कि हम लोग पुरानी रट में पड़ जाते हैं, पुरानी लीक को छोड़ना नहीं चाहते हैं और देखा गया है कि उनमें से बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें आर्ट की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, कामर्स की पढ़ाई, जिस तरह से पहले होती थी उसी ढंग से आज भी चल रही है । उनका नाम पहले साधारण स्कूल था और अब उन्हीं को मल्टी-परपज़ (बहुप्रयोजनीय) स्कूल के रूप में बदल दिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और वास्तविक मल्टी-परपज़ स्कूल स्थापित हों ।

जहां तक हमारे विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इनमें तीन वर्ष का डिग्री कोर्स कायम करने की कोशिश की जा रही है और इस सिद्धान्त को गवर्नमेंट ने तो मान लिया है और यूनिवर्स्टीज़ से भी कहा जा रहा है कि वे इसको मान लें और अधिकतर यूनिवर्स्टीज़ ने इसको मान भी लिया है । केवल एक दो यूनिवर्स्टीज़ हैं जैसे बम्बई की यूनिवर्स्टी है या गोरखपुर की है, उन्होंने इसको अभी नहीं माना है । बम्बई की यूनिवर्स्टी की आपत्ति यह है कि ग्यारह वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी इस योग्य नहीं होंगे कि वे तीन बरस की युनिवर्स्टी की शिक्षा ग्रहण कर सकें । गोरख-

[श्री बीरबल सिंह]

पुर यूनिवर्स्टी का कोई उत्तर नहीं आया है। जो एस्टीमेट्स कमेटी इस सम्बन्ध में बनी थी उसने यह कहा था कि पच्चीस करोड़ के करीब इस पर खर्च होगा। पन्द्रह करोड़ रुपया तो दूसरी योजना में खर्च किया जाना है जिसमें से साढ़े सात करोड़ रुपया—केन्द्र से अर्थात् पांच करोड़ रुपया केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से और ढाई करोड़ रुपया यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमीशन की ओर से, और साढ़े सात करोड़ रुपया राज्य की सरकारों की ओर से और प्राइवेट विद्यालयों की ओर से खर्च होना है। लेकिन यह रुपया पूरा नहीं हो रहा है और अब इस रकम को घटाया जा रहा है। अब छः करोड़ रुपया केन्द्र की ओर से जिसमें से चार करोड़ रुपया शिक्षा मंत्रालय की ओर से और दो करोड़ रुपया यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन की तरफ से दिया जायेगा। उसी तरह से छः करोड़ रुपया राज्य सरकारों को या प्राइवेट विद्यालयों के प्रबन्धकों को जुटाना होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, उसने आपत्ति की है और उसकी कठिनाई यह है कि वहां पर ९०० के करीब इंटरमीडियेट कालेज हैं। अगर तीन बरस का डिग्री कोर्स जारी किया जाता है तो इसका यह मतलब होगा कि कुछ विद्यालयों को तो डिग्री कालेज में परिवर्तन करना पड़ेगा और कुछ को इंटरमीडियेट से हायर सैकंड्री स्कूल बनाना पड़ेगा और इसमें जो खर्च आयेगा उसको वह सरकार बरदास्त नहीं कर सकेगी। उसके पास इतना पैसा नहीं है। बाकी जो सरकारें हैं उनमें से अधिकतर ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। इसके सम्बन्ध में अब दूसरी कमेटी बनी है और वह इस पर विचार कर रही है कि इंटरमीडियेट कालेज से निकलने के बाद विद्यार्थी डिग्री कालेज में तीन बरस तक अध्ययन करें। इसका यह अर्थ होगा कि इंटरमीडियेट पास करने के बाद उनको एक वर्ष अधिक लगाना होगा। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहां के विद्यार्थियों को एक वर्ष डिग्री कालेज में अधिक पढ़ना होगा। मैं चाहता हूं इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाना चाहिये।

अब मैं शिक्षा के माध्यम पर आता हूं। जहां तक यूनिवर्स्टी स्टेज में शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, इसमें प्रायः दो रायें मालूम होती हैं। लेकिन जहां तक माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम का सवाल है, वह राज्य की भाषा, रिजनल भाषा ही हो सकती है और होनी भी चाहिये। यूनिवर्स्टी के सम्बन्ध में यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन की तरफ से एक कुंजरू कमेटी बनी थी और उसने सिफारिश की है कि वहां पर अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही पढ़ाई होनी चाहिये। लेकिन अंग्रेजी के द्वारा कब तक पढ़ाई होती रहेगी? हमारे लिये यह जरूरी है कि धीरे धीरे हम अपनी रिजनल भाषाओं में तथा हिन्दी में ही शिक्षा दें। यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में उच्च कोटि की पुस्तकें नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी का ज्ञान विद्यार्थियों को कराने के साथ साथ यदि अध्यापक अपने व्याख्यान हिन्दी भाषा में और रिजनल भाषा में दें तो विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान हो सकता है। हमें इस क्षेत्र में कुछ अनुभव है। मैं तो एक ऐसी संस्था से सम्बन्ध रखता हूं जिसमें सन् १९२१ से हिन्दी भाषा के द्वारा पढ़ाई हो रही है। वहां पर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है लेकिन सब पढ़ाई हिन्दी भाषा के द्वारा होती है और विद्यार्थियों को अंग्रेजी का भी इतना ज्ञान रहता है कि वे अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ तथा समझ सकें और इसमें हम को कोई कठिनाई भी नहीं पड़ी है। मैं समझता हूं कि माध्यम तो हिन्दी या देशी भाषा होनी चाहिये और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ानी चाहिये। इस तरह से धीरे धीरे हिन्दी के द्वारा या देशी भाषा के द्वारा पढ़ाई होने लगे तो पुस्तकें भी, जिन का देश में अभाव है, तैयार होने लगेंगी और यह अभाव दूर हो जायेगा। हिन्दी और दूसरी देशी भाषाओं में उच्च कोटि की पुस्तकें तैयार होने लगेंगी। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से ध्यान देना

चाहिये कि उच्चकोटि की पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रयत्न किया जाय जिस में देशी भाषा में हर एक विषय की उच्च कोटि की पुस्तकें तैयार हो जायें।

जहां तक विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सम्बन्ध है, इसके बारे में शिकायतें आती हैं और हम देखते हैं कि इस समय विद्यार्थियों में अनुशासन की बहुत कमी हो रही है। इस समय एक योजना भोंसले जी की नैशनल डिसिप्लिन स्कीम चल रही है और उस पर कुछ रुपया भी खर्च किया जा रहा है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुई]

इस सम्बन्ध में १९५५-५६ में ४ लाख ३२ हजार रु० खर्च हुआ और ४० हजार विद्यार्थी प्रशिक्षित हुये, १९५६-५७ में ४ लाख ५८ हजार रु० खर्च हुआ और ७० हजार विद्यार्थी प्रशिक्षित हुये, १९५७-५८ में ५ लाख रु० खर्च हुआ और ७३ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षित हुये और १९५८-५९ में ९ लाख रु० खर्च हुआ तथा १ लाख ६३ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये। यह योजना बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों का समय चूंकि खाली रहता है इसलिये उनके दिमाग में तरह तरह की खुराफात आती हैं। इस योजना को अर्थात नैशनल डिसिप्लिन स्कीम को ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चलाना है—कुछ राज्यों के विद्यालयों में यह चल भी रही है—और इस पर और ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिये और इस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिये ताकि और अच्छी तरह से विद्यार्थियों में अनुशासन हो सके।

अब मैं हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो घटनायें हुई हैं वे बड़ी दुःखद घटनायें हैं। जिस तरीके से मुदालियर कमेटी बनाई गई, उस की जो रिपोर्ट निकली, इस में कोई सन्देह नहीं कि वह बहुत ही भद्दी और खेदजनक है। उस रिपोर्ट के निकलने के बाद हमारे शिक्षा मंत्रालय में एक पैनिक सा हो गया कि हिन्दू यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है और उस के सुधार का केवल यही एक उपाय है कि आर्डिनेन्स जारी कर के एक कमेटी को सब अधिकार दे दिया जाये। जिस समय आर्डिनेन्स पास हुआ, कोर्ट तोड़ दिया गया, कौंसिल तोड़ दी गई और नई एग्जिक्यूटिव कौंसिल बनी। जब अगस्त अधिवेशन में हिन्दू यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में बिल आया था उस समय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारा इरादा केवल यही है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी का किसी तरह से सुधार हो और वहां पर वास्तविक शिक्षा का वातावरण तैयार हो, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये विशेष रूप से वे इस बिल को उपस्थित कर रहे हैं। जब वहां पर लोकतंत्र खत्म कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि यह केवल थोड़े समय के लिये है और वे जल्दी से जल्दी दूसरा बिल लायेंगे और इन चीजों में सुधार हो जायेगा। लेकिन वहां की स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। यह जरूर है कि उस में विद्यार्थियों का भी कुछ दोष है और हिन्दू यूनिवर्सिटी में दलबन्दी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति वहां पर नहीं थी जिस की वजह से कि इस तरह की कार्यवाही की जाये। हिन्दू यूनिवर्सिटी सारी दुनियां में अप्रतिष्ठित हो गई है। मुझे मालूम हुआ है कि विदेशों में जहां पर कि हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ते थे वहां के अध्यापकों का रुख मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट निकलते ही उन की तरफ से बिल्कुल बदल गया। वे कहने लगे कि वे विद्यार्थी ऐसे विश्वविद्यालय से आये हैं जहां पर कि परिस्थिति इस प्रकार की है। इस से हिन्दू यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नुक्सान हुआ। वहां पर जो घटनायें हुई वहां जिस एक तरह से पुलिस का शासन स्थापित हुआ, पुलिस यूनिवर्सिटी में गई, यह सब एक बड़े खेद और दुःख की बात है। यदि किसी विश्वविद्यालय में अनुशासन पुलिस के द्वारा स्थापित किया जाता है और वहां के अधिकारी स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी उदारता से और अपनी योग्यता से

[श्री बीरबल सिंह]

अनुशासन नहीं स्थापित कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि उन को वहां पर अधिकारी बने रहने का कहां तक अधिकार हो सकता है। यह एक बड़ी लज्जा की बात है कि वहां अब भी पुलिस पड़ी हुई है। लेकिन इस तरह पुलिस के द्वारा किसी भी संस्था में अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता और न इस तरह की बातें ज्यादा चल सकती हैं। आखिर वहां कब तक पुलिस के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जायेगा? मैं समझता हूं कि वहां से पुलिस को तुरन्त हटा लेना चाहिये और जैसा शिक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, यहां पर जल्दी से जल्दी दूसरा कानून ला कर पुरानी स्थिति को वापस लाना चाहिये। जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल है, इस में कोई सन्देह नहीं कि उस में बड़े योग्य व्यक्ति हैं और प्रायः देश के योग्य से योग्य व्यक्तियों को उस में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उन लोगों को इतना समय नहीं है कि वे हिन्दू यूनिवर्सिटी के मामले में ज्यादा दिलचस्पी ले सकें। कभी कभी जब मीटिंग होती है तो उन में से कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। इस तरह से वहां का काम नहीं चल सकता है और इस में जल्दी सुधार होने की आवश्यकता है।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : आज का युग विज्ञान का युग है। लेकिन सभी मानवीय सफलताओं की जड़ में शिक्षा ही रहती है। इसलिये हमें अपने देश की शिक्षा का स्तर अन्य उन्नत देशों के बराबर ऊंचा करना चाहिये।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि आज से ५,००० वर्ष पूर्व हमारे देश में शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार था; वह क्रमशः कम होती गई है; ब्रिटिश राज के खत्म होते-होते देश में १० प्रतिशत लोगों में ही शिक्षा रह गई। मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रिटिश राज में भी शिक्षा की अवनति हुई थी। उससे पहले के काल में धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण शिक्षा ब्राह्मणों में ही रह गई थी। प्राक्कलन समिति ने कहा है कि ८०० ईसवी से पहले हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उन्नत था। उसकी वजह थी महात्मा बुद्ध की शिक्षायें। बौद्ध धर्म की हानि से हमारी शिक्षा की बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन अब तो हमें वर्तमान को देखना चाहिये। अब निःसंदेह ही हमारे देश में साक्षरता बढ़ रही है। लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि साथ ही विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और कलाओं की भी उन्नति हो। तभी नवयुवकों के मस्तिष्क में एक नई जोत जग सकेगी। लेकिन अभी यह नहीं हो रहा है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हे देश में काम करने वाली विघटनकारी शक्तियों से डर लगता है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि जनता में सत्य के लिये लड़ने की भावना, सौन्दर्य बोध, भ्रातृत्व की भावना, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव है। इन बुराइयों को जड़ से खोद डालना चाहिये। ये बुराइयां फौजी हमलों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये हम में अन्दर से घुन लगा देती हैं। इस बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शिक्षा का प्रसार किया जाये। इन बुराइयों के रहते हुये न तो समाजवाद और न लोकतंत्र ही सफल हो सकेगा।

इन बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सभी स्कूलों-कालिजों में बौद्ध धर्म का अध्ययन कराया जाये। हमें सब से पहले अपना नैतिक पतन रोकना चाहिये। सभी देशों के स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जाती है, सिर्फ हमारे यहां ही नहीं दी जाती। निरपेक्षता को देश के शासन तक ही सीमित रखना चाहिये। धर्म की शिक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसे

†मूल अंग्रेजी में

धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिये जो समानता और भ्रातृत्व की सीख देता है । वही वास्तविक शिक्षा है । आपकी इस शिक्षा से क्या फायदा जो बाबुओं को ही पैदा करती चली जा रही है ।

लेकिन हमारी सरकार ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर अधिक खर्च करना पड़ेगा । रूस और अमरीका शिक्षा पर इसीलिये ज्यादा खर्च करते हैं कि उसका महत्व समझते हैं, इसलिये नहीं कि उनके पास धन ज्यादा है । लेकिन हम न तो शिक्षा और न शिक्षा मंत्री को ही उतना महत्व देते हैं । दस वर्ष तक शिक्षा में सुधार करने का फल अभी तक यह निकला है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है ।

इसके चार बड़े बड़े कारण हैं : शिक्षा मंत्रियों द्वारा राज्यों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप ; बुनियादी शिक्षा अध्यापकों की बुरी दशा और स्कूलों में अनगिनत तरह की कार्यवाहियां । हमें इन कारणों को दूर करना चाहिये ।

बुनियादी शिक्षा बड़ी ही त्रुटिपूर्ण चीज़ है । उसमें धन और शक्ति का अपव्यय होता है । सिलाई, बुनाई या कताई की शुरूआती जानकारी होने से विद्यार्थियों को आगे कोई भी फायदा नहीं होता । धनी लोग अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा नहीं दिलाते । बुनियादी शिक्षा गांवों के लोगों पर थोप दी गई है । व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जो लोग बुनियादी शिक्षा हासिल करना चाहें, वे करें । सब पर तो नहीं थोपी जानी चाहिये । इससे विद्यार्थी को कालिज में जा कर बड़ी परेशानी होती है । वह प्रोफेसरों की बात समझ ही नहीं पाता । हमारे कुछ ग्रेजुएटों को इतना तक नहीं मालूम रहता कि जवाहरलाल नेहरू कौन हैं । मैं तीन साला डिग्री कोर्स के भी खिलाफ हूं । बम्बई विश्वविद्यालय ने उसे नहीं माना है ।

दूसरी ओर इंजीनियरिंग और मैडीकल कालिजों में प्रवेश पाने के लिये बहुत ऊंचे दर्जे की योग्यता मांगी जाती है । नतीजा यह है कि वर्तमान समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, धनी वर्ग के लोगों के लड़के ही उनमें जा पाते हैं । लोगों को दाखिले के लिये रुपये खर्च करने पड़ते हैं । बुनियादी शिक्षा बन्द करके, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिये । आज शिक्षा इतनी महंगी पड़ने लगी है कि गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते । अनुसूचित जाति के लोगों को अब कुछ सुविधायें दी जाने लगी हैं । लेकिन कुछ लोग उसे भी पसंद नहीं करते । माननीय मंत्री खुद पसंद नहीं करते । इसीलिये उनको छात्रवृत्तियों की अदायगी रुकी रहती है । मई-जून में स्कूल खुलते हैं, पर अभी तक उनको छात्रवृत्तिया नहीं मिली हैं । माननीय मंत्री कहते हैं कि उनकी अदायगी नवम्बर में होगी । या तो शिक्षा मंत्रालय बहुत ही अक्षम है, या फिर कुछ लोगों की नीयत साफ नहीं है । माननीय मंत्री को चाहिये कि इन छात्रवृत्तियों की हर महीने अदायगी की व्यवस्था करा दें ।

पहले तो छात्रवृत्तियां हर महीने नियमित रूप से विद्यार्थियों को मिल जाया करती थीं । पता नहीं अब क्यों इतनी देर लगने लगी है ।

माननीय मंत्री को इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : सभानेत्री जी, अभी एजूकेशन के विषय पर बहुत कुछ कहा गया है । मैं इस सबजैक्ट पर बहुत विशेषज्ञ होने का दावा नही करती हूं । मैं चन्द बातें शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाहती हूं ।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मेरी प्रार्थना है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनको जल्दी से जल्दी सरकारी बनाने की कोशिश की जाये। मैंने पहले भी कई दफ़ा मंत्री जी को उन स्कूलों के बारे में बताया है। हम सब लोग उन स्कूलों के हालात से वाकिफ हैं। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, उन में से ज्यादातर बिल्कुल दुकानदारी के लिहाज से खोले जाते हैं। उन के पैसे से दुकानदारी चलती है और वहां शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होता है। झूठ सच बोल कर विद्यार्थियों को दाखिल कर लिया जाता है। कभी कहा जाता है कि हम एक साल में मैट्रिक करवायेंगे। कभी कहते हैं कि एक साल में मिडल करवायेंगे। दाखिल होने के बाद विद्यार्थियों को पता चलता है कि मैट्रिक क्या होता है और मिडल क्या होता है। मुझे खुद एक ऐसी ही जगह की प्रिंसिपल रहने का मौका मिला। जब मैं शिक्षा समाप्त कर के आई, तो मुझे टीचर की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वही ट्रेनिंग ऐसी हो गई, जो कि हमेशा के लिए काफी थी। मैं एक जगह की प्रिंसिपल इस लिए कहती हूं कि वह स्कूल भी था, कालेज भी था और यूनिवर्सिटी भी था--कोई चीज नहीं थी, जो उसमें नहीं थी। इस लिए मुझ को प्रिंसिपल कहा जाता था। उस के बाद मुझे पता चला कि सभी प्राइवेट स्कूलों की यही हालत होती है। वहां पर जिस टीचर की सौ रुपए तन्ख्वाह रखी जाती है, उस को पचास रुपए दिए जाते हैं और रसीद उस की सौ रुपए की ही ली जाती है। यह भी होता है कि ज्यादा की भी रसीद ली जाती है और कम की भी रिसीद ली जाती है। कम्पीटीशन न हो, इस लिए सौदा और भाव किया जाता है। वहां यह भी हो सकता है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो लड़कों से अलग अलग फीस ली जाती हो और एक ही घर से आने वाले दो बच्चों से बस के अलग अलग किराये लिए जाते हों। मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि यह दुकानदारी जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। मुझे एहसास है कि इतना रुपया हमारे पास नहीं हो सकता है कि हम सब को एक दम नेशनलाइज़ कर सकें, लेकिन सरकार इस बारे में कदम उठाए और शुरू तो करे। यह भी हमारे शिक्षा मंत्री जानते हैं कि इन स्कूलों को--खास तौर से दिल्ली में--९० परसेंट ग्रान्ट मिलती है, जिसमें वे स्कूल चलाते हैं, टीचर्ज को तन्ख्वाह भी देते हैं, इमारतें भी बनवाते हैं और अपने घर का पेट-पालन भी करते हैं, जो कि उन का मुख्य उद्देश्य होता है। जब ९० परसेंट ग्रान्ट में उन की बिल्डिंग का खर्च और टीचर्स की तन्ख्वायें निकल आती हैं और उन लोगों का अपना व्यापार भी चल जाता है, तो मुझे ताज्जुब होता है कि उस से सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल सकता है।

इन स्कूलों के बारे में मैं एक और बात कहना चाहती हूं। मुझे कहते हुए कुछ घबराहट मालूम होती है, क्योंकि मालूम नहीं कि शिक्षा मंत्री ने इधर ध्यान दिया है या नहीं। मेरी तजवीज़ है कि हमारे मुल्क में अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो स्कूल अपने नाम के सामने हिन्दू स्कूल, मुस्लिम स्कूल, सिक्ख स्कूल, जाट स्कूल या राजपूत स्कूल वगैरह लगायें, उन को सरकारी ग्रान्ट नहीं देनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो ग्रान्ट हम दे रहे हैं, वे स्कूलों में पहुंच जायगी। मैं अदब के साथ कहना चाहती हूं कि जो जहर बच्चों के दिलों और दिमागों में फैलाया जाता है, हम उस से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री को ग्रान्ट दे कर बच्चों में जहर फैलाया जायगा और दो तीन बार हम होम मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स मन्जूर करेंगे, जिन का इस्तेमाल फिर्कापरस्त झगड़ों और फसादों पर लाठी और गोली चलाने के लिए किया जायगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रान्टस के जरिये हम बच्चों में जहर फैला देते हैं, झगड़े करा देते हैं और फिर होम मिनिस्ट्री की ग्रान्टस से उन फसादों को लाठी और

गोली चला कर रोकने की कोशिश करते हैं। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बात का ख्याल रखा जाय कि जिन स्कूलों में दिन-रात एक मजहब के नाम से, एक धर्म के नाम से जो शिक्षा दी जाती है, उस से बच्चों में दिन-प्रतिदिन जहर फैलता है। अगर शिक्षा मंत्री जी खुद स्टडी करने की कोशिश करें, तो वह देखेंगे कि इस तरह कहां तक जहर फैलता है।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि स्कूलों में धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु आज धर्म की व्याख्या क्या हो। कौन से धर्म की शिक्षा देनी चाहिए? बच्चे अच्छे बनें, अच्छे नागरिक बनें, सब लोगों के साथ प्रेम करें, ईमानदार रहें, यह एक अच्छा ख्याल है, परन्तु धर्म की व्याख्या क्या हो? यहां पर यह कहा गया कि हमारे स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं धर्म की एक छोटी सी व्याख्या आप को सुनाना चाहती हूं जो मैंने सुनी --स्कूल में नहीं, इसनी गनीमत है--और जगह सुनी। एक जगह जल्सा हो रहा था और लाउडस्पीकर लगे हुए थे। मुझे धर्म से ज्यादा वाकफियत नहीं है। लाउडस्पीकर से आवाज आई कि भाइयो, मैं आप के सामने धर्म की व्याख्या करता हूं। तो मुझ जैसी पापिन को ख्याल हुआ कि धर्म की व्याख्या को तो कम से कम सुन ही लिया जाये। वह साहब कह रहे थे कि जो काम जिस के सुपुर्द किया जाता है उसका पालन करना उसका धर्म है। यह उसने धर्म की व्याख्या की। उसने कहा कि परशुराम के यह काम सुपुर्द किया गया कि वह अपनी माता का सिर काटे और उसने धर्म का पालन किया। आगे उसने कहा कि, इसलिए भाइयो जो लोग कहते हैं कि स्त्री पर हाथ उठाना धर्म नहीं है, उनकी बात को न सुनो। उसके बाद उसने कहा कि अगर घर में सांप हो और वह पल कर बड़ा हो रहा हो तो उसको समाप्त करना और उसको मारना धर्म है। इसलिए भाइयो जो हमारे देश में सांप पल रहे हैं, अगर उनको नष्ट किया जाता है तो वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है, धर्म के अनुकूल है। यह उसकी धर्म की व्याख्या थी। मुझे उम्मीद है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसी धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता है। इस तरह से जहर स्कूलों में उगले जाने की इजाजत न हो। मैं देखती हूं कि पुराने स्कूल और कालेज और यूनिवर्स्टीस हैं, उनके नाम मुस्लिम यूनिवर्स्टी है, हिन्दू यूनिवर्स्टी है, सिख स्कूल है इत्यादि इत्यादि। अब कहीं कही पर तो इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि राज करेगा खालसा और दूजा रहे न कोय, इस तरह से कुछ सिखाया जाता है। जब लोगों के दिमागों में इस तरह की बातें भरी जाती हैं और दिन रात भरी जाती हैं, तो फिर किस तरह से आप कह सकते हैं या किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब वहां से लोग पढ़ कर बाहर आयेंगे तो वे प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, आपस में मुहब्बत करेंगे और एक अच्छे नागरिक का सा व्यवहार करेंगे। ऐसी हालत में अगर हम बच्चों से इस तरह के व्यवहार की आशा करते हैं तो मैं समझती हूं कि यह ज्यादती की बात होगी।

मैं ने आरम्भ में ही कहा कि मैं एजुकेशन की कोई माहिर नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन इतना मैं मंत्री महोदय से अवश्य कहना चाहती हूं कि हम चाहते हैं कि हिन्दी पर अधिक से अधिक जोर दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में हिन्दी को अपनाया जाये। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं हैं और मैं समझती हूं कि किसी की भी दो राय नहीं हो सकतीं हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि जो हिन्दी हमारे स्कूलों में सिखाई जाए, जिस हिन्दी की उन्नति की जाय वह हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जो हमारी सब की समझ में आ सके। हम लोग हिन्दी जानने वाले हैं और मेरा यह दावा है कि एक वक्त जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

तो मुझ को इतनी हिन्दी आती थी कि उस स्कूल में किसी को नहीं आती थी और अब मैं अपने घर पत्र लिखा करती थी तो मेरे पिता जी कहा करते थे कि मुझको पंडित बुला कर खत समझना पड़ता है : मुझे खुशी है कि आज मैं ने अपनी हिन्दी को और भी सुधार लिया है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि हमने हिन्दी को इसलिये अपनाया है चाहे वह मीडियम आफ इंस्ट्रकशन (शिक्षा का माध्यम) के रूप में हो, चाहे मातृ भाषा के रूप में हो कि बच्चों के दिमागों पर अधिक बोझ न पड़े, उनको आसानी से चीजें समझ में आ जायें। आज मैं आपके सामने वे हिन्दी के शब्द लाना चाहती थी लेकिन लाई नहीं और उनको आपको बतलाना चाहती थी। जहां तक उनको याद करने का सवाल है वह मेरी बुद्धि के बाहर की चीज है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हिन्दी के शब्द अंग्रेजी के शब्दों से तथा लेटिन के शब्दों से भी अधिक मुश्किल किये जा रहे हैं और उनको इतना मुश्किल किया जा रहा है कि समझ में नहीं आता है। आप स्टेशनों पर जायें, फैक्ट्रीस में जायें और वहां पर इन शब्दों को देखें और और कुछ नहीं तो माननीय मंत्रियों द्वारा जो हिन्दी में जवाब दिये जाते हैं उनको आप सुनें तो आपको पता चल जायेगा कि कितना मुश्किल हिन्दी को किया जा रहा है। हम लोग जोकि सारी जिन्दगी हिन्दी पढ़े और हिन्दी के सिवाय कोई दूसरी भाषा नहीं जानते, उनकी समझ में ये शब्द नहीं आते हैं तो हमारे बच्चों की समझ में कैसे आ सकते हैं। आज ये अंग्रेजी, फ्रेंच और लेटिन के शब्दों से भी अधिक मुश्कि हमें प्रतीत होते हैं। ऐसी हालत में हमारे बच्चों को कितनी कठिनाई होगी, इसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे उन पर बहुत बोझ पड़ने वाला है। इस वास्ते मैं प्रार्थना करती हूं कि कोशिश की जाये कि इन शब्दों को अधिक से अधिक सरल बनाया जाये।

जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, वहां पर तो कम से कम टीचर्स को बच्चों की ट्यूशंस लेने की मनाही कर दी जानी चाहिये। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकारी स्कूलों में तो किया ही जा सकता है। मुझे पता नहीं कि आज इस चीज की मनाही है या नहीं है लेकिन मनाही अवश्य होनी चाहिये। हमें दिल्ली के स्कूलों से कुछ शिकायतें आई हैं कि वे बच्चों के माता पिताओं के साथ कांट्रेक्ट कर लेते हैं, बच्चों के साथ कर लेते हैं कि हम तुम को पास करवायेंगे जिसका नतीजा यह होता है कि वे स्कूलों में तो उनसे उद्यम करवाते हैं, क्लासों में दिल लगा कर पढ़ाते नहीं हैं, और घर जा कर उनकी ट्यूशंस लेते हैं। शाहदरा के एक स्कूल का किस्सा सामने आया है जहां पर कई बरसों से टीचर कांट्रेक्ट कर लेते थे, इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर चुपके से बता देते थे और विद्यार्थी फटाफट पास हो जाते थे। एक साहब ने कहा कि ग्रेजुएट होने के बाद लोगों को ज्ञान नहीं होता है। मैं कहना चाहती हूं कि जब ऐसी हालत हो तो किस तरह से किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उस स्कूल में जब कोई दूसरे हैडमास्टर आये तो उन्होंने इस सब चीज को समझ लिया कि टीचर्स पास करवाने का ठेका कर लेते हैं। उन्होंने कइयों से कई क्वेश्चन पेपर बनवाये और चुपके से क्वेश्चन पेपर दे दिये और बच्चों को पता नहीं लगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आयेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे फेल हो गये। जब वे फेल हो गये तो दूसरे दिन उन्होंने लाठियां ले कर, पत्थर ले कर तथा ईंटें ले कर स्कूल पर तथा हैड मास्टर पर धावा बोल दिया और नुक्सान पहुंचाया। अफसोस की बात तो यह है कि उनके माता पिता भी इसमें शामिल हो गये और कहने लगे कि हर साल तो बच्चे पास हो जाते थे और इस साल नये हैडमास्टर ने सब को फेल कर दिया है। आप देखिये कि हमारी शिक्षा प्रणाली का किस तरह

से पतन हो रहा है । आज हमारा ध्यान पैसा कमाने की ओर अधिक हो गया रहा है। और बच्चों की तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं रह गया है ।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि मैं तो अनपढ़ हूं लेकिन वह तो एजुकेटिड हैं और वह इन सब चीजों पर ध्यान दें और इस बात की कोशिश करें कि हमारे बच्चों को सचमुच में अच्छी शिक्षा मिले । टैक्सों के जरिये वसूल किया गया पैसा जोकि एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, ग्रांट्स देने पर खर्च किया जाता है, इस तरह से खर्च होना चाहिये कि बच्चों में जहर फैलाने के बजाये उनको अच्छे नागरिक बनाने में खर्च हो । साथ ही साथ मैं यह भी चाहती हूं कि जो प्राइवेट टीचिंग शाप्स हैं उनको जल्दी जल्दी अपने हाथ में लेने की कोशिश की जानी चाहिये और सभी को अगर एक दम से अपने हाथ में नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसकी शुरूआत तो होनी ही चाहिये और हर महीने और हर साल कुछ न कुछ स्कूल सरकार को अपने हाथ में ले लेने चाहियें।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : आज मेरी भूख-हड़ताल का पन्द्रहवां दिन है । शिक्षा मंत्रालय ने बनारस विश्वविद्यालय के साथ जो ज्यादती की है, मैं उसी के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखने आया हूं ।

मेरी एक मांग यह भी है कि बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति और रजिस्ट्रार को निवृत्त किया जाये और विश्वविद्यालय को फिर से पूरी स्वायत्तता प्रदान की जाये । उसके मामलों की जांच के लिये संसद् एक समिति निर्वाचित करे, और उसकी जांच के बाद सभी दोषी लोगों को दण्ड दिया जाये ।

आज चारों ओर विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की शिकायत की जाती है। लेकिन उसका मूल कारण तो यह है कि उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों, प्रोफेसरों, प्रिंसिपलों और उपकुलपतियों की योग्यतायें बहुत घटिया होती हैं और उनका चरित्र गिरा हुआ होता है ।

देश में अध्यापनवृत्ति का सम्मान ही नहीं रह गया है । अध्यापकों के वेतन भी बहुत कम हैं। अच्छी, ऊंची योग्यताओं के लोग इस वृत्ति को इसीलिये नहीं अपनाते । उसीका बुरा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है । इसलिये अनुशासनहीनता तभी दूर की जा सकती है जब अध्यापकों और प्रोफ़ेसरों का स्तर ऊंचा किया जाये । उनके वेतन उचित स्तर पर लाये जायें।

लेकिन जहां उनके वेतन उचित हैं, वहां उनका चुनाव योग्यता देखकर नहीं किया जाता। वहां भाई-भतीजावाद चलता है ।

इसका ज्वलंत उदाहरण है बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति । उसे सब से कम वोट पाने पर भी, विश्वविद्यालय पर थोप दिया गया था। वह भी एक ऐसे पद पर, जिस पर आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे महान् भारतीय आसीन रह चुके थे और जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऐसे अयोग्य व्यक्ति के शासन में इस तरह की शर्मनाक घटनायें होना लाजिमी था ।

मुदालियर जांच समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समिति को उपकुलपति ने सही-सही और सभी तथ्यों की जानकारी नहीं कराई। और उसी की वजह से बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों सभी के माथे पर कलंक का यह टीका लगा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शि० ला० सक्सेना]

विद्यार्थियों की यह मांग बिलकुल उचित थी कि मुदालियर समिति की रिपोर्ट में जहां विद्यार्थियों के नैतिक पतन की बातें बताई गई हैं, उस भाग को या तो उपकुलपति प्रमाणित करें, साबित करें, या फिर त्याग-पत्र दे दें। आखिर, उस समिति में उपकुलपति को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ही तो रखा गया था। लेकिन उपकुलपति ने चुप्पी साध ली है। संसदीय वाद-विवाद के दौरान में, माननीय मंत्री तक ने उस भाग पर खेद प्रकट किया था। लेकिन शायद वह उनकी असली भावना नहीं थी, क्योंकि सभी ओर से मांग उठने पर भी उपकुलपति और रजिस्ट्रार को हटाया नहीं गया है। उल्टे, उपकुलपति को बढ़ावा दिया गया है। कि वह विद्यार्थियों और अध्यापकों से बदला निकालता रहे। शिक्षा मंत्रालय इस मामले में अपनी नीति पर ही अड़ा रहना चाहता है। शिक्षा मंत्रालय की वर्ष १९५८-५९ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है।

इसका मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में होने वाली पिछले एक वर्ष की घटनाओं के अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा है। वह मुदालियर समिति की शर्मनाक सिफारिशों को ही कार्यान्वित करता रहेगा।

मैंने तो सोचा था कि पिछले अक्टूबर की घटनाओं से उपकुलपति और उसकी कार्यपालिका परिषद् ने, कुछ सीखा होगा। लेकिन अब भी विद्यार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं; उन्हें विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा है। करीब ६० विद्यार्थी निकाले जा चुके हैं। करीब २०० विद्यार्थियों पर जुर्माने किये गये हैं; ५० रुपये तक भी। कई विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां और फीस की रियायतें बन्दकर दी गई हैं। सारा विश्वविद्यालय एक यातना शिविर जैसा बन गया है। चारों तरफ संगीनधारी पुलिस का पहरा रहता है। इससे विद्यार्थियों के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी समझ सकते हैं।

उपकुलपति पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उन विद्यार्थियों और अध्यापकों से बदला लेने पर तुला हुआ है जिन्होंने उपकुलपति के उन आक्षेपों के विरोध में प्रदर्शन किया था जो उनके चरित्र के बारे में उस रिपोर्ट में किये गये थे। उपकुलपति अपने विरोधियों को कुचलने पर आमादा है। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन को निकाल दिया गया है। कई प्रोफेसरों पर बेतुके से आरोप लगाये गये हैं। इस साल से काम करने वाले एक अंधे प्रोफेसर को मेडीकल बोर्ड के सामने हाजिर होने के लिये कहा गया है, हालांकि उसकी आयु अभी पचास की भी नहीं हुई है। इस तरह सभी पर आतंक जमाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वातावरण में पढ़ाई क्या होगी।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस हालत का खात्मा किया जाना चाहिये। मौजूदा उपकुलपति और रजिस्ट्रार को निवृत्त किया जाना चाहिये।

विश्वविद्यालय को पुन: स्वायत्तता दी जानी चाहिये और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को निरसित किया जाना चाहिये। पिछले एक साल की घटनाओं की जांच के लिये संसद् की एक समिति चुननी चाहिये। वहां से पुलिस हटाई जानी चाहिये।

इतना किये बिना विश्वविद्यालय को सामान्य अवस्था में नहीं लाया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। यदि मंत्रालय

इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं देगा, तो नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा। उससे सारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा।

†श्री गणपति (तिरुचिन्दूर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन कर रहा हूं। मैं स्कूलों के पाठ्यक्रम के जरिये विद्यार्थियों को कृषीय वातावरण में प्रशिक्षित करने पर जोर देना चाहता हूं। मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा के लिये राज्य-सरकारों को सहायता दी है। वह राज्य-सरकारों का आधा खर्च उठाता है। यह बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मद्रास, आसाम, उड़ीसा और बिहार ने इसके लिये आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि इस राशि को अलग से इसी प्रयोजन के लिये आवंटित नहीं किया गया था। इसीलिये प्राक्कलन समिति की सिफारिश है कि इस राशि को अलग से इसी प्रयोजन के लिये आवंटित किया जाना चाहिये।

केन्द्र की ओर से सहायता-प्राप्त शिक्षा योजनाओं के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिये आय-व्ययक में साढ़े दस करोड़ रुपये रखे गये हैं। पिछले साल केवल सात करोड़ रुपये इसके लिये रखे गये थे। इससे प्रकट है कि सरकार साक्षरता के प्रसार में लगी हुई है।

अभी इस समय बुनियादी शिक्षा के स्कूलों में कृषि और बागवानी तो सिखाई जाती है, लेकिन वे विद्यार्थी बाद में इस काबिल नहीं होते कि कृषि-सुधार में मदद कर सकें। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इससे पहले के दर्जों में भी कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाये तभी वे विद्यार्थी ग्राम-सुधार में योग दे सकेंगे।

मंत्रालय ने शायद इसी प्रयोजन के लिये १९५७-५८ में माध्यमिक शिक्षा के ग्रामीण स्कूलों में कृषि के पाठ्यक्रम आरम्भ किये थे। उसके लिये ९.२ लाख रुपये रखे गये थे, लेकिन सिर्फ पश्चिमी बंगाल ने उसका उपयोग किया था। इसलिये अब इस वर्ष के आय-व्ययक में उसे नहीं रखा गया है।

लेकिन यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। केन्द्र को चाहिये कि इस योजना की कार्यान्विति के लिये राज्य-सरकारों पर जोर दे।

इस योजना के द्वारा ग्रामीण स्कूलों में कृषि की आधुनिकतम विधियां सिखाई जा सकती हैं।

सभा को यह जानकर खुशी होगी कि मद्रास राज्य के स्कूलों में अब गरीब घरों के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। इससे अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों ही में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इस योजना के लिये रखे जाने वाले अतिरिक्त अध्यापकों के वेतनों का आधा भारत सरकार भरती है।

सरकार ने देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये और शिक्षितों की बेरोजगारी दूर करने के लिये एक योजना आरम्भ की है कि इस योजना-काल में ६०,००० अध्यापकों को काम दिया जा सके। भारत सरकार तीन वर्ष तक इसका पूरा खर्च उठायेगी। लेकिन शायद तब भी सरकार सभी शिक्षितों को काम नहीं जुटा पायेगी।

इस वर्ष हम तिरुनवेली के स्कूलों से निकलने वाले २० प्रतिशत शिक्षितों को भी काम नहीं दे पाये। इस समय मद्रास में विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात ३५:१ का है। इस हिसाब से, मद्रास राज्य में तीन साल के अन्दर ३०,००० शिक्षित और तैयार हो जायेंगे;

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गणपति]

अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरम्भ होने पर हम कुल २० प्रतिशत शिक्षितों को ही काम जुटा पायेंगे। इसलिये केन्द्र को इसके लिये अधिक उपयुक्त योजनायें रखनी चाहियें।

बुनियादी शिक्षा की प्रणाली का भी पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। बुनियादी शिक्षा-प्राप्त करने वाले लोगों को बाद में दो साल तक तो सरकार की ओर से कोई उपयोगी काम जुटाया ही जाना चाहिये। देहातों के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जाने चाहियें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशियां अलग रखी जानी चाहियें।

लेकिन छात्रवृत्तियां देना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग अपने को पिछड़े वर्गों का बताने लगे हैं। इसलिये उनकी बाकायदा एक सूची रखी जानी चाहिये। साथ ही यह भी जरूरी है कि ग़रीब सवर्ण हिन्दुओं के बच्चों के लिये भी शिक्षा के समान अवसर जुटाये जायें। इस समस्या का हल करने के लिये एक नयी योजना सूचित की जानी चाहिये।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को भी यह रियायत देने के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को नौकरियों के बारे में रियायतें दी जानी चाहियें। साथ ही, श्री लंका से आये हुये भारतीयों को, अनुसूचित जातियों के लोगों के बराबर ही रियायतें दी जानी चाहियें।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा): जब मैं २० वर्ष का था तभी मैंने अपने ५ गावों का दान करके वृन्दाबन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह विद्यालय अभी तक कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रेमनगर मथुरा में एक उच्च माध्यमिक स्कूल भी मेरी देखरेख में चल रहा है। सन् १९०९-१९१० में यह पहिला स्कूल था जिसमें मैंने शिक्षा प्रणाली की नयी प्रक्रिया डाली। वहां पर प्रत्येक विद्यार्थी तीन घंटे पढ़ता है और तीन घंटे कार्य करता है। आज से १२ वर्ष पूर्व विदेश भ्रमण से लौटने के पश्चात् मैंने यह निश्चय किया। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और देश, जाति तथा मानव समाज की सेवा करना सीखें। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि उन्होंने यह निश्चय नहीं किया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये। हमारा उद्देश्य स्वस्थ मानव समाज की स्थापना करना होना चाहिये। अतः मेरा कहना है कि प्रत्येक स्कूल में एक फार्म, एक डेरी फार्म (गौशाला) होनी चाहिये और प्रत्येक विद्यार्थी को तीन घंटे पढ़ना तथा ५ घंटे खेतों और कारखानों में काम करना चाहिए। हम अपने स्कूल को एक संयुक्त परिवार के रूप में चलाते हैं जहां पर बड़ों का सम्मान करना, बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करना तथा सम्पूर्ण जाति की भलाई के लिये कार्य करना सिखाया जाता है। वहां धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि समाज का नैतिक स्तर उठाया जाये मैंने विश्व संघ का आन्दोलन चलाया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य मेरे आन्दोलन को समझ नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां एक भेदभावहीन समाज बने जो सब की भलाई के लिये कार्य करे तथा सब को प्रसन्न रखे।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होने जा रही है। प्रश्न यह है कि क्या इसमें अरबी और फारसी के शब्दों की बाहुल्यता हो अथवा संस्कृत के शब्दों की। मानलीजिये कि इसमें अरबी और फारसी के शब्दों की बाहुल्यता रहती है तो यह सत्य है कि दक्षिण भारत के

---

†मूल अंग्रेजी में

लोग इस भाषा को नहीं समझ सकेंगे । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान संस्कृत आयोग के उस प्रतिवेदन की ओर दिला देना चाहता हूं जो कि आयोग ने नवम्बर, १९५७ में प्रस्तुत किया था। किन्तु उस प्रतिवेदन को अभी तक सभा में विचारार्थ नहीं लाया गया है। सरकार ने उस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यहां तक कि गत वर्ष संस्कृत के विकास के लिये सरकार ने १,८८,००० रुपये स्वीकृत किये थे जो कि बाद को घटाकर १,२५,००० कर दिये गये। यह तो संस्कृत के विकास का ढंग नहीं है। इस तरह तो इसके विकास में और इसे उपयुक्त स्थान देने में ३०० वर्ष से अधिक समय लग जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मेरे विचार से देश के विभिन्न भागों में १४ भाषायें मातृभाषायें हैं जो संस्कृत से प्रेरणा लेती हैं और जिनका उद्गम संस्कृत है। संस्कृत वह भाषा नहीं है जो अन्य भाषाओं से प्रतियोगिता करे बल्कि इसे तो प्रेरणा देना और इसका विकास करना चाहिये। हमारा प्राचीन लोक-साहित्य नष्ट हो रहा है। संस्कृत के अच्छे-अच्छे विद्वान विश्व से रुचि हटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे संस्कृत के उन विभागों की जो अब तक अछूते रहे हैं अथवा जिनमें खोज की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में खोज करने और उन पर सही प्रकाश डालने वाली आयोग की सिफारिशों पर विचार करें। मेरा विचार है कि १,२५,००० रुपये प्रति वर्ष का अनुदान इसके लिये कम है ।

मुझे प्रसन्नता है कि आकाशवाणी संस्कृत के प्रसार में रुचि ले रहा है और संस्कृत के कई नाटकों तथा अन्य कार्यक्रमों को वह प्रसारित करता रहता है किन्तु इसका श्रेय शिक्षा मंत्रालय को नहीं जाता ।

इसके प्रशासन पर होने वाले व्यय में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष तक शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय एक ही था किन्तु अब ये दो हो गये हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में इसके प्रशासकीय व्यय में भी लगभग २० लाख रुपये की वृद्धि हुई है। आशा है कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे ।

शिक्षा मंत्रालय का कार्य भी बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। योजना आयोग ने कहा है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना कार्य १९६५-६६ तक समाप्त कर देंगे। अतः प्रारम्भिक शिक्षा के हेतु एक अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना की गई जिसकी अब तक कुल दो बैठकें हुई हैं। यदि इसके कार्य की यही गति रही तो कैसे आशा की जा सकती है कि यह अपना कार्य १९६५ तक समाप्त कर सकेगी। अतः इस कार्य में शीघ्रगति नहीं अपनाई गई तो योजना आयोग ने जो लक्ष्य हमारे लिये निर्धारित किया है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस सिलसिले में योजना आयोग ने यह भी कहा है कि १९६०-६१ तक ६ से ११ वर्ष तक के कुल बच्चों में से ५० प्रतिशत बच्चे सभी राज्यों में स्कूलों में पढ़ना शुरू कर दें। किन्तु बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में इस लक्ष्य की पूर्ति होना संभव दिखाई नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार क्या कर रही है। खेलों के विकास के सम्बन्ध में भी मंत्रालय का रवैया बड़ा ढीला रहा है। विदेशी छात्रवृत्ति के मामले में भी यही हाल रहा। यहां तक कि सन् १९५५-५६ में १०० छात्रवृत्तियां मारी गईं और वे किसी को दी नहीं गईं। हालांकि प्राक्कलन समिति ने सिफारिश भी की थी फिर भी इस वर्ष १८ छात्रवृत्तियां किसी को नहीं दी गईं ।

†**श्री मं० र० कृष्ण** (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह सर्वमान्य है कि देश की प्रगति और समृद्धि के लिये शिक्षा ही कुंजी है किन्तु फिर भी यह समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्रालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० रं० कृष्ण]

हर बार शिक्षा की प्रणाली क्यों बदल देता है । इससे यह प्रकट होता है कि वे स्वयं इसके बारे में सुनिश्चित नहीं है कि देश को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से शिक्षा की ओर विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं । इस शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने के लिये कुछ पदाधिकारियों को विदेश भेजा गया उनके प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन देश में माध्यमिक प्रविधिक शिक्षा पद्धति जारी करना चाहता है । कुछ राज्यों ने इस पद्धति के अधीन अपने यहां कुछ स्कूल भी खोले हैं । इसके कुछ दिनों बाद शिक्षा विभागने निर्णय किया कि बहु उद्देशीय हाई स्कूल खोले जायें जो मेरे विचार से उसी प्रकार के हैं जैसे कि विदेशों में प्रविधिक स्कूल होते हैं । किन्तु विदेशों के स्कूल के बारे में इतनी बात अवश्य होती है कि उनके विद्यार्थी इस योग्य हो जाते हैं कि वे उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं जिसमें कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया है । किन्तु हमारे यहां बहुउद्देशीय स्कूलों के विद्यार्थी के साथ यह बात लागू नहीं होती ।

यह सभी जानते हैं कि हमारे यहां शिक्षा की बहुत कमी है और प्रत्येक राज्य को इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है । साथ ही यह भी स्मरणीय है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों को ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों पर इसके लिये निर्भर रहना पड़ेगा कि वे शिक्षण संस्थायें खोलें ।' किन्तु सरकार जिस ढंग से उन्हें प्रोत्साहन दे रही है वह बहुत ही धीमा है और प्रोत्साहनवर्द्धक नहीं है ।

बहु उद्देशीय स्कूलों का सामान भी बहुत महंगा है । सरकार का विचार सभी स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदलने का है किन्तु इसमें १०—१२ वर्ष लग जायेंगे । इसलिये मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिये ज़ोर नहीं देगी कि वे इन स्कूलों को बहु-उद्देशीय स्कूल बनाये तभी वित्तीय सहायता मिलेगी । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच कुछ मतभेद भी हैं । अब भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुउद्देशीय योजना से पूरा लाभ नहीं उठाया है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा मंत्रालय ने खेलकूद के लिये एक परिषद् की स्थापना की है । सम्भवतः इसका उद्देश्य वर्तमान संगठन की कमियों को दूर करना और खेलकूद के क्षेत्र में विकास करना है । किन्तु हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया हैं और ख्याति प्राप्त की है, इस परिषद् में नहीं रखा गया है । खेलकूद से सम्बन्धित देश में और भी बहुत से संगठन और फैडरेशन हैं । पता नहीं कि इस परिषद् को उनसे किस प्रकार सहायता मिलेगी और किस प्रकार का सहयोग यह संस्था उनसे चाहती है । आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ।

शिक्षा मंत्रालय अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देता है । बहुत से व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से तथा सम्मिलित रूप से यह शिकायत की है कि दिल्ली स्थित छात्रवृत्ति मंडल सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता । अतः छात्रवृत्ति देने का कार्य राज्य सरकारों को दे देना चाहिये ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं तथा साथ ही इस बात का आश्वासन भी देता हूं कि उनके सुझावों पर मंत्रालय पूरा पूरा ध्यान देगा ।

शिक्षा मंत्रालय के कार्य का विश्लेषण करते समय संवैधानिक उपबन्धों को भी ध्यान में रखना चाहिये । जहां तक कि भारत सरकार का सम्बन्ध है इसका दायित्व बहुत सीमित है । भारत

†मूल अंग्रेजी में

सरकार का मुख्यतः सम्बन्ध तो मानकों को बनाये रखने और विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले अनुसंधान से है। प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का दायित्व तो पूर्णतः राज्य सरकारों का है। लेकिन कुछ वर्षों से शिक्षा मंत्रालय भी इस विषय में अधिक से अधिक दायित्व अनुभव कर रहा है। राज्य सरकारों के परामर्श से इसने कुछ नीति और कार्यक्रम बनाये हैं और अधिकांशतः इन कार्यक्रमों और नीतियों को क्रियान्वित करने में मंत्रालय को सफलता मिली है।

कुछ सदस्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निदेश संविधान में किया गया है और इसे आधार बनाये बिना भी हमारे बहुत से विकास कार्यक्रम अधूरे रह जायेंगे। कारखानों आदि का निर्माण करने से पूर्व हमें स्कूल बनाने चाहियें क्योंकि इन स्कूलों से ही कारखाने चलाने वाले व्यक्ति उत्पन्न होंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सीमाओं के होते हुये भी काफी प्रगति हुई है। आपको याद होगा कि १९५७ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का कार्य अपने हाथ में लिया था। सर्वेक्षण का यह कार्य समाप्त हो गया है और हर जगह से जिलों तथा राज्य सरकारों के प्रतिवेदन तैयार हो गये हैं और अखिल भारतीय प्रतिवेदन भी करीब करीब तैयार है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि भविष्य में खोले जाने वाले स्कूलों के स्थान के लिये भी वे अपने राज्य क्षेत्रों में ही स्थान दें। और बहुत से राज्य इसके लिये तैयार हो गये हैं। इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन में, जो उपयुक्त समय पर सभा में प्रस्तुत किया जायेगा, पहली बार वर्तमान स्कूलों का तथा भविष्य में खोले जाने वाले स्कूलों का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है। इस में सर्वव्यापी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये बहुत ही लाभदायक आंकड़े दिये गये हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा का विकास करने के क्षेत्र में हमारे सामने दो बड़ी समस्यायें हैं। पहली समस्या तो लड़कियों की शिक्षा की है और दूसरी समस्या उन राज्यों की जो आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं और वहां इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है।

स्त्री शिक्षा के लिये, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार ने एक महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की है। इस समिति ने बताया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा बहुत पीछे है।

१९५६–५७ में ६ से ११ वर्ष तक के ५३ प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या केवल १७ ८ प्रतिशत थी। यदि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो हमें लड़कियों की शिक्षा में प्रगति करनी होगी। इसमें प्रगति करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने बहुत से कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ है कि इस मद में दी जाने वाली राशि जो राज्य सरकारों को दी जाती है उसका ७५ प्रतिशत धन उन्हें अपना २५ प्रतिशत का अंश दिखाये बिना ही दे दिया जाता है। सभा को जैसा कि ज्ञात है कि कुछ राज्यों के सामने इस मद में अपना २५ प्रतिशत अंश देने में कठिनाइयां आई थी अतः हमने उनसे कहा है कि अगर उन्हें अपना अंश देने में कठिनाई है तो भी वे इस राशि को खर्च कर सकते हैं। इससे इस योजना को कार्यान्वित करने में उन्हें सहायता मिलेगी।

लड़कियों में शिक्षा का विकास करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने यह भी निश्चित किया है कि राज्य सरकार लड़कियों को दुपहर का आहार देने के लिये जो व्यय करती थीं वह व्यय केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता में सम्मिलित किया जा सकता है।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस बात के लिये भी सहायता दी है कि वे अपने यहां बिना बोर्डिंग हाउस वाले माध्यमिक स्कूल लड़कियों के लिये भी बनवाये। यदि राज्य सरकार विकास कार्यक्रम में इस प्रकार के स्कूलों को सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें ५० प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है जिससे आशा है कि लड़कियों की शिक्षा के विकास और उनके लिये छात्रावास बनाने के कार्य में बहुत सहायता मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्त्री शिक्षा समिति की एक और सिफारिश स्वीकार कर ली है कि लड़कियों के कालिजों में छात्रावास बनाने के लिये जो व्यय होगा उसका ७५ प्रतिशत व्यय अनुदाम आयोग देगा। इस तरह आप देखेंगे कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के बीच जो यह अन्तर है उसको दूर करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने कमर कस ली है।

स्कूलों में दुपहर को दिये जाने वाले अल्पाहार की व्यवस्था में भी काफ़ी प्रगति और विकास हुआ है। मैं इस कार्यक्रम को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ही अंग मानता हूं। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी यह कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। १९५९-६० में छः राज्यों ने अर्थात बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा तथा संघीय क्षेत्रों में से लकाद्वीप मिनीकाय, अमिनदे टापू तथा पांडिचेरी ने अपने विकास कार्यक्रम में प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों को अल्पाहार देना स्वीकार कर लिया है। इस योजना पर जो व्यय होगा उसका ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी। इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है और आशा है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे और स्थानीय सहयोग तथा स्वेच्छा से किये जाने वाले कार्य भी सहायता करेंगे।

आगामी ६-७ वर्षों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में एक और भी कठिनाई होगी। आजकल प्रत्येक राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसमें बड़ी विभिन्नता है। ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रमशः २७ प्रतिशत, २७ १ प्रतिशत, ३२.४, ३५.४ और ३८.२ प्रतिशत प्रगति हुई है जब कि पंजाब, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल और केरल जैसे विकसित राज्यों में क्रमशः ६०.३, ६६.५, ७४.५, ८५.७ और ९९.८ प्रतिशत प्रगति हुई है। केरल तो लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। ये अन्तर इतना बड़ा है कि जब तक शिक्षा और आर्थिक स्थिति से पिछड़े देशों को विशेष सहायता नहीं दी जायेगी तब तक अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिये शिक्षा मंत्रालय प्रथम बार यह निश्चय किया है कि पिछड़े राज्यों को उनके द्वारा दिखाये गये ६ से ११ वर्ष तक बच्चों के आंकड़ों के अनुसार, जो कि स्कूल नहीं जाते, विशेष वित्तीय सहायता तथा अध्यापकों के रूप में सहायता दी गई है, और यह सहायता देते समय उन राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार पिछड़े राज्यों को इस योजना से अपने यहां शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार देने तथा लड़कियों की शिक्षा के बारे में काफ़ी सहायता मिलेगी। शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की सहायता सम्बन्धी योजना के अधीन ४०,००० अध्यापकों को रोजगार देने और उन्हें राज्यों को भेजने के बारे में योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही यह स्वीकृति मिल जाती है और यदि यह स्वीकृति इसी वर्ष मिल गई तो हमारा विचार इन अध्यापकों की सेवाओं को पिछड़े राज्यों के लिये नियत करना है। इस प्रकार हम इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय तृतीय पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों की सेवाओं से लाभ उठाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की विस्तृत योजना के सम्बन्ध में सहायता देने के बारे में भी विचार कर रहा है।

इस प्रकार आप देखेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विकास और उसके प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ हो गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और यदि यह राशि हमें मिल गई तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे।

कुछ राज्यों ने प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने के बारे में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पिछले वर्ष में हमने कालिज और विश्वविद्यालयों विज्ञान के अध्ययन के विकास पर बहुत ज़ोर दिया है किन्तु प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना के बारे में हमने कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। इसके लिये मंत्रालय ने एक योजना बनाई है कि प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में विज्ञान परामर्शदाताओं की व्यवस्था की जाये। यह विज्ञान परामर्शदाता विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा और स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने की रीति का अध्ययन करेगा तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिये प्रोत्साहन देगा। इस परियोजना को चालू करने के लिये भारत सरकार का विचार उन राज्यों को शत प्रतिशत सहायता देने का है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि बेसिक शिक्षा को समाप्त कर देना चाहिये। किन्तु यह सुझाव बहुत देर से दिया गया है। बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त को जितना जितना हम समझते जाते हैं उतना ही हमारा विश्वास इसके प्रति बढ़ता जाता है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने हमें अच्छा रास्ता दिखाया है। यदि इसमें हमें सफलता नहीं मिलती है तो इसमें शिक्षा का दोष नहीं है बल्कि हमारी लगन का है।

इस बारे में मेरे विचार से सारे देश में एक आन्दोलन चलाये जाये ताकि सभी स्कूलों में बेसिक शिक्षा प्रणाली के ढंग से शिक्षा दी जाये। इसके लिये ताल्लुका तथा तहसीलों में छोटी छोटी अवधि के प्रशिक्षण खोल दिये जायें। शहर तथा गांवों के लिये बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाये। और आशा की जाती है कि आगामी दो तीन वर्षों में बेसिक ढंग से शिक्षा दी जाने लगेगी। इसके लिये उन्हें ६० प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलने लगेगी।

श्री वासुदेवन् नायर तथा कुछ अन्य माननीय मित्रों ने कहा कि शिक्षकों में बहुत असन्तोष है जिसका मुख्य कारण शिक्षकों का निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर है। सदन को उन उपायों की जानकारी है ही जो शिक्षकों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये किये जा रहे हैं जैसे समस्त श्रेणियों का वेतन बढ़ाना और हाल में अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार का रखा जाना। इस मंत्रालय के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर अन्य सब राज्यों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ा दिये गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने वर्तमान वेतनक्रमों के पुनरीक्षण को आवश्यक नहीं समझा। वेतनक्रमों में वृद्धि की मात्रा प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। कुछ मामलों में यह वृद्धि मूल वेतनक्रमों से ५० प्रतिशत तक अधिक है। इस योजना में सरकार जितना अंशदान दे रही है वह धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। १९५६–५७ में केन्द्रीय सहायता की राशि ७७ लाख रुपये थी; १९५७–५८ में यह १९५ लाख रुपये हो गई और १९५८–५९ में केन्द्रीय सहायता की राशि लगभग २३५ लाख रुपये होगी। चूंकि शिक्षा सुधार की समस्त योजनाओं का मूल आधार शिक्षक ही है सरकार वेतन क्रमों से सन्तुष्ट नहीं है और हम उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर तथा व्यावसायिक कार्यदक्षता बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ बात कही गई है। म संक्षेप म इतना ही कहना चाहता हूं कि दूसरी योजना में हम हाई स्कूलों के हायर सेकण्डरी स्कूलों और बहुप्रयोजनीय स्कूलों

[डा० का० ला० श्रीमाली]

में परिवर्तन के लक्ष्य को निकटतया प्राप्त कर लेंगे । वास्तव में हायर सेकण्डरी स्कूलों के मामलों में इस लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं ।

दूसरी योजना में ९३० बहुप्रयोजनीय स्कूलों की स्थापना और ११४० हाई स्कूलों के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तन करने का उपबन्ध था । राज्यों से प्राप्त नवीनतम सूचना से मालूम होता है कि ७९० स्कूल बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित किये जा चुके हैं और १४०७ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में । इस प्रकार दूसरी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य किया जा चुका है ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकाधिक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से हमने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया है । और यदि राज्य सरकारें भी सहयोग दें तो मैं क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित करना चाहता हूं ताकि राज्यों और केन्द्र के बीच अधिक सहकारिता हो सके जहां तक पुनर्गठन की योजना का सम्बन्ध है । हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और मैं आशा करता हूं कि उनकी सद्भावना और सहयोग से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा कि सरकार को समस्त प्राइवेट संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और प्राइवेट संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि प्राइवेट संस्थाओं के सम्बन्ध में उनका अनुभव अत्यन्त कटु रहा होगा । इसीलिए वह इस प्रकार का परामर्श दे रही हैं । निस्संदेह, जो प्राइवेट संस्थायें साम्प्रदायिकता तथा जातीयता का विष फैलाती हैं उनको अवश्य दबाया जाना चाहिए । परन्तु हमारी नीति शिक्षा में प्राइवेट उद्यम को यथासंभव प्रोत्साहन देने की है । वास्तव में मेरा मंत्रालय एक मंत्रणा समिति स्थापित कर रहा है जो उन प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के संबंध में परामर्श देगी जो राष्ट्रीय आन्दोलन के अंग के रूप में चालू की गई थी और जो शैक्षिक पुर्ननिमाण में अभी भी महत्वपूर्ण योग दे रही हैं ।

प्राइवेट पूर्त के स्रोत सूखते जा रहेहैं और सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि ये महत्वपूर्ण संस्थायें वित्तीय सहायता की कमी के कारण नष्ट न हो जायें । बहुत सी प्राइवेट संस्थायें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं समझता हूं कि न केवल उन्हें जीवित रखने के लिए ही वरन् उन्हें प्रात्सोहन देने के लिए प्रत्येक संभव कार्य किया जाना चाहिए ताकि वे हमारे शिक्षा-पुर्ननिमाण में योग दे सकें ।

श्री हेम बरूआ ने कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी करने का सुझाव दिया । मैं निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहा है और न केवल कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम करने के के लिए कदम उठा रहा है वरन् उन्हें यह भी सुझाव दे रहा है कि वे किसी प्रकार की प्रवेश-परीक्षा की कोई कसौटी निर्धारित करें जिसके आधार पर केवल उन विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके जिन्हें उच्च शिक्षा से लाभ हो सकता हो । आयोग ने बताया कि इस समय बहुत से ऐसे विद्यार्थी प्रवेश पा जाते हैं जिन पर किया गया व्यय व्यर्थ जाता है क्योंकि ५०–६० प्रतिशत असफल रहते हैं । इसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने मद्रास की बैठक में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा केवल उन लोगों को मिलनी चाहिये जिनकी बुद्धि उसको ग्रहण

करने की क्षमता रखती हो और जो उससे लाभ उठा सकते हों। चूंकि हमारे राष्ट्रीय संसाधन सीमित हैं इसलिए हम ऐसे विद्यार्थियों पर पैसा खराब नहीं कर सकते जिनका बौद्धिक स्तर ऐसा नहीं है कि वे उच्च शिक्षा से लाभ उठा सकें।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : माननीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम की जाएगी। परन्तु नौकरी के लिए जो डिग्री प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्या सरकार ने इस बात का विचार किया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने उसका ब्यौरा नहीं देखा है। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विभिन्न कार्य किये हैं। अब ऐसा समय आ गया है जबकि विश्वविद्यालयों को प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विद्यार्थी की क्षमता का निर्णय करने के लिए कोई कसौटी अथवा प्रवेश परीक्षा निर्धारित करनी चाहिए। केवल हायर सेकण्डरी परीक्षा पास कर लेना विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं समझी जा सकती।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य स्तर सुधारना है इसलिए ऐसी स्थिति में उनके प्रयत्न बेकार जायेंगे जिसमें विभिन्न सुविधाओं और उच्च शिक्षा के समस्त यन्त्र के सुधार के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विद्यार्थियों की अधिक संख्या के कारण कोई लाभ न हो सके और वैसी ही स्थिति बनी रहे जैसीकि ऐसे प्रयत्न किए जाने के पूर्व थी अथवा उससे भी खराब हो जाए। इसलिए आयोग कालेजों को विद्यार्थियों की संख्या कम करने की सलाह दे रहा है ताकि वे १००० से अधिक विद्यार्थी न रखें और विशेष मामलों में, जहां पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हों, उनकी संख्या १५०० तक हो सकती है।

दूसरी समस्या जिसके संबंध में सरकार बहुत चिंतित है शिक्षित बेरोजगारों की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उपयुक्त नौकरियां ढूढने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कदम उठाने होंगे। इस समस्या के समुचित हल के लिए मूल आवश्यकता शिक्षित व्यक्तियों की संख्या और वर्तमान अथवा निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाले रोजगार के अवसरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने की है। शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले व्यक्तियों और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के बीच वैज्ञानिक संबंध स्थापित करना होगा ताकि वर्तमान असंतुलन समाप्त हो जाए और उसकी पुनरावृत्ति न हो। इस दृष्टि से मंत्रालय हाई स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रेजुएटों लोगों के उद्योग और अन्य व्यवसायों में विभाजन का सर्वे करने और समस्त स्तरों पर शिक्षित व्यक्तियों के लिए भावी मांग का निर्धारण करने का विचार कर रहा है ताकि, मोटे तौर से, स्कूलों और कालेजों में भर्ती को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित किया जा सके।

दूसरे प्रश्नों पर जाने के पूर्व मैं डा० राम सुभग सिंह तथा कुछ अन्य माननीय मित्रों द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संबंध में की गई कुछ आलोचनाओं का उत्तर देना चाहता हूँ। बनारस विश्वविद्यालय के मामलों पर इस सभा में एक बार नहीं वरन् अनेक बार अच्छी तरह चर्चा की जा चुकी है। विजिटर ने एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने जांच की थी। प्रतिवेदन पर इस सभा में पूर्णरूपेण चर्चा की गई थी और अधिनियम में संशोधन किया गया था। अधिनियम के पारित किए जाने के पश्चात विजिटर ने ६ व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी समिति नियुक्त की थी। इन ६ व्यक्तियों में से ४ प्रतिष्ठित संसद्-सदस्य हैं— ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं और जिनकी ईमानदारी और चरित्र से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। समिति में पंडित हृदय नाथ कुंजरू,

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

श्री पातांजलि शास्त्री, श्री खोसला और प्रो० वाडिया जैसे महान व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अब विश्वविद्यालय का प्रशासन इस कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जा रहा है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : उसके पश्चात भी विश्वविद्यालय के मामलों में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : एक ओर तो माननीय सदस्य सरकार पर यह दोषारोपण करते हैं कि वह विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है और दूसरी ओर, अब जबकि वह अधिनियम पारित किया जा चुका है और समिति नियुक्त की जा चुकी है, यह कहते हैं कि सरकार किस तरह कार्य करे ? कुछ चीजें विश्वविद्यालय में रख दी गई हैं। पुलिस को कार्यकारिणी परिषद् के कहने पर बुलाया गया था। उन्होंने निर्णय किया और एक संकल्प पारित किया। मैं इसे पसंद नहीं करता कि पुलिस विश्वविद्यालय में ही रखी जाये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और यदि मुझे ऐसा करने की शक्ति प्राप्त होती तो मैं वहां से आज ही पुलिस को हटा देता। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य इस बात को समझें कि इस समय वहां का प्रशासन कार्यकारिणी परिषद् कर रही है। उसी ने पुलिस को बुलाया था। कार्यकारिणी परिषद् के कहने से ही पुलिस वहां ठहरी हुई है। सरकार क्या कर सकती है ? एक ओर तो आप कहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है और दूसरी ओर जब सरकार अपने हाथ खींच लेती है तो आप कहते हैं कि सरकार को वहां तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

†**श्री प्र० ना० सिंह** : क्या अब भी वहां पुलिस के रखने की आवश्यकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे विचार से उसे हटा दिया जाना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कार्यवाही करे कौन ?

डा० राम सुभग सिंह ने बौण्डों का प्रश्न उठाया मैं इस मामले की जाच का आदेश कर चुका हूं और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी भी क्षेत्र में लोक निधि का दुर्पयोग किया जाएगा तो मैं ऐसा करने वालों का बचाव नहीं करूंगा।

उन्होंने उन जुर्मानों का प्रश्न भी उठाया जो मेरे बनारस विश्वविद्यालय के प्रथम निरीक्षण के संबंध में किए गए थे। मैंने पूछताछ की है और वाइस चांसलर ने मुझे बताया है कि मेरे निरीक्षण के संबंध में किसी भी विद्यार्थी पर जुर्माना नहीं किया गया है।

†**श्री वारियर** : यह बात ठीक नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि इसके संबंध में कोई सूचना हो तो मैं अग्रेतर जांच करूंगा और सदन को वास्तविक स्थिति बताऊंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे वाइस चांसलर से यही सूचना मिली है और वह कहते हैं कि मेरे विश्वविद्यालय निरीक्षण के संबंध में एक भी विद्यार्थी पर जुर्माना नहीं किया गया है।

†**श्री प्र० ना० सिंह** : यदि मंत्री जी जांच कराने के लिये तैयार हों तो मैं उन विद्यार्थियों के नाम तक बता सकता हूं जिन पर जुर्माना किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें वह जानकारी पा कर बहुत खुशी होगी। फिर मैं विश्वविद्यालय से और पूछताछ करूंगा। संभवतः उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया होगा परन्तु कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की गई। मुझे यही सूचना मिली है।

फिर, सेठ गोविन्द दास ने हिन्दी प्रचार की प्रगति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। हिन्दी के विकास और प्रचार की प्रगति मन्द कही जा सकती है क्योंकि उसके सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु इस कठिन समस्या के सम्बन्ध में मंत्रालय ने जो रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है उसके परिणाम अवश्य ही अच्छे होंगे। प्रविधिक शब्दों के अनुवाद का कार्य चल रहा है और विभिन्न कठिनाइयों के कारण उसकी प्रगति मन्द रही है। वैज्ञानिकों तथा प्रविधिक पदावली बोर्ड द्वारा बनाये गये वैज्ञानिक और प्रविधिक शब्दों का एक कोष तैयार करने के लिये एक इकाई की स्थापना की गई है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को ही रखना चाहते हैं और केवल उन्हीं का अनुवाद करेंगे जो इस सामान्य कार्यक्रम में ठीक बैठ जायें।

एक हिन्दी निदेशालय की स्थापना के लिये भी कार्यवाही की जा रही है जो विभिन्न योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सके और कार्य की गति बढ़ सके। इन सब तथ्यों के बावजूद भी यदि माननीय सदय यह अनुभव करते हैं कि मंत्रालय कुछ भी नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। सरकार हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण को अपनी हिन्दी प्रचार योजना में अग्रिमता दे रही है और अहिन्दी भाषी राज्यों के अनुरोध पर वहां ट्रेनिंग कालेज स्थापित करने और उनका सारा खर्च केन्द्रीय कोष से देने का निर्णय किया गया है।

आगरा के अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् महाविद्यालय के पुनर्गठन का निर्णय किया गया है ताकि हिन्दी अध्यापकों के लिये गवेषणा और उच्च प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। यह हिन्दी संस्था प्रायः अंग्रेजी की केन्द्रीय संस्था की लाइनों पर ही चलेगी। जिसका कार्य इस वर्ष प्रारम्भ हो चुका है।

डा० अणे ने संस्कृत के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक परम्परा की थाती है और यद्यपि केन्द्रीय 'शिक्षा मंत्रणा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय नहीं बना सका परन्तु बोर्ड संस्कृत के भाषा-सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करता है। हम विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रहे हैं जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है हम शीघ्र ही केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रहे हैं जो सरकार को संस्कृत के प्रचार और विकास सम्बन्धी नीति के मामलों में परामर्श दे सके

†**श्री सूपकार** : इसमें कितना समय लगेगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मैं आशा करता हूं कि बोर्ड के निर्माण की घोषणा थोड़े दिनों में ही हो सकेगी।

खेलकूद के विकास के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया। जैसा कि सभा को ज्ञात है सरकार ने कुछ समय पूर्व उन कारणों की जांच करने, जिनसे भारतीय खिलाड़ी ओलम्पिक तथा एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, और सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। सरकार इस समिति की सिफारिशों से सामान्यतः सहमत है। हमने स्पोर्टस काउंसिल का

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्गठन किया है और हम इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये और कार्यवाही भी करेंगे। सरकार नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कृत्यों अथवा प्राधिकार में हस्तक्षेप अथवा उनका अतिक्रमण तो नहीं करना चाहती परन्तु यदि इस प्रकार के संघ इस परिषद् की सलाह की उपेक्षा करेंगे तो सरकार उनके अनुदान अवश्य रोक देगी।

संभवत् श्री वासुदेवन् नायर ने अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर बल दिया था। सरकार कुछ समय से इस मामले पर विचार कर रही है कि देश के शिक्षित नौजवानों तथा युवतियों को अनुशासन सिखाने और उन्हें योजना के अन्तर्गत चल रही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की परियोजनाओं में स्थान देने के लिये एक राष्ट्रीय सेवा की योजना किस प्रकार बनाई जाये। इस प्रश्न पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की ३९वीं वार्षिक बैठक और विश्वविद्यालयों की आठवें पंचवर्षीय सम्मेलन की गोष्ठी में विचार किया गया था। मैं इस मामले को शिक्षा मंत्रियों की आगामी बैठक में रखने का विचार कर रहा हूं। इसको तो सभी स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की सेवा लाभकारी होगी परन्तु अनिवार्यता के सम्बन्ध में मतभेद है। सरकार राष्ट्र निर्माण के कार्य में नौजवानों की शक्ति का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाने के पूर्व इन सब बातों पर विचार करेगी।

मंत्रालय समाज शिक्षा और अपंग व्यक्तियों की शिक्षा तथा उन्हें रोजगार देने के क्षेत्र में भी कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। परन्तु मैं उनका उल्लेख करके सभा को अधिक समय तक नहीं बैठाना चाहता।

एक प्रश्न प्रशासकीय व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में भी उठाया गया। प्रशासकीय व्यय ४६,४३,००० रुपये से बढ़कर ५९,४३,००० रुपये इसलिये हो गया है कि हिन्दी शब्दावली के लिये कुछ अतिरिक्त कर्मचारी रखे गये हैं जिससे हिन्दी का कार्य तेजी से हो सके जिन पर ८ लाख रुपये व्यय होंगे।

†**श्री सूपकार** : शिक्षा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की सम्मिलित मांग ८८ लाख रुपये है जबकि गत वर्ष ६८ लाख रुपये व्यय हुए थे।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। परन्तु शिक्षा मंत्रालय में कुछ नई बातें हुई हैं जिनके लिये अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है जिसमें दो ब्यूरों के लिये १ लाख रुपये का उपबन्ध भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त वेतनक्रमों की सामान्य वार्षिक वृद्धि भी हुई है।

इस प्रकार सभा को यह ज्ञात हो गया होगा कि यह मंत्रालय विकासशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके अनुरूप प्रमाण इतिहास में बहुत कम हैं। हमारी प्रगति विशेष अधिक नहीं है परन्तु हमारी सीमित आय को देखते हुए वह किसी भी तरह नगण्य नहीं ठहराई जा सकती। यदि बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है तो निराश होने की गुंजाइश भी नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली में जो नई बातें हो रही हैं वे इस बात की प्रमाण हैं कि हम उसे सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं। पिछले समय शिक्षा को अग्रिमता नहीं मिली। परन्तु अब यह समझा जाने लगा है कि हम अच्छी शिक्षा से ही अपने नागरिकों की उन्नति कर सकते हैं। इसलिये आगामी पांच वर्षों में हम आशा करते हैं शिक्षा के विकास के लिये अधिकाकि प्रयत्न किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** एसा सुना गया है कि प्रधान मंत्री ने बम्बई में यह कहा था कि तीसरी योजना के अन्त तक समस्त शिक्षा निःशुल्क हो जायेगी । परन्तु शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम उस समय तक ११ वर्ष तक की आयु वालों को ही निःशुल्क शिक्षा दे सकेंगे ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रधान मंत्री का भाषण मेरे पास नहीं है, परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारी स्थिति यही है कि हम तीसरी योजना के अन्त तक केवल ११ वर्ष तक की आयु वालों को निःशुल्क शिक्षा दे सकेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं सब माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को वापस लेना चाहते हैं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिए गए

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१३	शिक्षा मंत्रालय . . .	५४,४८,०००
१४	शिक्षा	३८,५४,०२,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय . .	२,१६,६६,०००
११०	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	६३,८४,०००

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात लोक-सभा बुद्धवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १७ मार्च, १९५९
२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३०१—२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२९१	हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन का विद्युतीकरण	३३०१—०२
१२९२	भूकम्प	३३०२—०४
१२९३	यमुना पर दूसरा पुल	३३०५—०६
१२९४	चीन में छोटी सिंचाई योजनाएं	३३०६—०८
१२९५	सामुदायिक विकास सम्बंधी केन्द्रीय अध्ययन तथा गवेषणा संस्था	३३०८—०९
१२९६	जहाजों की खरीद	३३०९—१०
१२९७	डाक सुविधाओं का विस्तार	३३१०—११
१२९८	दिल्ली में अल्पकालीन ऋण	३३११—१२
१३००	सार्वजनिक टेलीफोन	३३१३
१३०१	मेडिकल कालेजों में प्रवेश	३३१३—१६
१३०४	उड़ीसा में अन्तर्देशीय जलपरिवहन सम्बन्धी यातायात सर्वेक्षण	३३१६—१७
१३०७	दिल्ली में रिंग रेलवे	३३१७—१८
१३०९	परिवार नियोजन	३३१८—२०
१३१०	खाद्यान्न के परिवहन आदि के ठेके	३३२०—२१
१३१३	मेकरोनी निर्माण संयंत्र	३३२१—२२
१३१४	धान का समाहार	३३२२
१३१६	मालगाड़ी की टक्कर	३३२२—२३
१३१८	रामपुर में रजा और बुलन्द शूगर फैक्टरियां	३३२३—२५
१३१९	दिल्ली आगरा रोड	३३२५—२६
१३२१	कुतुब मीनार जाने वाली सड़क पर बिजली की रोशनी	३३२६—२७
१३२२	राजस्थान नहर परियोजना	३३२७—२८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .		३३२८—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६०	हिमाचल प्रदेश में विद्युत् परियोजना . . .	३३२८
१२६६	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर .	३३२६
१३०२	अगरतला का विकास . . .	३३२६
१३०३	रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों और समाचार पत्रों की बिक्री . .	३३२६–३०
१३०५	मनीपुर में बंदोबस्त का काम .	३३३०
१३०६	रूरकेला-तलचेर रेलवे लाइन .	३३३०
१३०८	भाखड़ा परियोजना पर दौलत समिति प्रतिवेदन .	३३३१
१३११	ग्लाइडिंग सेंटर .	३३३१
१३१२	श्रमिक समिति .	३३३१–३२
१३१५	हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु	३३३२
१३१७	मन्दर-भागलपुर लाइन पर रेल दुर्घटना	३३३२
१३२०	उर्वरक	३३३३
१३२३	वेतन आयोग में प्रतिवेदन को शीघ्र प्रकाशित तथा कार्यान्वित करना और सेवा आचरण नियम ४(क) और ४(ख) को वापस लेना . .	३३३३
१३२४	भाखड़ा में विद्युत एकक . . .	३३३३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०००	उत्तर रेलवे में यात्री सहायक	३३३४
२००१	गाड़ी का आना जाना	३३३४
२००२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड . .	३३३५
२००३	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	३३३५
२००४	लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली	३३३५
२००५	पंजाब में चावल की मिलें . .	३३३५–३६
२००६	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था .	३३३६
२००७	रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन .	३३३६
२००८	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	३३३६
२००९	मध्य रेलवे द्वारा खादी खरीदना	३३३६–३७
२०१०	पंजाब से निर्यात किया गया चावल	३३३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०११	हिमाचल प्रदेश में खाद्य उत्पादन . . .	३३३८
२०१२	मद्रास गोदियों में नियुक्त किये गये विदेशी .	३३३८
२०१३	पंजाब में गोशालायें . . .	३३३८
२०१४	ऊना में ऊपरी पुल . . .	३३३८
२०१५	उड़ीसा में बिजली . . .	३३३६
२०१६	वैतरणी पर पुल	३३३६
२०१७	रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये शेड	३३३६
२०१८	खाद्यान्न . . .	३३६–४०
२०१६	चिलका झील की मछलियों की बिक्री .	३३४०
२०२०	मनमाड में संयुक्त जल-संभरण योजना	३३४०–४१
२०२१	रेलवे क्वार्टर . .	३३४१
२०२२	आंध्र में सड़कों का निर्माण .	३३४१–४२
२०२३	रेलवे स्टेशनों पर यात्री-सुविधायें	३३४२
२०२४	तपेदिक के मरीज . .	३३४२
२०२५	अमृतसर का दन्त-चकित्सा कालेज	३३४२–४३
२०२६	रेलवे का सामान .	३३४३
२०२७	जापान से पोतों की खरीद . .	३३४३
२०२८	तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक शैयाएं .	३३४४
२०२६	उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल .	६३४४
२०३०	दिल्ली में पौधों का संरक्षण . .	३३४४
२०३१	दिल्ली में स्कूटर . . .	३३४५
२०३२	केन्द्रीय सड़क निधि . .	३३४५
२०३३	उड़ीसा में कुरठिया सिंचाई परियोजना	३३४६
२०३४	मनीपुर का चिकित्सा विभाग	३३४६
२०३५	टेलीफोन से होने वाली आय . . .	३३४६
२०३६	दिल्ली के अस्पतालों में भारतीय मरीजों के लिये पुस्तकें	३३४७
२०३७	सड़क यातायात .	३३४७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०३८	टनकपुर में डाक तथा तार कार्यालय का भवन	३४७–४८
२०३९	उत्तर रेलवे में पुनर्नवन संबंधी सुविधायें	३३४८
२०४०	बम्बई राज्य में विद्युत परियोजनायें .	३३४८
२०४१	त्रिपुरा में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन	३३४८–४९
२०४२	सड़क परिवहन . . .	३३४९
२०४३	डाल्टनगंज के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	३३४९–५०
२०४४	मक्षी स्टेशन के पास दुर्घटना	३३५०
२०४५	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें . .	३३५०
२०४६	रेलवे में हिन्दी विभागाध्यक्षों के पद .	३३५०–५१
२०४७	आसाम भू-राजस्व विनियम . .	३३५१
२०४८	सस्ती बिजली पैदा करने के लिये मशीनें . .	३३५१–५२
२०४९	चीन में सिंचाई प्रविधि का अध्ययन करने के लिये भारतीय दल	३३५२
२०५०	चूहे . . .	३३५२–५३
२०५१	विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क	३३५३
२०५२	कोटा डिस्पेंसरी .	३३५३–५४
२०५३	जंगली तथा लावारिस पशु .	३३५४
२०५४	कड़ई से रेलवे स्लीपरों की खरीद .	३३५५
२०५५	आसाम और सबरूम के बीच रेल सम्पर्क . .	३३५५
२०५६	अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण	३३५५–५६
२०५७	बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें .	३३५६
२०५८	खाद्यान्न . .	३३५६
२०५९	बकिंघम नहर . . .	३३५७
२०६०	विमान निगमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	३३५७
२०६१	मद्रास राज्य में टेलीफोन के कनेक्शन . . .	३३५७–५८
२०६२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी . . .	३३५८–५९
२०६३	तांबे के तार की चोरी .	३३५९

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	३३५९–६०
अध्यक्ष महोदय ने मालद्वीप में रायल एअर फोर्स की कथित उपस्थिति से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . .	३३६१
दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५१३ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार विनियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३३६१
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में १८ फरवरी, १९५९ को श्रम उप-मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से पैदा होने वाली कुछ बातों के बारे में चर्चा उठाई।	
श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) ने उसके बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
अनुदानों की मांगें	३३६२—३४२७
(१) वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।	
(२) शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हो गई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।	

बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।